मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2015 सत्र

शुक्रवार, दिनाँक 24 जुलाई 2015

भाग-1

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वर्ग 5 : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, संसदीय कार्य, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, श्रम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण)

<u>जे.ए. हॉस्पिटल ग्वालियर द्वारा खरीदी में की गई अनियमितताएं</u>

1. (*क्र. 20) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जे.ए. हॉस्पिटल ग्वालियर में 1 मार्च 2014 से 30 मार्च 15 तक कितने यूनिट सेनेट्री पेड किस दर पर, किस फर्म से खरीदे गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित अस्पताल समूह में और वर्णित समय में प्रसूताओं की संख्या कितनी थी? जानकारी नार्मल डिलीवरी और सिजीरियन डिलीवरी की अलग-अलग दें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत खरीदे गये पेड को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया था?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। जे.ए. हॉस्पिटल, ग्वालियर में 01 मार्च 2014 से 30 मार्च 15 तक निम्नानुसार सेनेट्री पेड क्रय किये गये।

कितने यूनिट से.पे. क्रय किये गये	दर	फर्म का नाम
1200	107.00	म.प्र. राज्य हाथ बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
5000	107.00	म.प्र. राज्य हाथ बुनकर सहकारी संघ मर्यादित
15000	107.00	म.प्र. राज्य हाथ बुनकर सहकारी संघ मर्यादित
10000	107.00	म.प्र. राज्य हाथ बुनकर सहकारी संघ मर्यादित

(ख) वर्णित समय में प्रसूताओं की संख्या संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैं :-

माह एवं वर्ष	नॉर्मल डिलेवरी	सीजेरियन डिलेवरी	कुल डिलेवरी
01 मार्च 2014	216	186	402
अप्रैल 2014	208	146	354
मई 2014	305	229	534

माह एवं वर्ष	नॉर्मल डिलेवरी	सीजेरियन डिलेवरी	कुल डिलेवरी
जून 2014	290	219	509
जुलाई 2014	471	219	690
अगस्त 2014	514	229	743
सितम्बर 2014	528	244	772
अक्टूबर 2014	463	236	699
नवंबर 2014	481	239	720
दिसम्बर 2014	253	238	691
जनवरी 2015	432	262	694
फरवरी 2015	228	386	614
मार्च 2015	156	46	202
अप्रैल 2015	333	244	617
मई 2015	403	224	651
जून 2015	397	237	639
टोटल	**5882**	**3584**	**9466**

(ग) जी नहीं।

<u>शासकीय सहकारिता एवं निजी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में राजपत्रित किया जाना</u>

2. (*क्र. 627) श्री सतीश मालवीय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्राम कालियादेह तहसील घट्टिया जिला उज्जैन स्थित शासन तथा सहकारी संस्था एवं निजी स्वामित्व की भूमियों को वक्फ बोर्ड द्वारा अपने पक्ष में वर्ष 2013 में राजपत्रित कराया गया था? **(ख)** क्या शासन एवं सहकारिता तथा निजी भूमि को छलपूर्वक वक्फ के पक्ष में राजपत्रित करने के संबंध में शासन को पीड़ित पक्षों की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** में वर्णित भूमियों को वक्फ बोर्ड के पक्ष में राजपत्रित कराने हेतु वक्फ अधिनियम में क्या-क्या प्रावधान निर्धारित है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित शासन एवं सहकारी संस्था एवं निजी भूमियों को वक्फ के पक्ष में राजपत्रित करने हेतु वक्फ अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत कौन-कौन से प्रावधानांतर्गत क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं प्रश्नांश **(ख)** में वर्णित अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्या वक्फ बोर्ड के पास शासन एवं सहकारिता एवं उक्त निजी भूमियों के स्वामित्व को वक्फ के पक्ष में राजपत्रित करने का वैधानिक अधिकार वक्फ बोर्ड के पास सुरक्षित है? यदि नहीं, तो प्रश्नांश **(क)** में वर्णित इन कार्यवाहियों के लिये कौन-कौन दोषी है? और दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : **(क)** से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति</u>

3. (*क्र. 865) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भिण्ड जिले के लहार नगर के वार्ड नं. 02 में माँ मंगला देवी एवं वार्ड नं. 12 में भारतीयम स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित है? **(ख)** क्या उक्त दोनों स्कूलों में शिक्षा का

अधिकार अधिनियम 2009 एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मान्यता के मापदण्ड की मौके पर पूर्ति नहीं करते है? यदि हाँ, तो क्या इनको कागजों पर खानापूर्ति करके अवैध रूप से मान्यता दी गई है? इन स्कूलों की मापदण्डों के अनुसार भवन, भूमि एवं अन्य प्रावधानों का पूर्ण विवरण दें? **(ग)** यदि उक्त स्कूल निर्धारित मापदण्डों की मौके पर पूर्ति नहीं करते हैं तो गलत मान्यता जारी करने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या शासन इनके विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। जी नहीं। भवन, भूमि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 एवं 02 अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

100 बिस्तरों के अस्पताल की स्वीकृति

4. (*क्र. 820) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2011 में ग्राम मोरडोंगरी में परासिया में 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाये जाने की घोषणा की गई थी परंतु आज दिनाँक तक 100 बिस्तरों के अस्पताल बनाये जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु विलंब का क्या कारण है? **(ख)** इस कार्य की स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी? समय-सीमा बताने का कष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परासिया की बाह्य रोगियों की संख्या लगभग 200 एवं आंतरिक रोगियों की संख्या लगभग 8-9 प्रतिदिन की है। इसके मान से वर्तमान में परासिया के 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का ही पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है एवं प्रदेश में चिकित्सकों की निरन्तर कमी होने के कारण 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन किया जाना संभव नहीं है **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के उत्तर परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्राचार्य व विषयवार शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति

5. (*क्र. 1209) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पुनासा विकासखण्ड क्षेत्र एवं किल्लौद विकासखण्ड क्षेत्र में संचालित शासकीय हाईस्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्राचार्यों के कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? **(ख)** क्या पुनासा विकासखण्ड क्षेत्र एवं किल्लौद विकासखण्ड क्षेत्र में संचालित शासकीय हाई स्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों के स्वीकृत पदों अनुरूप रिक्त पदों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर। पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** संविदा शाला शिक्षकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये पात्रता परीक्षा आयोजित करने एवं पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शिक्षकीय संवर्ग के पदोन्नति के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा। पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "एक" **(पृष्ठ क्रमांक 15)**

<u>डॉक्टरों की पदस्थापना</u>

6. (*क्र. 1428) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडला जिले की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास में कितने डॉक्टरों के पद स्वीकृत है? **(ख)** स्वीकृत पद के अनुपात में वर्तमान समय में कितने कौन-कौन से डॉक्टर पदस्थ हैं? **(ग)** क्या वर्तमान समय में उक्त स्थान पर एक भी डॉक्टर पदस्थ नहीं है? **(घ)** स्वीकृत पद के अनुरूप कब तक डॉक्टर पदस्थ कर दिये जायेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास जिला मण्डला में विशेषज्ञों के 03 तथा चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत हैं। **(ख)** विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण विशेषज्ञों के तीनों पद रिक्त हैं, 01 चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में निवास में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। **(ग)** जी हाँ पूर्व में पदस्थ चिकित्सक का स्थानांतरण होने से उन्हें दिनाँक 02.06.2015 को कार्यमुक्त किया गया है, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डॉ मनोज चौहान, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरहली को निवास में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। **(घ)** वर्तमान में प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध मात्र 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की आनलाईन काउंसलिंग में निवास हेतु 03 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी, 02 चिकित्सकों द्वारा निवास पदस्थापना का चयन किया गया है, पदस्थापना आदेश शीघ्र जारी किए जावेंगे।

<u>स्कूल भवन का निर्माण</u>

7. (*क्र. 569) श्री लखन पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तारांकित प्रश्न क्र. 1816 दिनाँक 25 फरवरी 2015 के प्रश्न **(ख)** में उत्तर केरबना रियाना स्कूल भवनों का निर्माण 75% बताया था? निर्माण कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो गया है? **(ख)** रियाना हाईस्कूल भवन निर्माण के लिए कार्य पूर्ण न होने का कारण ठेकेदार की लापरवाही बताई गई? कृपया बतायें कि उक्त ठेकेदार के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। निर्माण कार्य वर्तमान में अपूर्ण है। **(ख)** संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. दमोह के पत्र क्रमांक 222/आडी/2015 दिनाँक 23.03.2015 के द्वारा रियाना हाईस्कूल भवन का कार्य अनुबंध की कंडिका 3सी में निरस्त कर दिया गया था। ठेकेदार द्वारा पुनः निवेदन करने पर अतिरिक्त परियोजना संचालक कार्यालय के पत्र क्रमांक 980 एफ सा0/9 (38) 15 जबलपुर दिनाँक 25.05.2015 को पुनर्जिवित किया गया है। वर्तमान में रियाना स्कूल की छत का निर्माण कार्य प्रगति पर है। **(ग)** निर्माण कार्य पूर्ण होने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>भवन निर्माण स्वीकृति</u>

8. (*क्र. 1137) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 649 दिनाँक 12 दिसम्बर 2014 के उत्तर में माननीय विभागीय मंत्री जी से सदन में हुई चर्चा में आश्वासन दिया गया था कि ब्यावरा में 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन का कॉन्सेप्ट प्लान तैयार है। प्रशासकीय स्वीकृति

भी अतिशीघ्र कर लेंगे और हम आने वाले बजट सत्र मतलब डेढ़-दो महीने बाद उसे बजट में भी शामिल कर लेंगे और काम कर देंगे? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1310 दिनाँक 25 फरवरी 2015 के उत्तर में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा बताया गया था कि उक्त अस्पताल भवन का कार्य द्वितीय अनुपूरक बजट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या माननीय विभागीय मंत्री जी के द्वारा सदन में उक्त प्रस्ताव को मुख्य बजट 2015-16 में सम्मिलित कर निर्माण कराये जाने संबंधी ठोस आश्वासन दिये जाने के बावजूद उक्त प्रस्ताव को द्वितीय अनुपूरक बजट में सम्मिलित नहीं करने के क्या कारण हैं तथा उक्त कार्य हेतु विलंब के लिये कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त अस्पताल भवन निर्माण की स्वीकृति इसी अनुपूरक बजट में प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2014-15 में भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 1000 का प्रतीक बजट का प्रावधान किया गया है। शेष प्रश्नांश हेतु प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>चिकित्सकों की पदस्थापना</u>

9. (*क्र. 944) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उप स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया में 30 बिस्तरों का अस्पताल है एवं वर्तमान में केवल एक चिकित्सक पदस्थ है? **(ख)** क्या सेमरिया एवं आसपास के 20 कि.मी की परिधि में कोई दूसरा अस्पताल नहीं है? **(ग)** क्या शासन ने मापदण्डों के अनुसार एक महिला चिकित्सक सहित कुल 04 चिकित्सकों की पदस्थापना होनी चाहिये? उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक कर ली जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया 30 बिस्तरों का अस्पताल है एवं वर्तमान में 01 नियमित चिकित्सक तथा एक आयुष चिकित्सक पदस्थ है। **(ख)** जी नहीं, सेमरिया की 15 कि.मी. की परिधि में 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वीणा एवं रगौली स्थापित हैं। **(ग)** शासन मापदण्ड अनुसार सेमरिया में तीन विशेषज्ञ (मेडिसिन, सर्जरी, स्त्रीरोग) एवं 02 चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की आन लाईन काउंसलिंग में चिकित्सा अधिकारियों की 02 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी, चिकित्सकों द्वारा किए गए चयन अनुसार शीघ्र ही पदस्थापना आदेश जारी किए जावेंगे।

<u>चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापना</u>

10. (*क्र. 1054) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले में विभाग के कितने चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ स्थापित एवं संचालित है एवं इनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, तकनीशियनों एवं अन्य शासकीय सेवकों के पद शासन/विभाग द्वारा स्वीकृत है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत इन चिकित्सालयों एवं केन्द्रों में कौन-कौन, कब से, किन-किन

पदों पर कार्यरत हैं एवं कौन-कौन से पद कहाँ-कहाँ, कब से रिक्त है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में कटनी जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, तकनीशियनों एवं अन्य शासकीय सेवकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही हैं एवं इन रिक्त पदों पर कब तक पदस्थापना कर दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। **(ग)** विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत नव नियुक्त चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग में कटनी जिले की 23 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी। चिकित्सकों द्वारा चयन किए गए स्थलों हेतु नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। शीघ्र आदेश जारी किए जावेंगे। पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु म.प्र. व्यापम द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मापदण्डों की पूर्ति

11. (*क्र. 1350) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है? यदि हाँ, तो इस अधिनियम के तहत प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी विद्यालयों के संचालन हेतु क्या-क्या मापदंड तय किए गए हैं? तय मापदण्डों अनुसार स्कूलों के संचालन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई थी? **(ख)** क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत समस्त अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित (डी.एड., बी.एड.) शिक्षकों द्वारा ही अध्यापन कार्य कराने की अनिवार्यता हैं? यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** अनुसार निर्धारित की गई समय-सीमा व्यतीत होने के बाद भी श्योपुर जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं जो इन मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित मापदण्डों अनुसार स्कूलों के संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या मापदण्ड पूर्ण न करने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त की जावेगी? यदि नहीं, तो किस प्रकार छात्र/छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए मापदण्डों अनुसार शिक्षा मिलेगी? बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए धारा 19 में वर्णित अनुसूची में दर्शाए मान और मानक निर्धारित किए गए है। अनुसूची **संलग्न परिशिष्ट** में दर्शाए अनुसार हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय द्वारा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते है। अनुसूची में दर्शाए मान एवं मानकों की पूर्ति के लिए अधिनियम प्रभावशील होने के दिनाँक 1 अप्रेल 2010 से 03 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है। **(ख)** जी हाँ, अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अधिसूचित शिक्षा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताऐंधारी व्यक्तियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। शिक्षा प्राधिकारी राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद् द्वारा जो न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है। उसमें वर्ष 2001 के बाद नियुक्ति शिक्षक को बीएड /डीएड होना अनिवार्य है।

न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने की अवधि पांच वर्ष रखी गई है। श्योपुर जिले में संचालित कुल 153 अशासकीय विद्यालयों में से 121 विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत है। **(ग)** अशासकीय विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अधिनियम में निर्धारित पांच वर्ष की अवधि को 31.03.2015 से 4 वर्ष की अवधि तक बढ़ाने का भारत सरकार से अनुरोध किया है। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित मापदण्डों की पूर्ति न करने पर अधिनियम में निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त किए जाने का प्रावधान है।

<u>परिशिष्ट - "दो"</u> (पृष्ठ क्रमांक 16)

<u>चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराढ़ का स्थानान्तरण</u>

12. (*क्र. 1291) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या डॉ. ए.के. मौर्य, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराढ़ का स्थानांतरण संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. के आदेश क्र./01जी/ विज्ञप्त/सेल-05/09/ ADA-33 भोपाल दिनाँक 01.10.2009 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुर्रापुर जिला सागर किया गया था? उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध डॉ. मौर्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया था, जिसके निराकरण की अवधि 06 सप्ताह थी? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार क्या प्रकरण का निराकरण 06 सप्ताह के स्थान पर 05 वर्ष से भी अधिक में किया गया है? यदि हाँ, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये 06 सप्ताह के समय के स्थान पर 05 वर्ष से अधिक का समय क्यों लगा व इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं व उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में डॉ. ए.के. मौर्य के स्थानांतरण एवं प्रकरण के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को स्थानांतरण तिथि से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से पत्र प्रेषित किये गये व उन पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। प्रकरण का परीक्षण कर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। **(ग)** प्रश्नांश अवधि में माननीय सदस्य महोदय द्वारा वर्ष 2014 में 03 पत्र यथा पत्र क्रमांक 21 दिनाँक 4.03.2014, पत्र क्रमांक 72/17.5.2014 एवं क्यू 1 दिनाँक 3.7.2014 कार्यालय में प्राप्त होना पाया गया है, चूंकि बैरागढ़ में डॉ. ए.के. मोर्य, के अतिरिक्त अन्य कोई चिकित्सक पदस्थ न होने एवं मा. न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किए जाने के कारण चिकित्सकीय कार्य बाधित न हो एवं संस्था चिकित्सक विहिन न हो इस हेतु कार्यवाही विलंबित रखी गई। इनके अभ्यावेदन निराकरण उपरांत एक अन्य चिकित्सक डॉ. संजीव कुमार साण्डे, चि.अ. की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरागढ़ की गई थी ताकि भविष्य में कार्यवाही की जा सके परन्तु उक्त चिकित्सक द्वारा भी बैरागढ़ में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

<u>प्रदेश में एम्स की स्थापना</u>

13. (*क्र. 997) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में एम्स स्थापना के लिये अब तक क्या-क्या स्वीकृतियां, कार्यवाही बजट आवंटन हुआ? ब्यौरा क्या है? **(ख)** केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान

संस्थान के स्थापना दिशा में अब तक क्या सहयोग किया? **(ग)** क्या एम्स स्थापना घोषणा से अब तक संस्था के प्रारंभ करने की दिशा में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है? यदि हाँ, तो किस कारण? **(घ)** प्रदेश की जनता को एम्स की सुविधाओं का लाभ कब तक प्राप्त हो सकेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश में एम्स की स्थापना के लिए विद्युत निर्माण कार्य हेतु दिनाँक 01-01-2011 को 416.96 लाख तथा दिनाँक 08-07-2011 को रुपये 788.78 लाख कुल राशि रुपये 1205.74 लाख की राशि प्रदान की जा चुकी है। **(ख)** प्रशनांश का संबंध केंद्र सरकार से है। **(ग)** उत्तरांश "ख" अनुसार। **(घ)** प्रदेश की जनता को एम्स में उपलब्ध सुविधाओ का लाभ प्राप्त हो रहा है।

<u>आयुष के नये केंद्र खोले जाना</u>

14. (*क्र. 1358) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्तमान में उज्जैन दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में विभाग के कितने केंद्र संचालित है? **(ख)** सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुये अन्य कितने नये केंद्र खोले जाना प्रस्तावित है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्तमान में उज्जैन दक्षिण में आयुष विभाग के तीन केन्द्र संचालित है। **(ख)** सिंहस्थ-2016 को दृष्टिगत रखते हुये आयुष विभाग द्वारा स्थायी केन्द्र खोलना प्रस्तावित नहीं है।

<u>सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत स्वीकृत भवन</u>

15. (*क्र. 295) श्री जतन उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 से छिन्दवाड़ा जिले के कितने विकासखण्डों में भवन स्वीकृत किये गये हैं तथा कितने भवनों की राशि प्राप्त हो चुकी एवं कितने भवनों की राशि मिलना शेष है? यदि राशि शेष है तो कब तक राशि प्रदाय की जावेगी? **(ख)** छिन्दवाड़ा जिले के समस्त विकासखण्डों में कितने भवन स्वीकृत किए गए हैं? स्वीकृत के विरूद्ध कितने भवन पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने भवन अपूर्ण है? कितने भवनों की यू.सी. जारी की गई है एवं कितने भवनों की यू.सी. जारी नहीं की गई है? यदि यू.सी. जारी नहीं की गई है तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? **(ग)** क्या निर्माण एजेंसी द्वारा भवन की राशि का दुरूपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसा कितनी एजेंसी द्वारा किया गया है? उनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत छिंदवाड़ा जिले के 08 विकासखण्डों में 24 भवन स्वीकृत किये गये है। बर्ष 2014-15 में भारत शासन से पर्याप्त राशिप्राप्त नहीं हुई थी। वर्ष 2015-16 मे राशि प्राप्त हो चुकी है, राशिजारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** छिंदवाड़ा जिले के समस्त विकासखण्डों में 1638 भवन स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत के विरूद्ध 1582 भवन पूर्ण हो चुके हैं जिनकी यू.सी. जारी कर दी गई है। 32 अपूर्ण भवन एवं 24 अप्रारंभ भवनों की यू.सी. जारी नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। जिले के तीन निर्माण एजेंसी (ग्राम पंचायत) द्वारा। निर्माण एजेंसी के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं।

मेडीकल कालेज की स्थापना के मापदण्ड

16. (*क्र. 332) श्रीमती ललिता यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिले में शासकीय कॉलेज स्थापना के क्या मापदण्ड है? **(ख)** मेडीकल कॉलेज स्थापना के लिये क्या जनसंख्या की प्रतिबद्धता है? **(ग)** मेडीकल कॉलेज की स्थापना के लिये क्या कोई दूसरे मेडीकल कॉलेज से दूरी की अनिवार्यता है, अगर हाँ तो क्या? **(घ)** छतरपुर में शासकीय मेडीकल कॉलेज की स्थापना के लिये क्या किसी मापदण्ड की आवश्यकता है? अगर हां तो क्या? अगर नहीं तो छतरपुर में मेडीकल कालेज की स्थापना कब होगी और कैसे होगी? **(ड.)** छतरपुर में शासकीय मेडीकल कॉलेज के लिये क्या जन आन्दोलन होने की जानकारी है यदि हाँ, तो इस पर विभाग द्वारा अब तक कोई प्रयास किये गये? अगर हां तो क्या और अगर नहीं तो क्यों नहीं किये गये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) 100 सीट्स के नवीन चिकित्सा महविद्यालय की स्थापना हेतु एमसीआई मापदण्डानुसार 25 एकड़ भूमि 500 बिस्तर का अस्पताल भवन छात्रावास आवासीय परिसर की आवश्यकता होती है। एम.सी.आई. के मापदंड **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** नहीं है। **(ग)** नहीं है। **(घ)** छतरपुर में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए पृथक से किसी मापदंड की आवश्यकता नहीं है। उत्तरांश "क" में **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** मापदण्ड निर्धारित है। शासन स्तर पर छतरपुर में शासकीय चिकित्सा महविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। **(ड.)** नहीं है।

परिशिष्ट - ''तीन'' (पृष्ठ क्रमांक 18)

स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) एवं शैक्षणिक कार्य की जाँच

17. (*क्र. 1418) श्रीमती शीला त्यागी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल द्वारा ए.टी.के.टी. (प्रमोटेड) छात्रों के प्रवेशित होने पर छात्रवृत्ति के क्या प्रावधान हैं आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में समूह 1 के छात्र की भांति सभी सेमेस्टर प्रणाली के पाठ्यक्रमों में ए.टी.के.टी. छात्रों को भी छात्रवृत्ति का लाभ कब तक दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुसूचित जाति पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली की प्रति **पुस्तकालय में रखे में परिशिष्ट 'अ' अनुसार एवं** अनुसूचित जनजाति पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली की प्रति **पुस्तकालय में रखे में परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख)** समूह-1 के पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्रथम बार अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति नवीनीकरण की पात्रता है। अन्य समूहों के पाठ्यक्रमों में नहीं। सेमेस्टर प्रणाली के एटीकेटी विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियम अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

सफाई एवं सुरक्षा कर्मियों को कलेक्टर दर से भुगतान

18. (*क्र. 450) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना द्वारा आदेश क्र.

1067 दिनाँक 30.9.2013 द्वारा साफ सफाई कार्य के लिये सफाई कर्मियों की नियुक्ति करते हुए कलेक्टर दर पर भुगतान करने के लिये आदेश जारी किये गये थे? **(ख)** क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर बघेलान में नियुक्त सफाई कर्मियों एवं सुरक्षागार्ड कर्मी को कलेक्टर दर पर भुगतान न कर सफाई एवं सुरक्षा गार्ड स्वास्थ्य के अंतर्गत नियुक्ति ठेकेदार द्वारा जनवरी 2014 से 3500/- एवं 3000/- के मान से भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें? **(ग)** क्या संबंधित ठेकेदार को आदेश का पालन न करने के कारण ठेका निरस्त कर कलेक्टर दर से भुगतान कराया जावेगा? वर्तमान में इन कर्मियों की कलेक्टर दर से भुगतान करने पर मासिक कितनी राशि होती है? **(घ)** क्या इन कर्मियों को नियुक्ति दिनाँक से कलेक्टर दर से भुगतान कराने के आदेश देते हुए एरियर्स दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) हाँ, यह सत्य है कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1067 दिनाँक 30.09.2013 द्वारा साफ-सफाई कार्य के लिए सफाई कर्मियों को कलेक्टर दर पर 31.03.2014 तक कार्य करने के लिए रखा गया था। **(ख)** जी नहीं। प्रश्नांश ''क'' के उत्तर में संदर्भित आदेश द्वारा रखे गये सफाईकर्मियों में से कोई सफाईकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर बघेलान के लिये नहीं रखा गया था, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में माह जनवरी 2015 से नवीन टेंडर नीति अनुसार अनुबंधित फर्मों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नियमानुसार (ई.पी.एफ/ ई.एस.आई. की नियमानुसार कटौती करते हुए) किया जा रहा है। इन कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कलेक्टर दर रू. 5939.00 है जिसमें से ई.पी.एफ (13.61 प्रतिशत) की राशि रू. 713/- तथा ई.एस.आई. (4.75 प्रतिशत) की राशि रू. 104/- की कटौती करने पर मासिक भुगतान योग्य राशि रू. 5122/- होती है। **(घ)** प्रश्नांश ख के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच एवं दोषियों पर कार्यवाही</u>

19. (*क्र. 1097) श्री तरूण भनोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अभियांत्रिकीय छात्र संघ जबलपुर द्वारा कलेक्टर कमिश्नर जबलपुर को सौपे गये ज्ञापन पर सहायक पिछड़ा वर्ग पर कितनी छात्रवृत्ति की राशि के घोटाले का आरोप लगाया गया एवं उक्त आरोपों की जाँच किस एजेंसी से कराई गई? **(ख)** उक्त छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच एजेंसी से कराई जाने पर दोषियों के विरूद्ध शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं। **(ग)** उक्त छात्रवृत्ति घोटाले में कितनी राशि का घोटाला उजागर हुआ है? घोटाले की राशि आरोपियों द्वारा शासन को वापिस की जा रही है अथवा नहीं? **(घ)** जबलपुर स्थित किन-किन संस्थाओं में अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया गया? वर्ष 2013-14 एवं 14-15 तक छात्रों के नामवार एवं संस्थावार जानकारी दी जावे?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष भारतीय अभियांत्रिकी छात्र संघ, जबलपुर द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति में घोटाले के संबंध में जाँच कराने हेतु ज्ञापन कमिश्नर/कलेक्टर जबलपुर एवं विभिन्न स्तरों पर दिया गया साथ ही उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका क्रमांक 18929/2014 दायर की गई। जिसके संबंध में विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति योजना मे विभिन्न

स्तर पर हुई अनियमितताओं की जाँच कराने हेतु समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय पॉलीटेक्निक एवं महिला पॉलीटेक्निक जबलपुर के प्राचार्यों की अध्यक्षता में गठित जाँच दलों को जिले में संचालित समस्त अशासकीय इंजीनिरिंग कालेजों में स्वीकृत एवं वितरित छात्रवृत्ति राशि की जाँच का कार्य सोंपा गया है। **(ख)** जाँच प्रक्रियाधीन है। **(ग)** प्रकरण में जाँच प्रक्रियाधीन है अत: वांछित जानकारी अभी दिया जाना संभव नहीं है। **(घ)** उपरोक्तानुसार।

महिदपुर एवं झाराडा में चिकित्सकों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करना

20. (*क्र. 1546) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिविल हास्पिटल महिदपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झारड़ा में किन-किन चिकित्सकों की पदस्थापना की गई हैं? **(ख)** इनके द्वारा पदभार ग्रहण न करने के कारण बतावें? **(ग)** इन्हें रिलीव न करके शासन की स्थानांतरण नीति से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार चिकित्सकों का पदभार ग्रहण करना कब तक सुनिश्चित किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सिविल अस्पताल महिदपुर में डॉ. दिनेश सक्सेना, डॉ. दिनेश सिसोदिया, डॉ. ममता सिंह रामपुरे, डॉ. एम. एस. रामपुरे एवं डॉ. एम. के. सिंघल चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारड़ा में डॉ. एच. एस. चोयल की पदस्थापना है। संचालनालय के आदेश क्रमांक 01/विज्ञप्त/सेल-5/2015/685, दिनाँक 20.05.2015 के द्वारा डॉ. अभिषेक सिलोदिया, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, भानपुरा जिला मंदसौर का स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारड़ा जिला उज्जैन किया गया है। **(ख)** सिविल अस्पताल, भानपुरा, गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है एवं विधानसभा क्षेत्र गरोठ में उप चुनाव हेतु दिनाँक 27.05.2015 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर द्वारा इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/स्थापना/2015/4569 दिनाँक 13.7.2015 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झारड़ा हेतु कार्यमुक्त किया गया है। **आदेश प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर द्वारा डॉ. अभिषेक सिलोदिया, चिकित्सा अधिकारी को दिनाँक 13.07.2015 को कार्यमुक्त किया जा चुका है, चिकित्सक को स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत करनी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चार" **(पृष्ठ क्रमांक 20)**

विधान सभा क्षेत्र पनागर, जिला जबलपुर की शालाओं का उन्नयन

21. (*क्र. 1382) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल/शासन के मापदण्ड अनुसार स्कूलों के उन्नयन हेतु 5 कि.मी. दूरी का मापदण्ड तय है? **(ख)** क्या पनागर विधान सभा क्षेत्र के शासकीय हाईस्कूल कालाडूमर का उन्नयन अनेक वर्षों से लंबित है जबकि उन्नयन हेतु शासन के मापदण्ड की पूर्ति होती है? **(ग)** क्या शासकीय हाईस्कूल कालाडूमर के कक्षा 9वीं एवं 10वीं के 243 छात्र-छात्राओं

को उक्त शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् उन्नयन न होने के कारण आगामी शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) हाईस्कूल हेतु 5 कि.मी. एवं उ.मा.वि. हेतु 8 कि.मी. की दूरी का मापदण्ड निर्धारित है। **(ख)** मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता है। **(ग)** जी नहीं। हाईस्कूल कालाडूमर से 8 कि.मी. की दूरी पर शासकीय उ.मा.वि. सिगौद संचालित है।

प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूलों का उन्नयन

22. (*क्र. 73) श्री विष्णु खत्री : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ऐसे कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल हैं, जो शासन के मापदण्डानुसार वर्तमान में उन्नयन की पात्रता रखते हैं? **(ख)** ऐसी कितनी प्राथमिक शालायें हैं, जो माध्यमिक शाला में उन्नयन की पात्रता रखती हैं, उनके नाम एवं कब तक इन शालाओं का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है? **(ग)** क्या सोहाया, नायसमंद, रतुआ, धमर्रा हाईस्कूल वर्तमान में हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन की पात्रता रखते हैं, यदि हाँ, तो शासन कब तक इन स्कूलों के उन्नयन का विचार रखता है? **(घ)** क्या डुंगरिया, लाम्बाखेड़ा, बरखेड़ा बरामद, कढैया चंवर, गढ़ाकला, सुकलिया, कुल्होर, मजीदगढ़, झिरनिया, बागसी, दिल्लौद में स्थित माध्यमिक शालाएँ हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने की पात्रता रखते हैं? यदि हाँ, तो शासन कब तक इनका उन्नयन करने का विचार रखता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 02 प्राथमिक शाला एवं 03 हाईस्कूल। **(ख)** कुल 02, प्राथमिक शाला बुधोर कला एवं प्राथमिक शाला भैंसाना। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** शासकीय हाईस्कूल धमर्रा, सोहाया एवं नायसमन्द उन्नयन हेतु पात्र हैं किन्तु शासकीय हाईस्कूल रतुआ उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** शासकीय माध्यमिक शाला डुगरिया, लाम्बाखेड़ा एवं गढ़ाकला उन्नयन हेतु पात्र हैं किन्तु शासकीय माध्यमिक शाला बरखेड़ा बरामद, कठैया चंवर, सुकलिया कुल्हौर, मजीदगढ़, झिरनिया कांकड़, बागसी एवं दिल्लौद उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती। शालाओं का उन्नयन बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शासकीय औषधालय छतरपुर में डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध कराना

23. (*क्र. 1191) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन द्वारा प्रत्येक जिले में गुर्दा रोग के मरीजों को डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? यदि हाँ, तो यह सुविधा लागू करने में शासन को क्या कठिनाई है, जबकि कई जगह प्राईवेट संस्थाएं डायलेसिस मशीन लगाकर मरीजों से भारी रकम वसूल रही है? **(ख)** छतरपुर जिले में करीब 60 मरीज ऐसे हैं, जो झांसी, ग्वालियर डायलेसिस कराने हेतु हर तीसरे/चौथे दिन जाते हैं, जबकि छतरपुर जिला मा. स्वास्थ्य मंत्री जी के ही प्रभार में हैं। यह सुविधा जिला छतरपुर के मरीजों को कब तक उपलब्ध कराई जायेगी? **(ग)** डायलेसिस पर होने वाले व्यय को क्या शासकीय कर्मचारियों को प्रति डायलेसिस भुगतान की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो डायलेसिस पर हर माह करीब 30 हजार रूपया होने वाला व्यय एक कर्मचारी कहाँ से भुगतान करेगा? क्या शासन इसके लिए कोई व्यवस्था करेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हीमो डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है तथा इस हेतु टेन्डर जारी किए जा चुके है। चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। **(ख)** जिला चिकित्सालय छतरपुर सहित प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाने की कार्यवाही की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं। **(ग)** जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क हीमोडायलिस की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हीमोडायलिस इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रक्रिया में है।

<u>अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण</u>

24. (*क्र. 1214) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग के तहत पूरे प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं? लंबित प्रकरणों की सूची जिलावार उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। **(ख)** एक वर्ष से अधिक के ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें नियुक्ति हेतु आवेदक की सहमति मिल जाने उपरांत भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा सके है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** से संबंधित प्रकरणों में नियुक्ति आदेश जारी होने में किस अधिकारी-कर्मचारी की वजह से विलंब हुआ है, क्या विभाग इस मामले का परीक्षण करवाकर संबंधित पर कार्यवाही करेगा? **(घ)** ऐसे सभी मामलों में नियुक्ति आदेश कब तक जारी हो जाएंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) 287 प्रकरण लंबित हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख)** कुल 87 प्रकरण। **(ग) परिशिष्ट 'अ'** के रिमार्क अनुसार प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>बिना वैध प्रमाण पत्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती</u>

25. (*क्र. 414) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला चिकित्सालय भिण्ड में विगत पांच वर्ष में किस एजेंसी को निजी सुरक्षा का कार्य किस अधिकारी की अनुमति से दिया गया, उनका भुगतान किस बैंक के द्वारा किया जाता है? क्या सुरक्षा एजेंसी विधिवत पंजीकृत है? यदि हाँ, तो वैध प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड की छायाप्रति सहित जानकारी दें? **(ख)** क्या जिला चिकित्सालय भिण्ड में विगत पांच वर्ष में ए डी जी पी कार्यालय से वैध प्रमाण पत्र के बिना सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है? तैनात सुरक्षा गार्ड को समुचित वैध कटौत्रा के बैंक द्वारा भुगतान किया जा रहा है? **(ग)** जिला चिकित्सालय भिण्ड में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड तैनात के बावजूद मई-जून 2015 में श्री विमलेश उपाध्याय ऊर्फ दउआ की हत्या हुई है? यदि हाँ, तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है? प्रशासन द्वारा प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड एवं सिविल सर्जन भिण्ड द्वारा सुरक्षा गार्ड की समुचित जाँच और प्रशिक्षण करवाया गया था? प्रश्नांश **(ग)** में घटना के समय सुरक्षा गार्ड व तैनात सशस्त्र पुलिस बल द्वारा क्या कार्यवाही की गई? सुरक्षा गार्ड द्वारा कार्यवाही न करने के कारण उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या प्रशासन ने तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा कार्यवाही न करने के कारण उनके विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस प्रकरण में अन्य लोग भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 में सैनिक कल्याण बोर्ड से रिटायर्ड आर्मी परसन को रोगी कल्याण समिति को निर्धारित मानदेय पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं रोगी कल्याण समिति की बैठक में सर्वानुमति से दिया गया। वर्ष 2013-14 में शासन निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार टेण्डर बुलाकर मेसर्स मंगल एस सिक्योरिटी सर्विसेस ग्वालियर को एवं वर्ष 2014-15 में मेसर्स भवानी इन्टरप्रायजेज इन्दौर को सिक्योरिटी का कार्य दिया गया। वर्ष 2011-12 में मानदेय रोगी कल्याण समिति भिण्ड से भुगतान किया गया तथा वर्ष 2010-11, 2011-12, 2014-15 में एक्सिस बैंक भिण्ड से किया गया। जी हाँ। प्रमाण-पत्र की **प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** सैनिक कल्याण बोर्ड से रिटायर्ड आर्मी परसन को मानदेय पर कम संख्या में रखा गया। यह संख्या 18 से कम होने के कारण ए.डी.जी.पी. कार्यालय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। **(ग)** घटना की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। हत्या का कारण विवेचना उपरान्त ज्ञात हो सकेगा। उक्त घटना की पुलिस द्वारा विधिवत जाँच कर कार्यवाही की गई एवं घटना के पश्चात् पुलिस विभाग द्वारा सशस्त्र एस.ए.एफ. गार्ड उपलब्ध कराया गया है। **(घ)** जी नहीं। टेन्डर डॉक्युमेन्ट अनुसार सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने की जवाबदारी संबंधित ऐजेन्सी की है। घटना के समय जिला चिकित्सालय का लाठीधारी सुरक्षा गार्ड था जिसने तुरन्त कार्यवाही करते हुए पुलिस एवं अस्पताल प्रशासन को सूचना दी तथा दूसरे घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया व घटना के समय सशस्त्र पुलिस बल तैनात नहीं था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इस प्रकरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन-कौन सम्मलित है इसकी जानकारी नहीं है।

परिशिष्ट – "पांच" (पृष्ठ क्रमांक 21)

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

स्कूलों का उन्नयन

1. (क्र. 4) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा हाई स्कूल से हायर सेकेण्ड्री स्कूल और माध्यमिक से हाई स्कूल में उन्नयन के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित किया है? तद्नुसार कौन-कौन से विद्यालय पात्रता की श्रेणी में आते हैं? **(ख)** क्या हाई स्कूल सकरिया, झोखों, चतरी, नैकहवा को हायर सेकेण्ड्री में तथा माध्यमिक विद्यालय देवरी व पिपराह को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने के लिये कोई योजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें। **(ग)** क्या उक्त विद्यालयों को वर्ष 2015-16 में स्वीकृत किया जावेगा? यदि हाँ, तो जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : **(क)** जी हाँ। मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- एक अनुसार**। वर्ष 2015-16 के प्राप्त प्रस्तावों में मापदण्ड अनुसार हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार**। **(ख)** निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने के कारण हाई स्कूल झोखों एवं माध्यमिक शाला देवरी को उन्नयन प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। शासकीय माध्यमिक शाला पिपराह मापदण्ड की पूर्ति नहीं करने के कारण प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है। **(ग)** शालाओं का उन्नयन बजट स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

उत्तर पुस्तिका मंगाने का अधिक शुल्क लिया जाना

2. (क्र. 21) श्री विश्वास सारंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी के छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका मंगाने का शुल्क माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने प्रश्न दिनाँक को कितने रूपये प्रति विषय रखा है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत रिटोटलिंग का शुल्क कितने रूपये प्रति विषय रखा गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका अकेले मांगने पर उसके साथ रिटोटलिंग का शुल्क भी वसूला जा रहा है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(ग)** के तहत वसूला गया शुल्क गलत है? यदि हाँ, तो उसे छात्रों को वापस किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? कारण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : **(क)** हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी के छात्रों व्दारा उत्तरपुस्तिका मंगाने का शुल्क माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने प्रश्न दि. को रूपये 500/- प्रति विषय है। **(ख)** हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी के छात्रों व्दारा पुर्नगणना/सत्यापन का शुल्क माध्यमिक शिक्षा मण्डल में रूपये 200/- प्रति विषय है। **(ग)** जी हाँ। मण्डल के आदेश क्रमांक-1135, दि. 17.12.13 के तहत उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति के साथ पुर्नगणना कराना इसलिये अनिवार्य है कि यदि उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन में कोई त्रुटि रह गई हो तो, छात्र को उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेजने के पूर्व सुधार किया जा सके। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनु. जाति क्षेत्र में मजरे, टोले, पंपों का उर्जीकरण

3. (क्र. 45) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2010 से 2015-16 तक अनुसूचित जन-जाति मजरे/टोले/पम्पों का ऊर्जीकरण हेतु कितनी राशि खर्च की गई है? उक्त योजना से कुल कितने

आदिवासी परिवारों को लाभ मिला है, वर्षवार अलग-अलग बतावें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार वर्णित कार्य किन-किन ठेकेदारों से किस दर पर कराया गया है? वर्षवार जानकारी प्रदान करें? कार्य-कार्यादेश/निविदा के आधार पर कराया गया है, इसका भी उल्लेख करें? **(ग)** क्या माननीय मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2326 भोपाल, दिनाँक 16.05.15 के माध्यम से सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग छिन्दवाड़ा, सिवनी, शहडोल, डिण्डौरी, बालाघाट को टेन्डर प्रक्रिया स्थगित करने हेतु निर्देशित किया है? यदि हाँ तो क्या पालन किया गया, यदि नहीं, तो कारण बतायें? क्या विभाग ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** जी हाँ। शासन के आदेश क्रमांक एफ-23-17/2014/3-25 दिनाँक 19/12/2014 में विधिवत संशोधन न होने के कारण जिलों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था। जी नहीं। विचारोपरांत निविदा की शर्तें यथावत रखने का निर्णय लिया गया हैं। जी नहीं।

प्रदेश में कुपोषण एवं शिशु मृत्यु दर

4. (क्र. 57) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 17 मार्च 2015 के प्रश्न संख्या 16 (क्र.1429) के संदर्भ में बताए कि - प्रतिवर्ष पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में (1) प्रति हजार शिशु मृत्युदर (2) मातृ मृत्युदर प्रति हजार, (3) 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्युदर प्रति हजार क्या है तथा इसमें शासन द्वारा कितनी धनराशि प्रतिवर्ष खर्च की गई तथा उसका प्रतिवर्ष क्या असर रहा है? अखिल भारतीय औसत व अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश की क्या स्थिति है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रश्न के **(ग)** के उत्तर में बताया गया कि गर्भवती महिलाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रसव पूर्व देखभाल में मध्यप्रदेश नीचे से सातवें स्थान पर आपने उत्तर में बताया था अत: वर्तमान में अन्य राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े देते हुए बताए कि मध्यप्रदेश कौन से स्थान पर है? **(ग)** मध्यप्रदेश कुपोषण के बारे में अखिल भारतीय औसत व अन्य राज्यों के तुलनात्मक आंकड़ों में किस स्थान पर पिछले 8 वर्षों में रहा है व कुपोषण दूर करने के क्या-क्या प्रयास शासन ने पिछले वर्षों में किये तथा उसका क्या असर हुआ तथा वर्तमान स्थिति क्या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर की वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- (अ) अनुसार** है। मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में व्यय की गई राशि की वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- (ब) अनुसार है।** पिछले 8 वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु प्रदेश के सभी जिलों में 53 एस.एन.सी.यू. संचालित किये गये, जिसमें अभी तक 305748 नवजात शिशुओं को लाभान्वित किया गया है। एस.आर.एस. 2013 के अनुसार प्रदेश में बाल मृत्यु दर में सर्वाधिक 4 अंको की गिरावट दर्ज की गई, राष्ट्रीय स्तर पर 3 अंको की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही नवजात शिशु मृत्यु दर में देश में सर्वाधिक गिरावट मध्यप्रदेश में दर्ज की गई। प्रदेश में 3 अंको की गिरावट दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत 1 अंक है। **(ख)** वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे 2012-13 के अनुसार प्रदेश में गर्भवती महिलाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रसव पूर्व देखभाल में प्रदेश नीचे से सातवें स्थान पर है। अन्य राज्यों में प्रसव पूर्व देखभाल की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रमांक	राज्य का नाम	प्रसव पूर्व देखभाल का प्रतिशत

1	ओडिसा	81.9
2	मध्यप्रदेश	71.7
3	असम	66.2
4	छत्तीसगढ़	65.9
5	झारखण्ड	60.2
6	उत्तराखण्ड	58.9
7	राजस्थान	55.0
8	उत्तरप्रदेश	37.8
9	बिहार	36.7

(ग) मध्यप्रदेश कुपोषण के बारे में अखिल भारतीय औसत व अन्य राज्यों के तुलनात्मक आकड़ों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) में प्रतिवेदित आकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में सबसे निचले स्थान पर रहा है। पिछले 8 वर्षों में कुपोषण दूर करने के लिये शासन द्वारा समस्त विकासखण्डों पर पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में प्रदेश में 314 पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है जिनमें प्रश्न दिनाँक तक लगभग 3, 99, 194 गंभीर कुपोषित बच्चों को उपचारित किया गया है। कुपोषण के संबंध में प्रदेश में कोई अद्यतन सर्वेक्षण न होने से वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "छः"</u>

कटनी जिले में रजिस्टर्ड नर्सिंग होम

5. (क्र. 70) कुंवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले में शासन द्वारा कितने नर्सिंग होम एवं क्लीनिक रजिस्टर्ड किये गये हैं? पृथक-पृथक नर्सिंग होम संचालक का नाम, पता, स्थान सहित विवरण दें, तथा रजिस्ट्रेशन कितने वर्ष के लिये दिया गया है? कितने नर्सिंग होम/क्लीनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं? कितने नर्सिंग होम में मरीजों के ठहरने, पीने के स्वच्छ पानी, कैन्टीन एवं पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है? **(ख)** कितने नर्सिंग होम/क्लीनिक प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड है? उक्त नर्सिंग होम/क्लीनिक का बायोमेडिकल वेस्ट (कचरा) कहाँ भेजा जा रहा है? उक्त बायोमेडीकल वेस्ट (कचरा) का क्या किया जा रहा है? नर्सिंग होम/क्लीनिकवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** नर्सिंग होम एक्ट अनुसार कितने डॉक्टर/पैरामेडीकल स्टॉफ कार्य कर रहे हैं? क्या कटनी जिले में नियम विरूद्ध रहवासी इलाकों में नर्सिंग होम संचालित किये जा रहे हैं? क्या ऐसे नर्सिंग होमों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) कटनी जिले में शासन द्वारा 17 नर्सिंग होम एवं 27 क्लीनिक रजिस्टर्ड किये गये है। नर्सिंग होम एवं क्लीनिक की पृथक-पृथक संचालक का नाम, पता, स्थान की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार** है। नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन तीन वर्ष के लिए किया जाता है। बिना रजिट्रेशन चल रहे नर्सिंग होम/क्लीनिक की कोई सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को नहीं मिली है। 17 नर्सिंग होम में मरीजों के ठहरने एवं पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था एवं 2 नर्सिंग होम में

कैन्टीन की व्यवस्था है। **(ख)** प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा 14 नर्सिंग होम रजिस्टर्ड किये गए है। जिले में संचालित नर्सिंग होम/क्लीनिक से बायोमेडिकल वेस्ट (कचरा) इलाईट इंजीनियरिंग जबलपुर द्वारा संग्रहित कर जबलपुर ले जाकर निस्पादित किया जाता है। नर्सिंग होम/क्लीनिकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। **(ग)** नर्सिंग होम एक्ट अनुसार कार्यरत डाक्टर/पेरामेडिकल स्टॉफ की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''स'' अनुसार** है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत् रहवासी इलाकों में संचालित नर्सिंग होम की जानकारी विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती हैं। नियम विरूद्ध संचालित नर्सिंग होम की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

सहायक संचालक (योजना) के पद पर पदोन्नति

6. (क्र. 90) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1982 में संशोधन दिनाँक 03 सितंबर 1999 द्वारा सहायक संचालक लोक शिक्षण (योजना) के 10 पद स्वीकृत किये गये थे तथा अनुसूची एक में पदोन्नति नियम 1982 के सरल क्र. 12 एवं 13 का लोप करते हुए सरल क्र. 6 (1) (बी) स्थानांतरित किया गया था, जिसमें सहायक संचालक (योजना) का पद निर्मित किया गया था? **(ख)** क्या दिनाँक 01.08.2009 को होशंगाबाद एवं शहडोल संभाग के लिये सहायक संचालक (योजना) के 02 पद स्वीकृत किये गये हैं? **(ग)** क्या सहायक संचालक (योजना) का पद योजना अधिकारी का पदोन्नति का पद है तथा विगत 06 वर्षो से सहायक संचालक (योजना) पद रिक्त होते हुये भी योजना अधिकारी की डी.पी.सी. नहीं हुई है? **(घ)** योजना अधिकारियों को कब तक सहायक संचालक (योजना) के पद पर पदोन्नत किया जावेगा या उनकी पदोन्नति का पद समाप्त कर उन्हें योजना अधिकारी ही बना कर रखा जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रश्न में उल्लिखित तिथि 03 सितम्बर, 1999 के अनुसार पद स्वीकृत नहीं किये गये है अपितु तिथि 03 सितम्बर 1991 के अनुसार सहायक संचालक योजना के 10 पद स्वीकृत करते हुए भर्ती पदोन्नति नियम में प्रश्न में उल्लिखित विवरण अनुसार संशोधन किया गया है। **(ख)** एवं **(ग)** जी हाँ। **(घ)** स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 13-27/ 2013/20-1 दिनाँक 23.04.2014 द्वारा म.प्र. शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 में सहायक संचालक (सांख्यिकी तथा योजना) और सहायक संचालक लोक शिक्षण (शारीरिक शिक्षा) के संवर्ग का नया पदनाम सहायक संचालक, लोक शिक्षण तथा पदोन्नति के पद का नाम उप संचालक लोक शिक्षण किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। नियम प्रकाशित होने के उपरान्त आगामी कार्यवाही संभव होगी।

जिलों में पदस्थ प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की स्थिति

7. (क्र. 91) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के कितने जिलों में आज भी प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पदस्थ है? जिलों का नाम बतायें? **(ख)** क्या सितंबर 2014 में स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य से सहायक संचालक एवं सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति हो चुकी है? **(ग)** क्या उप संचालक पद पर जितनी पदोन्नतियाँ हुई हैं, वह अभी भी प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य रहे हैं, जबकि सहायक संचालकों की विधिवत् पदस्थापना कर दी गई है, क्यों? **(घ)** इस स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है? शासन उन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा बताये?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मध्यप्रदेश में केवल मण्डला जिले में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्नांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक के पदों का सृजन

8. (क्र. 97) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कुल कितने सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक के पद सृजित हैं, तथा किन-किन जिलों में मूल पदधारी एवं प्रभारी अधिकारी कार्यरत हैं? परियोजना प्रशासक का प्रभार किस स्तर के अधिकारी को दिया जा सकता है? **(ख)** क्या यह सच है कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी परियोजना प्रशासक सोहागपुर तथा जयसिंह नगर एवं विकासखण्ड अधिकारी अनूपपुर को प्रतिनियुक्ति पर भरा गया है? यदि हाँ, तो वर्णित अधिकारी का मूल पद एवं विभाग क्या है? क्या संबंधित विभाग ने सहमति पत्र प्रदान किया है? यदि हाँ, तो पत्र क्रमांक एवं दिनाँक सहित जानकारी प्रदान करें।

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : क) सहायक आयुक्त के 31 पद एवं जिला संयोजक के 67 पद सृजित हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।** परियोजना प्रशासक का पद उपायुक्त स्तर का है अपरिहार्य कारणों से प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी स्तर के अधिकारियों को प्रभार दिया जा सकता है। **(ख)** सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी एवं परियोजना प्रशासक जयसिंह नगर का पद प्रतिनियुक्ति से भरा गया है। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु पालन विभाग एवं सहायक परियोजना अधिकारी, पशु पालन विभाग। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी के पद पर पदस्थ किये जाने हेतु पशु पालन विभाग के पत्र क्रमांक 401/284/2015/पैंतीस, दिनाँक 11/02/2015 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पूर्ति

9. (क्र. 109) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय चिकित्सालयों में कितने-कितने पद किस-किस वर्ग के स्वीकृत हैं और कितने पदों की पूर्ति की जा चुकी है एवं कितने रिक्त हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? समय-सीमा बतायें नहीं, तो कारणों का उल्लेख करें। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार चिकित्सकों के पद किस दिनाँक से रिक्त हैं? समय रहते इनकी पूर्ति क्यों नहीं की गई? इसके लिए कौन उत्तरदायी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? उक्त रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? **(घ)** प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त विधानसभा क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों में जनहित की समस्याओं के निराकरण हेतु कितने-कितने पत्र स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए और उन पर प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? अवगत करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग के अधीन पद पूर्ति की कार्यवाही, लोक सेवा आयोग, एवं व्यापमं के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं विभागीय भर्ती नियमो के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही सक्षम स्तर से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** विभाग के अधीन चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की

कार्यवाही निरंतर लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** विधानसभा क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों में जनहित की समस्याओं के निराकरण हेतु अर्द्ध शासकीय प्रत्र क्रं./241/दिनाँक 06.04.2015 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनाँक 06.07.2015 द्वारा संचालनालय को प्रेषित किया गया है।

निर्माणाधीन एवं अपूर्ण स्कूल भवनों की स्थिति

10. (क्र. 125) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वाहा तहसील क्षेत्र में कितने प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक भवन, आवासीय ब्रिज कोर्स, अतिरिक्त कक्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक स्वीकृत किये गये हैं? **(ख)** 2012-13 प्रश्नांश **(क)** अवधि में स्वीकृत प्रश्नांश अनुसार कितने भवन पूर्ण हो चुके हैं कितने अपूर्ण है एवं कितने निर्माणाधीन कब से है अपूर्ण क्यों है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के भवनों की वर्तमान तक अपूर्ण स्थिति में विभाग द्वारा शिक्षक पालक संघ एवं सचिवों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्या ऐसे भवन भी है जो मौके पर अपूर्ण हैं, किन्तु उनकी राशि आहरित कर ली गई है? एवं माप पुस्तिका में भी पूर्ण होने की प्रविष्टि दर्ज हो गई है। ऐसे उपयंत्री के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है उसकी जानकारी दी जावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बड़वाह तहसील क्षेत्र में 2012-13 से 2014-15 तक 2 प्राथमिक शाला भवन, 9 माध्यमिक शाला भवन तथा 29 आवासीय ब्रिजकोर्स स्वीकृत किये गये। **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अवधि में स्वीकृत 11 कार्यों में से 08 कार्य पूर्ण, 3 कार्य अपूर्ण है। एक कार्य भूमि विवाद के कारण तथा 02 कार्य एजेंसी की उदासीनता के कारण अपूर्ण है। विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। **(ग)** निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होने से पंचायत सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही कर दो पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया। **(घ)** जी नहीं, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सात''

100 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण

11. (क्र. 134) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विकासखण्ड, बड़वाह में शासकीय अस्पताल के 100 बिस्तरीय उन्नयन की घोषणा के उपरांत स्वीकृति हुई है? **(ख)** यदि हाँ, तो 100 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण में वर्तमान में क्या प्रक्रिया चल रही है। क्या निविदा आमंत्रित कर ली गई है, यदि हाँ, तो उक्त निविदा किस कंपनी के नाम से स्वीकृत हुई है एवं वर्तमान में कितना निर्माण कार्य हो चुका है एवं कितना शेष है? **(ग)** यदि निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है या निविदा आमंत्रित नहीं की गई तो इसके लिये दोषी कौन है एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** 100 बिस्तरीय अस्पताल का कार्य कब तक प्रारंभ हो जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ, 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बड़वाह को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन की प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 14.07.2008 को प्रदान की गई है। **(ख)** कार्य की निविदा आमंत्रित की गई है एवं ठेकेदार, मेसर्स भगवती देवी कंस्ट्रक्शन, खरगौन के नाम से निविदा स्वीकृत हो गई है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध कर

लिया गया है। वर्तमान में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया हैं। भवन के निर्माण कार्य हेतु कॉलम खुदाई का कार्य चल रहा था, इसी दौरान दिनाँक 29.01.2015 को कलेक्टर खरगौन द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात साईट प्लान एवं वर्किंग ड्राईंग में संशोधन करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके संबंध में मुख्य वास्तुविद् आर.डी.डी, लोक निर्माण विभाग भोपाल को दिनाक 16.02.2015 को सूचित किया गया था। मुख्य वास्तुविद् लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/सी.ए./5134/एन-24/41/2015/842 भोपाल दिनाँक 10.06.2015 द्वारा प्रथम स्तरीय मानचित्र प्राप्त हो गये है। जिन्हें दिनाँक 12.06.2015 द्वारा ठेकेदार को वर्किंग ड्राईंग एवं स्ट्रकचरल ड्राईंग कराकर मुख्य वास्तुविद् से अनुमोदित कराने हेतु उपलब्ध करा दी गई है। मुख्य वास्तुविद् से अनुमोदित स्ट्रकचरल एवं वर्किंग ड्राईंग प्राप्त होने के पश्चात् पुनः कार्य प्रारंभ किया जावेगा। भवन निर्माण का सम्पूर्ण कार्य शेष है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर के परीप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>पीपलरावा अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा</u>

12. (क्र. 145) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पीपलरावा अस्पताल में एम्बूलेंस की सुविधा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(ख)** क्या पीपलरावा अस्पताल में एक एम्बूलेंस स्वीकृत करने की कोई योजना है या नहीं? **(ग)** पीपलरावा अस्पताल को कब तक एम्बूलेंस प्राप्त हो सकेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। पीपलरावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने से एम्बुलेंस सुविधा का प्रावधान नहीं है। किन्तु पीपलरावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जननी वाहन प्रसुताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पीपलरावा कन्या हाई स्कूल का उन्नयन</u>

13. (क्र. 146) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पीपलरावा में कन्या हायर सेकण्ड्री स्कूल स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्या कन्या हाई स्कूल को उन्नयन कर हायर सेकण्ड्री किया जा सकता है? **(ख)** क्या पीपलरावा कन्या हाई स्कूल को उन्नयन करने का प्रस्ताव विभाग के पास है? यदि है तो उक्त प्रस्ताव पर कब तक स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी? **(ग)** आगामी सत्र में पीपलरावा में कन्या हायर सेकण्ड्री स्कूल शुरू हो पाएगा या नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। कन्या शाला के उन्नयन हेतु पृथक से मापदण्ड नहीं है। **(ख)** जी हाँ। दूरी के मापदण्ड अनुसार पात्र न होने के कारण प्रस्तावित नहीं किया गया है। **(ग)** उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शासकीय प्रा.शा. इटमापार की भूमि पर अतिक्रमण</u>

14. (क्र. 162) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिला की नागौद तहसील की ग्राम पंचायत बारापत्थर की प्राथमिक पाठशाला इटमापार

की शासकीय भूमि कितनी है? उस पर किन-किन लोगों ने कब से अतिक्रमण कर भवन/मकानों का निर्माण किया है? सूची दें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो विद्यालय की भूमि पर से अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सतना जिले की नागौद तहसील की ग्राम पंचायत बारापत्थर की प्राथमिक पाठशाला इटमापार की शासकीय भूमि 0.007 हेक्टेयर है जो शिक्षा गारंटी प्राथमिक शाला के नाम दर्ज है। शाला की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

आदिवासियों को पट्टा वितरण बाबत्

15. (क्र. 164) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिले की ऊचेहरा वन परिक्षेत्र के अन्तर्गत बंदरहा एवं कदाहली वीट में 150 आदिवासी लगभग तीस वर्षों से वन भूमि पर काविज हैं? क्या उन्हें वन विभाग द्वारा उक्त आदिवासियों के विरूद्ध जराइन (मुकदमा) कायम किया जाकर, प्रताडित कर बेदखली कराया जा रहा है? **(ख)** क्या शासन की मंशानुसार वन भूमि पर जो आदिवासी काबिज हैं उनको आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा पट्टों का आवंटन किया जाना चाहिये किंतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों से अवैध परितोषण मांगने एवं न देने पर पट्टों का आवंटन नहीं किया जा रहा है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** के अतिरिक्त नागौद तहसील के वन परिक्षेत्र नागौद, ऊचेहरा पर परसमनिद पहाड़ी, गड़ौत में भी प्रशनांश **(क)** एवं **(ख)** अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क), (ख), (ग)** के परिप्रेक्ष्य में शासन जाँच कराकर अदिवासियों को आदिम जाति कल्याण विभाग को पट्टा वितरण करने के निर्देश देगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताएँ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वनभूमि पर काबिज पात्र वन निवासियों को वन अधिकार पत्र दिये जा रहे है। आदिवासियों से अवैध परितोषण मांगने के कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये है। पात्र वन निवासियों को वन अधिकार पत्र देना शेष नहीं है। **(ग)** उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के अनुसार। **(घ)** उपरोक्त के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जाँच उपरांत संबंधितों पर कार्यवाही

16. (क्र. 203) श्री संजय पाठक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नोत्तरी दिनाँक 04.03.2015 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2273 के **(क)** भाग का उत्तर जी हाँ प्रश्नांश **(ग)** एवं **(घ)** के उत्तर में यह बतलाया गया है कि उल्लेखित न्यायालयीन निर्णयों के अनुसार छानबीन समिति द्वारा पुलिस अधिकारी/सतर्कता अधिकारी से जाँच कराने के निर्देश है पूर्ण जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर छानबीन समिति की बैठक आयोजित कर प्रकरण आवश्यक जाँच कर प्रस्तुत करने का प्रावधान है तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन दिनाँक 29.01.2015 समिति को दिनाँक 12.02.2015 को प्राप्त हुआ जो सिविल अपील 5854/994 कु. माधुरी पाटिल विरूद्ध एडीशनल कमिश्नर ट्राइवल डेव्लपमेंट महाराष्ट्र में पारित निर्णय दिनाँक 02.09.2014 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नहीं है प्रकरण छानबीन समिति के समक्ष जाँच

कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत निर्णय हेतु रखा जायेगा? **(ड.)** का उत्तर जाँच की कार्यवाही प्रचलित है दिया गया है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर यदि जी हाँ है तो उत्तर में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार यदि कोई कार्यवाही की गई है तो कार्यवाही संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराये? जाँच कार्यवाही किस स्तर पर है? प्रश्न दिनाँक तक उसमें क्या प्रगति हुई है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अभी तक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया में क्या-क्या कार्यवाही की गई है बतायें? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों? कब तक की जाएगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कार्यालयीन पत्र क्रमांक/जाप्रसमिति/1025/2012/7146 दिनाँक 31/03/2015 से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल को बिन्दु क्रमांक 01 से 05 के संबंध में मानव सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 5854/1994 दिनाँक 02/09/1994 कु माधुरी पाटिल विरूद्ध एडिशनल कमिश्नर ट्रायबल डेवलेपमेंट महाराष्ट्र राज्य में दिये गये निर्देशों के अनुरूप उक्त पायी गई कमियों की पूर्ति सहित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है, जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जाँच कार्यवाही पुलिस स्तर पर लंबित है। **(ग)** म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक/एफ 7-1-96-आ.प्र.-एक दिनाँक 08 सितम्बर 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप पुलिस जाँच उपरांत छानबीन समिति द्वारा निर्धारित जाँच प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। यह एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही में समय लगना संभावित है। समय-सीमा बतलाई जाना संभव नहीं है।

<u>घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ (बंजारा) जाति बस्ती विकास अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति</u>

17. (क्र. 247) श्री मेव राजकुमार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति क्षेत्र विकास योजनांतर्गत विकास कार्यों को करने हेतु वर्ष 2014-15 में कितना बजट प्रावधान किया जाकर विभाग को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? विभाग द्वारा कितनी राशि प्रश्न दिनाँक तक कितने कार्यों में कितनी राशि स्वीकृत करते हुये कितने कार्य प्रारंभ किये जाकर कितने कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि अनुपयोगी होकर शेष हैं? **(ख)** प्रश्न **(क)** के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र महेश्वर की जनपद पंचायत महेश्वर एवं बड़वाह क्षेत्र अंतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ बस्तियों विकास हेतु (बंजारा समाज की टांडा बस्तियों में) कितने प्रस्ताव, कब-कब, विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये? **(ग)** प्रश्न **(ख)** के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कब प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये? कितने प्रस्तावों में कितने कार्य कितनी लागत के एवं कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये? यदि नहीं, तो कारण बतावें? **(घ)** क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लगभग एक वर्ष की अवधि के पश्चात भी कार्यों में तकनीकी, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है? क्या यह कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता का प्रतीक नहीं है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं एवं इनके विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत विकास कार्यों को करने हेतु वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 330.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया। विभाग द्वारा राशि रूपये 225.00 लाख 57 कार्यों हेतु स्वीकृत की गई। एवं शेष राशि रूपये 105.00 लाख विधिवत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण समर्पण की गई। **(ख) जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पत्रक "अ" अनुसार है। (ग) प्रश्न **(ख)** के संदर्भ में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, खरगौन के पत्र क्रमांक/1607/आदिम/निर्माण/2015, दिनाँक 25. 2. 2015 एवं पत्र क्रमांक/3690आदिम/निर्माण/2015, दिनाँक 25.4.2015 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** में ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव एवं जनसंख्या का पत्रक नहीं होने से संचालनालय के पत्र क्रमांक 121, दिनाँक 13.5.2015 द्वारा सहायक आयुक्त, खरगौन से ठहराव प्रस्ताव/जनसंख्या पत्रक चाहे गये है, जो सहायक आयुक्त, खरगौन के पत्र क्रमांक/672/आदिमजा./निर्माण, दिनाँक 29.6.2015 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महेश्वर एवं बड़वाह से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु लिखा गया है। नियमानुसार प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। **(घ)** प्राप्त प्रस्तावों में वचनबद्धता प्रमाण पत्र जनसंख्या दर्शाने वाले पत्रक एवं तकनीकी स्वीकृति संलग्न नहीं होने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महेश्वर एवं बड़वाह को प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है, कार्यवाही में प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ है, इसलिये कोई दोषी नहीं है।

अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत कार्यों की स्वीकृति

18. (क्र. 248) श्री मेव राजकुमार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जाति बस्ती क्षेत्र विकास योजनांतर्गत विकास कार्यों को करने हेतु वर्ष 2014-15 में पश्चिम निमाड़ (खरगोन) जिले हेतु कितना बजट प्रावधान किया जाकर विभाग को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? विभाग द्वारा कितनी राशि प्रश्न दिनाँक तक व्यय की गई एवं कितनी राशि अनुपयोगी होकर शेष है? **(ख)** प्रश्न **(क)** के संदर्भ में विधान सभा क्षेत्र महेश्वर की जनपद पंचायत महेश्वर एवं बड़वाह क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास हेतु कितने प्रस्ताव, कब-कब, विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये? **(ग)** प्रश्न **(ख)** के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कब प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये? कितने प्रस्तावों में कितने कार्य कितनी लागत के एवं कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये? यदि नहीं, तो कारण बतावें? **(घ)** क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लगभग एक वर्ष की अवधि के पश्चात भी कार्यों में तकनीकी, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है? यदि हाँ तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं एवं इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में रूपये 81.82 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी थी। स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' अनुसार** है। **(घ)** परीक्षण उपरांत 04 कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी है। शेष 06 कार्य नियमानुसार न होने के कारण स्वीकृत नहीं किये गये हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

निजी चिकित्सालय द्वारा जाँच के मनमाफिक रेट

19. (क्र. 263) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले में कितने निजी चिकित्सालय पर संचालित है उनमें

से कितनों का अब तक चिकित्सा विभाग में पंजीयन हो चुका है कितनो का नहीं ? **(ख)** उक्त जिले में कितने नर्सिंग होम के पास स्वंय की परिसर में सोनोग्राफी सेन्टर, लेबोरेटरी संचालित हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** जिलान्तर्गत गत 1 जनवरी 2013 के पश्चात निजी लेबोरेटरी, सोनोग्राफी सेन्टर के खिलाफ कितनी शिकायत दर्ज कराई गई क्या विभाग द्वारा निजी नर्सिंग होम एवं निजी सोनोग्राफी एवं ब्लड टेस्ट एवं अन्य टेस्ट हेतु निश्चित शुल्क हेतु कोई नीति बनाई जा रही है? यदि हाँ, तो अवगत करावे? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** संदर्भित शिकायत उपरांत किस-किस नर्सिंग होम के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) उज्जैन जिले में 45 निजी चिकित्सालय संचालित है जिनमें 19 नर्सिंग होम एवं 26 अस्पताल हैं। उपरोक्त 45 निजी चिकित्सालयों का पंजीयन चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया है। **(ख)** 10 नर्सिंग होम एवं 11 अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन परिसर में संचालित है इसी प्रकार 1 नर्सिंग होम एवं 8 अस्पताल परिसर में लेब संचालित है। **(ग)** 1 जनवरी 2013 के पश्चात निजी लेबोरेटरी, सोनोग्राफी सेन्टर के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निजी चिकित्सा (नर्सिंग होम), समाज सेवा हेतु भूमि आवंटन

20. (क्र. 264) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में चिकित्सा एवं समाज सेवा एवं शिक्षा के लिये भूमि का रियायत दरों पर आवंटन 1 जनवरी 2010 के पश्चात कहाँ-कहाँ किया गया? **(ख)** उक्त कितने आवंटियों ने चिकित्सालय एवं अन्य समाज सेवा कार्य हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए? **(ग)** रियायती दरों पर आवंटन एवं उसकी जाँच के संबंध में क्या प्रक्रिया एवं नियम निर्धारित है, क्या आवंटियों द्वारा समस्त नियमों का पूर्ण पालन किया गया है? यदि नहीं, तो उन्हें क्या-क्या छूट दी गई है? क्या रियायती दरों पर भूमि प्राप्त कर निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय आर्थिक रूप से कमजोरों का नि:शुल्क इलाज नहीं कर रहे है? यदि हाँ, तो क्या विभाग इनके इलाज हेतु कोई कार्यवाही करेगा? **(घ)** क्या गत 5 वर्षों में रियायत दरों पर भूमि आवंटन एवं निर्माण कार्य के बाद जिनकी सेवा गतिविधियां एवं चिकित्सालय स्कूल आदि बंद है उन्हें शासन भूमि वापस लेने हेतु बाध्य करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) चिकित्सा के क्षेत्र में जनवरी 2010 के पश्चात से आज दिनाँक तक किसी को भी रियायत दरों पर भूमि आवंटित नहीं की गई है। **(ख)** से **(घ)** निरंक।

छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में अनियमितता

21. (क्र. 333) श्रीमती ललिता यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर श्रम विभाग द्वारा छतरपुर विधान सभा क्षेत्र में किस-किस शासकीय व अर्द्धशासकीय विद्यालय एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में छात्रवृत्ति दी गई? स्कूल का नाम, छात्र-छात्रा का नाम, पिता का नाम, कौन सी कक्षा में अध्ययन के दौरान कितनी-कितनी छात्रवृत्ति की राशि दी गई, विद्यालय, महाविद्यालय की पृथक-पृथक

जानकारी प्रदान करें? **(ख)** छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा प्रदान की गई राशि नगद या चैक द्वारा दी गई? **(ग)** छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में गड़बड़ी कहाँ-कहाँ की गई? उन विद्यालय व महाविद्यालयों के नाम सहित बतायें व इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये उन संस्थाओं के नाम, संचालक का नाम, गबन की राशि सहित बतायें? **(घ)** छात्रवृत्ति देने के क्या नियम हैं?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) वर्ष 2012-13 में वितरित किये गए छात्रवृत्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। फर्जी छात्रवत्ति वितरण संबंधी शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही तथा छतरपुर श्रम कार्यालय में उपलब्ध छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त रिकार्ड पुलिस अभिरक्षा में होने के कारण वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। **(ख)** राशि संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख/प्राचार्य को एकाउंट पेयी चैक द्वारा दी जाती थी तत्पश्चात् संस्था प्रमुख/प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में राशि जमा की जाती थी। **(ग)** प्रकरण में तत्कालीन श्रम पदाधिकारी द्वारा सिविल लाइन थाना छतरपुर में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। प्रकरण की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।**

सिविल अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना

22. (क्र. 362) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला स्तर एवं विकास खंड स्तर पर संचालित सिविल अस्पतालों (50 बिस्तरीय एवं उससे अधिक एवं 100 बिस्तरीय एवं उससे अधिक) कितने विशेषज्ञ/चिकित्सक नियुक्त करने एवं कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? **(ख)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर सिविल अस्पताल संचालित है, इन संचालित अस्पतालों में प्रश्नांश **(क)** के प्रावधानानुसार विशेषज्ञ/चिकित्सक नियुक्त होकर सुविधायें उपलब्ध है या नहीं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से विशेषज्ञ/चिकित्सक के पद रिक्त है, कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध नहीं है? **(ग)** प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश **(क)** के प्रावधान अनुसार चिकित्सक नियुक्ति करने एवं सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कब-कब किस अधिकारी को पत्र प्राप्त हुये प्राप्त पत्रों के क्रम में क्या-क्या कार्यवाही की जाकर कौन-कौन से चिकित्सक नियुक्त किये एवं कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराई गई? पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्रों पर कोई समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने पर धरना प्रदर्शन किया गया था या नहीं? यदि हाँ, तो तिथि बतावें। प्रशासन के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया था या नहीं? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता को प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया था बतावे? आश्वासन अनुसार क्या-क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। **(ख)** गंजबासौदा में 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल संचालित है। जी हाँ। उक्त संस्था में कुछ विशेषज्ञ, चिकित्सक के पद रिक्त हैं। विशेषज्ञ, चिकित्सक के रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नकर्ता के दिनाँक 07.04.2015 एवं 09.05.2015 को 02 पत्र प्राप्त हुये हैं। प्राप्त पत्रों के क्रम में चिकित्सक विशेषज्ञ के पद पदोन्नति से भरा जाना है। पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। चिकित्सा अधिकारी के पद लोक सेवा आयोग से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर 02-03 चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना की

जाने की कार्यवाही की जावेगी। प्रश्नकर्ता को की जाने वाली कार्यवाही का संबोधित पत्र दिनाँक 22.04.2015 के पत्र की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। दिनाँक 12 व 13 मई 2015 को। जी हाँ। जी हाँ। प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर में अंकित अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट – "आठ"

केचमेन्ट (भराव) एरिया में शाला भवन निर्माण

23. (क्र. 363) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विदिशा जिले अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय कन्या माध्यमिक शाला त्यौंदा भवन बर्धरू मध्यम परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आने से नवीन भवन का निर्माण अन्य स्थान पर किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित नवीन भवन का निर्माण केचमेन्ट एरिया एवं भवन के ऊपर 11000 बोल्ट की लाइन निकली हुई है या नहीं? यदि हाँ, तो इस नवीन भवन का निर्माण किसकी अनुमति से किसके द्वारा, कितनी लागत, किस निर्माण ऐजेन्सी द्वारा किया गया है? अनुमतिकर्ता अधिकारी का नाम बतावें। **(ग)** शाला भवन का निर्माण भराव क्षेत्र में किये जाने से बारिश के दौरान भवन के चारों और पानी भर जाने से शाला भवन की दीवारों में दरारे पड़ गई हैं, तथा शाला भवन में बारिस में कक्षाएं संचालित नहीं हो पाती हैं, हाईवोल्टेज लाइन के कारण खतरा पैदा हो गया है, इसकी जाँच कर दोषी के विरूद्ध भवन निर्माण की लागत वसूली की कार्यवाही करते हुये नया भवन बनाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी नहीं, नवीन शासकीय कन्या शाला भवन का निर्माण कैचमेन्ट एरिया एवं डूब क्षेत्र में नहीं किया गया हैं। 11000 वोल्ट की लाईन नवीन भवन के एक किनारे से निकली है। शासकीय कन्या माध्यमिक शाला भवन के निर्माण हेतु तत्समय जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकरियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा भूमि की उपलब्धता अनुसार ग्राम त्यौंदा स्थित खसरा नम्बर 45 रकबा 0.418 हेक्टयर भूमि का चयन किया गया था तथा इस भवन के निर्माण की लागत रू. 17.24 लाख है। जिसका निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा मेसर्स गुप्ता कन्सट्रक्शन, 'स' श्रेणी ठेकेदार, बासौदा द्वारा कराया गया। **(ग)** जल भराव की स्थिति नहीं है और न ही भवन की दीवारों में दरारे है। वस्तुतः स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय संचालन के लिए नवीन भवन का आधिपत्य नहीं लिया गया है और न ही भवन में कक्षायें संचालित हो रही है। विद्युत वितरण कंपनी से सत्यापन उपरान्त ही भवन का आधिपत्य प्राप्त करने एवं कक्षायें संचालित करने संबंध में निर्णय लिया जायेगा। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

पन्ना जिले के स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालयों में पदस्थ डॉक्टर/स्टॉफ

24. (क्र. 379) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पन्ना जिले के स्वास्थ्य केन्द्र मोहन्द्रा, पवई, सिमरिया, रैपुरा, शाहनगर, हरदुआखमरिया आदि चिकित्सालयों में कितने महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर एवं कितने स्टॉफ नर्स के पद स्वीकृत हैं कितने कार्यरत हैं? हॉस्पिटलवार सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** चिकित्सालयों में खाली

पदों की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही कारण सहित बतावें? अगर पूर्ति की जायेगी तो कब तक समय बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध मात्र 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। हाल ही में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है तथा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा 1896 चिकित्सकों की भर्ती हेतु विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया है। चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी। स्टॉफ नर्सों की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "नौ"

भण्डार क्रय नियमों का विधिवत पालन नहीं

25. (क्र. 415) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड ने वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक पलंग, गद्दे, चदरें, ए.सी., पंखा, कूलर, वाटर कूलर किस क्रय आदेश के तहत कहाँ से क्रय किये गये हैं, स्टाक रजिस्टर स्थाई/अस्थाई पर प्रविष्ट की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित अवधि में कौन सी सामग्री किस दिनाँक को राइट ऑफ की गई उसको नीलाम करने के लिए क्या मापदण्ड हैं, किस स्तर के अधिकारी द्वारा जाँच कर राइट ऑफ के लिए नष्ट करने के लिए आदेश जारी किया गया? **(ग)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड द्वारा प्रश्नांश **(क)** में वर्णित अवधि में वर्णित सामग्री को कब-कब नीलाम की गई? नीलाम से कितनी राशि प्राप्त हुई? राशि कहाँ पर जमा की गई? क्या उपयोग में लाई गई सामग्री की मरम्मत कर उपयोग में लाई जा सकती थी? यदि हाँ, तो मरम्मत करवाकर उपयोग में क्यों नहीं लाई गई? **(घ)** जिला भिण्ड के चिकित्सालयों में किस कक्ष में कूलर पंखा ए.सी. और एल.सी.डी. लगी हुई कहाँ पर खराब है, उनकी कब तक मरम्मत हो जायेगी जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक पंलग, गद्दे, चादरें, ए.सी., पंखा, कूलर, वाटर कूलर के क्रय आदेश क्रमांक/दिनाँक एवं संस्था के नाम सहित स्थाई स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित अवधि में जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में सामग्री राइट ऑफ की कार्यवाही नहीं की गई है। केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फूप में सामग्री राईट ऑफ की गई है। जिसकी कार्यवाही विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "ब" अनुसार है।** समिति द्वारा कण्डम की गई उपकरण सामग्री को नीलाम करने के लिए निविदा द्वारा दरें निर्धारित कर निविदा समिति के अनुमोदन पर अधिकतम प्राप्त दरों पर विक्रय कर शासकीय कोष में राशि जमा करवाने का प्रावधान है। वित्तीय सीमा के अन्तर्गत ब्लॉक मेडीकल ऑफीसर के आदेश से राइट ऑफ की कार्यवाही की गई। **(ग)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के अन्तर्गत जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में केवल ब्लॉक मेडीकल ऑफिसर फूप द्वारा सामग्री की नीलामी वर्ष 2012 में दिनाँक 30.08.2012 एवं वर्ष 2014 में दिनाँक 12.08.2014 की गई है जिससे प्राप्त राशि रू. 7230/- एवं रू. 5480/- रोगी कल्याण समिति मे जमा करवाई गई है।

विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब पर संलग्न है। कण्डम कर नीलाम की गई सामग्री पूर्णतः अनुपयोगी होने के कारण उपयोग में नहीं लाई जा सकती थी। **(घ)** जिला भिण्ड के चिकित्सालयों में पेशेन्ट वार्ड, ओ.टी., पेथोलोजी लेब एवं कार्यालयों में कूलर पंखा, ए.सी. एवं एल.सी.डी. एन.आर.सी. में लगे हुयें है एवं चालू स्थिति में है। स्वास्थ्य केन्द्रों से उक्त के खराब होने की कोई भी सूचना कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

<u>जे.ए. हॉस्पिटल ग्वालियर में पदस्थ स्टॉफ</u>

26. (क्र. 490) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जे.ए. हॉस्पिटल ग्वालियर में कौन-कौन डॉक्टर/कर्मचारी पदस्थ है? उनका नाम, पद , पदस्थापना दिनाँक स्पष्ट करें? क्या शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार एक ही स्थान पर इतने अधिक समय से पदस्थ डॉक्टर/कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानातंरण किया जावेगा? **(ख)** क्या मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर में पदस्थ लेखा अधिकारी श्री अनिल सारस्वत की कई शिकायतें की गई है? यदि हाँ, तो क्या इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? श्री अनिल श्रीवास्तव लेखा अधिकारी कब से पदस्थ है क्या शासन की स्थानांतरण नीति के आधार पर अन्यत्र स्थानांतरण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जनपद सीईओ की शिकायत पर कार्यवाही</u>

27. (क्र. 495) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दि. 18-05-2015 को जिला पंचायत खरगोन की बैठक में प्रश्नकर्ता द्वारा भगवानपुरा जनपद सी.ई.ओ. की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा जिला पंचायत कार्यालय खरगोन को ग्राम पंचायतों की वेबसाइट संबंधी लिखे पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। **(ग)** वर्ष 2014-15 में जनपद पंचायत खरगोन द्वारा 13वें वित्त परफारमेंस ग्रांट निधि से स्वीकृत बैजापुरा में 5 लाख की पुलिया निर्माण क्यों रद्द कर दिया गया? **(घ)** क्या यह सत्य है कि खरगोन जिले में पंच परमेश्वर योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त राशि का 20% United Fund के रूप में संरक्षित रखा जाता है? यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14, 2014-15 में इस राशि के उपयोग से कराये कार्यों की सूची देवें।

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) मुख्य कार्य पालन अधिकारी, जनपद पंचायत भगवानपुरा को "कारण बताओ सूचना पत्र" जारी किया गया है। **(ख)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। **(ग)** पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 समाप्त होने के पश्चात नवगठित सामान्य प्रशासन समिति द्वारा म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 45 पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाये गये विषयों पर पुर्नविचार नियम के अनुसार तत्कालीन सामान्य प्रशासन की बैठक दिनाँक 25.5.2015 में छः माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व में पारित विषयों पर पुर्नविचार करने संबंधी प्रावधान होने से वर्तमान सामान्य प्रशासन समिति द्वारा निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत बैजापुरा क्षेत्र में उक्त अनुमोदित पुलिया के स्थान पर सामुदायिक भवन मांगरूल बुजुर्ग की स्वीकृति हेतु अनुमोदन

किया गया जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी वर्तमान तक जारी नहीं की गई एवं प्रस्ताव अनुमोदन हेतु कलेक्टर को भेजा गया। **(घ)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>प्रतिनियुक्ति से आये लोक सेवकों की निर्धारित अवधि से अधिक पदस्थापन</u>

28. (क्र. 497) श्री मधु भगत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनपद पंचायत परसवाड़ा जिला बालाघाट में कौन-कौन से लोक सेवक कब से पदस्थ है? इनमें से कौन-कौन किस विभाग से किस पद पर प्रतिनियुक्त है, इनका मूल विभाग में पदनाम, वेतनमान क्या है? **(ख)** उपरोक्त प्रतिनियुक्ति पर आये लोक सेवकों की निर्धारित 4 वर्ष से अधिक अवधि किस-किस की पूर्ण हो चुकी है तथा निर्धारित अवधि से अधिक प्रतिनियुक्ति बढ़ाने के लिये क्या दोनों विभागों से सहमति/अनापत्ति ली गई? यदि हाँ, तो प्रति बतायें? **(ग)** उपरोक्त लोक सेवकों को उक्त पदस्थीकरण अवधि में क्या-क्या कार्य सौंपे गये, कार्य का नाम, कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्य के विरूद्ध या कर्तव्यों के संबंध में क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई? **(घ)** उपरोक्त लोक सेवकों के कार्यों कर्तव्यों पर निगरानी नियंत्रण हेतु किस-किस प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि में निरीक्षण किया गया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में अनुसार है। (ख) एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में अनुसार है। (घ)** उपरोक्त लोक सेवकों के कार्यों एवं कर्तव्यों पर निगरानी नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला परियोजना संमन्वयक आदि द्वारा निरीक्षण किया गया है।

<u>कन्या हाई स्कूल राहतगढ का उन्नयन</u>

29. (क्र. 517) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत विकासखंड राहतगढ़ मुख्यालय पर संचालित शासकीय कन्या हाईस्कूल राहतगढ़ बाबत् लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश को प्रस्ताव भिजवाये थे तथा लोक शिक्षण मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक योजना/घ/उन्नयन/2014-15/01 भोपाल दिनाँक 23 जनवरी 2015 के द्वारा अवगत कराया था कि कन्या शाला हेतु शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित न होने से कठिनाई है? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक शिक्षा/एफ-7/2015/400 सागर दिनाँक 22.5.2015 के द्वारा शासन से बालक एवं कन्या हाई स्कूलों के हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने संबंधी शासान द्वारा निर्धारित अलग-अलग मापदंडों के आदेशों की प्रतियां एवं शासन द्वारा कन्या हाई स्कूल के हायर सेकेण्डरी में उन्नयन न किये जाने बाबत जारी आदेश की प्रति अब तक क्यों उपलब्ध नहीं करवायी जा रही हैं? पत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार आदेश एवं निर्देशों की प्रतियां कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? **(ग)** नियमों की उपलब्धता के आधार पर विकासखंड मुख्यालय पर केवल एक हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होने एवं उसमें दर्ज संख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुये कन्या हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी का दर्जा कब तक दे दिया जावेगा, अथवा एक और नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल कब तक प्रारंभ करा दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। कन्या हाईस्कूल- हायर सेकेण्डरी के लिये कोई पृथक से मापदण्ड नहीं है। हाईस्कूल-हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने के मापदण्ड हैं, जिनमें बालक और कन्या दोनों प्रवेश ले सकते हैं। **(ख)** निर्धारित मापदण्ड की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग)** बजट की उपलब्धतानुसार स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''दस''

रोगी कल्याण समिति की बैठकों हेतु दिशा-निर्देश

30. (क्र. 554) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन के निर्देशानुसार रोगी कल्याण समिति की बैठकों के संचालन हेतु क्या दिशा निर्देश प्रचलन में है? प्रति उपलब्ध करावें व यह भी बताएं कि समिति में कौन-कौन सदस्य शामिल होते हैं? **(ख)** सी.एच.सी. करैरा व नरवर जिला शिवपुरी की जनवरी 2014 से जून 2015 तक कितनी-कितनी बैठकें आयोजित की गई, की जानकारी दिनाँक व ऐजेंडा सूची सहित दी जावें? क्या आयोजित बैठकें में स्थानीय विधायक को भी आमंत्रित किया गया है? यदि हाँ, तो आमंत्रण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत करावें? यदि नहीं, तो न बुलाने के क्या कारण हैं? **(ग)** नीति निर्देशों के अनुसार रोगी कल्याण समिति को किन-किन श्रोतों से आय प्राप्त होती है? **(घ)** दिनाँक 14 जनवरी 2014 से जून 2015 तक प्रश्नांश **(ग)** के अनुसार कहाँ-कहाँ से आय हुई व प्राप्त आय में से किन-किन कार्यों में व्यय हुआ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) रोगी कल्याण समिति की बैठकों के संचालन के दिशा निर्देश व सदस्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार है।** (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नरवर में जनवरी 2014 से जून 2015 तक कार्यकारिणी की बैठक दिनाँक 21/02/2014 को आयोजित की गई। बैठक का एजेण्डा एवं कार्यवाही विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। दिनाँक 27/03/2015 को साधारण सभा की बैठक आयेजित की गई थी। इस हेतु माननीय विधायिका महोदया को आमंत्रित किया गया था, परन्तु माननीय विधायिका महोदया द्वारा बैठक के निरस्त करने की सूचना प्राप्त होने के कारण बैठक आयोजित नहीं हो सकी। आमंत्रण पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करेरा में जनवरी 2014 से आज दिनाँक तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** वर्तमान में रोगी कल्याण समिति को निम्न स्त्रोतो से आय होती है - 1. ओ.पी.डी./आई.पी.डी./प्रायवेट वार्ड (जिला चिकित्सालय में) से लिए जा रहे शुल्क से। 2. दानदाताओं द्वारा। 3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन से अनटाईटेड फंड। 4. रोगी कल्याण समिति द्वारा पूर्व में निर्मित दुकानों से प्राप्त आय। **(घ)** दिनाँक 14 जनवरी 2014 से 2015 तक की आय व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार** है।

स्कूल शिक्षा विभाग व्दारा शालाओं में प्रदत्त सुविधाएँ

31. (क्र. 555) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन के नीति अनुसार, प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में क्या-क्या मूलभूत व अन्य आवश्यक सुविधाएँ देने का प्रावधान है? **(ख)** क्या विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा जिला शिवपुरी में प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कहाँ-कहाँ

सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा रहीं हैं? उनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेंगी? **(ग)** क्या उपरोक्त प्रश्नांश **(ख)** से संबंधित सुविधा देने हेतु शाला प्रधान, बी.आर.सी.सी., बी.ई.ओ., डी.ई.ओ. आदि अधिकारियों द्वारा पत्र व्यवहार किया गया है? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए बतावें कि पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विद्यालयों में शाला भवन, शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, बाउंड्रीवाल, पुस्तकालय एवं विद्युत व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधायें देने का प्रावधान है। **(ख)** विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा अंतर्गत 534 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालायें है। जिनमें 6 नवीन तथा 10 युक्तियुक्तकरण से स्वीकृत भवन विहिन प्राथमिक शालाओं में मूलभूत सुविधायें नहीं है एवं 313 शालाओं में बाउंड्रीवाल को छोड़कर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है जिसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। जिले की वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया जिसमें 16 भवन विहिन शालाओं में से 06 शाला भवनों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है शेष 10 शालाओं में 3-3 कक्ष तथा बाउंड्रीवाल की स्वीकृति अपेक्षित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**वर्ष 2014-15 में हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रवेशित छात्र**</u>

32. (क्र. 570) श्री लखन पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले में विकासखण्ड दमोह पथरिया एवं बटियागढ़ में संचालित शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में माह जुलाई 2014 से 12वीं कक्षा में पृथक-पृथक स्कूलों में कितने-कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? **(ख)** उक्त वर्ष में प्रवेश प्राप्त करने वाले कितने-कितने छात्र माह मार्च, 2015 में वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सके, कितने-कितने छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सके? **(ग)** नियमित छात्र जो परीक्षा में शामिल नहीं हो सके क्या उन्हें स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में शामिल कराया गया? यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है? अलग-अलग स्कूलवार जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** कुल प्रवेशित छात्र संख्या 4069 में से वार्षिक परीक्षा में 4054 छात्र सम्मिलित हुए। 15 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। जो नियमित छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, उन्हें स्वाध्यायी छात्र के रूप में शामिल किया गया, जिनकी संख्या 488 है। शालावार सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>**परिशिष्ट - "ग्यारह"**</u>

<u>**श्योपुर जिला चिकित्सालय में सुविधाएं का अभाव**</u>

33. (क्र. 578) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या-40 (क्रमांक-1214) दिनाँक 25.02.2015 के प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में श्योपुर जिला चिकित्सालय में डिजीटल एक्स-रे, सोनोग्राफी मशीन क्रय करने हेतु दो बार निविदा बुलाने, दोनों बार मात्र दो फर्मों से दरे प्राप्त होने के कारण उन्हें निरस्त करने तथा प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हिमोडायलीसिस मशीन स्थापित

करने की प्रक्रिया प्रचलन में होने के तथ्य से अवगत कराया गया है। **(ख)** यदि हाँ, तो बतावे कि क्या तीसरी बार उक्त मशीनों को क्रय करने हेतु निविदा बुलाई है व कब? हिमोडायलीसिस मशीन स्थापित करने के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण/शेष रह गई है? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? **(ग)** जिला चिकित्सालय में आई.सी.यू. की स्थापना कब तक की जावेगी? **(घ)** वर्तमान स्थिति में जिला चिकित्सालय में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के चिकित्सकों के कितने पद कब से व किन कारणों से रिक्त हैं? इन्हें कब तक भरा जावेगा? **(ड.)** क्या यह सच है कि उक्त मशीनों का अभाव, चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण जिले के मरीज उपचार हेतु अन्यत्र जाने को विवश हो रहे हैं? यदि हाँ, तो उक्त मशीनों की स्थापना/रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। दिनाँक 20/04/2015 को। जिला चिकित्सालय श्योपुर में हीमोडायलिस मशीन स्थापित करने हेतु भवन निर्माण के लिए टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण की गई है एवं स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। समय-सीमा बताना संभव नहीं। **(ग)** जिला चिकित्सालय श्योपुर में आई.सी.यू. की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताना संभव नहीं। **(घ)** वर्तमान स्थिति में जिला चिकित्सालय में प्रथम श्रेणी चिकित्सकों के 15 पद दिनाँक 08/04/2011 से रिक्त है। एंव द्वितीय श्रेणी विशेषज्ञों का कोई पद रिक्त नहीं है। विशेषज्ञों की कमी होने के कारण पद रिक्त है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में। **(ड.)** जी नहीं, क्योकि वर्तमान में जिला चिकित्सालय श्योपुर में 100 बिस्तरीय चिकित्सालय के मान से सुविधाएं आम मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

सामु. स्वास्थ्य केन्द्र बड़ोदा के भवन निर्माण की स्वीकृति

34. (क्र. 579) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ोदा में समस्त श्रेणी के चिकित्सकों/स्टॉफ के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं उसमें से कौन-कौन से पद कब से व किन कारणों से रिक्त पड़े हैं? इन्हें भरने हेतु क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या उक्त केन्द्र वर्तमान में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने सुविधा विहीन भवन में ही संचालित हैं? चिकित्सकों की कमी व जगह के अभाव के कारण मरीजों को बेड व अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं नतीजतन मरीज उपचार हेतु अन्यत्र जारी को विवश हो रहे हैं? **(ग)** क्या नवीन भवन का सर्वे कार्य आर्किटेक्ट द्वारा वर्ष 2013 में ही निपटा लिया था के बावजूद विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण वर्तमान तक आर्किटेक्ट की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है? **(घ)** यदि हाँ, तो उदासीनता के लिये उत्तरदायी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए यथाशीघ्र उक्त प्रक्रिया को पूर्ण कराकर नवीन भवन निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार करके इसे चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक/वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में शामिल करने उपरांत इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध मात्र 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत 02 पद भरे हैं। पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु हाल ही में म.प्र. व्यापम द्वारा परीक्षा का

आयोजन किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी। एन.एच. एम. अंतर्गत संविदा नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। **(ख)** जी हाँ, वर्तमान संस्था पुराने भवन में संचालित हो रहा है, पदस्थ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। **(ग)** जी नहीं, आर्किटेक्ट का कार्य आदेश दिनाँक 10.04.2015 को दिया गया है। सर्वे उपरांत कन्सेप्ट प्लान तैयार करने का कार्य प्रचलन में है। कन्सेप्ट प्लान के अनुमोदन पश्चात प्राक्कलन का प्रस्ताव स्थाई वित्त समिति के समक्ष प्रशासकीय स्वीकृति हेतु यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा। **(घ)** उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "बारह"</u>

<u>सदन को दी गई भ्रामक जानकारी के संबंध में</u>

35. (क्र. 615) श्री संजय पाठक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परि. अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 1668) दिनाँक 25.2.15 के उत्तरांश **(क)** के अनुसार जब किसी तहसील या जिला विशेष को उपकृत नहीं किया जाता तो कृपया जबलपुर जिले की सिहोरा, मझौली व पनागर तहसील के स्वीकृत आवेदनों की एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त आवेदनों की संख्या प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नाधीन प्रश्न के उत्तरांश के अनुसार कटनी जिले में 2103 आवेदन स्वीकृत एवं 541 आवेदन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजे जाना बतलाया गया? तो बतायें कि उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन डाक के व्दारा प्राप्त हुए एवं कितने आवेदन सीधे कार्यालय में दलालों के व्दारा जमा किये गये? पृथक-पृथक सूची दें? **(ग)** उक्त प्रश्न के उत्तरांश के अनुसार किस दिनाँक से सुनील श्रीवास्तव के हूबहू जाली हस्ताक्षर वाले बीड़ी कार्डो पर लाभ देने पर रोक लगाई गई एवं उसके पहले कितने लोगों को उस हूबहू हस्ताक्षर वाले कार्डो पर लाभ दिया गया एवं रोक लगाने के बाद उन जाली हूबहू हस्ताक्षर वाले कार्डधारकों पर कोई कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? फर्जी हस्ताक्षर करके जिन लोगों ने नकली कार्ड जारी किये उनकी जानकारी के लिये कोई कमेटी बनी? यदि नहीं, तो विभाग ने इतने बड़े भ्रष्टाचार को जाँच का विषय क्यों नहीं माना? **(घ)** उक्त प्रश्न के उत्तरांश के अनुसार यदि एक ही परिवार के कई लोगों को लाभ नहीं दिया गया तो कृपया कटनी जिले की आवास योजना की स्वीकृति सूची प्रदान करें? **(ड.)** आवास योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन तकनीकी अधिकारियों व्दारा किया जाता है या डॉक्टर, फार्मासिस्ट, डी सी ए या कार्यालयीन कार्य में संलग्न लोगों के व्दारा जो मकान संबंधी सत्यापन का ज्ञान नहीं रखते? विभाग व्दारा उक्त प्रश्न के उत्तर भ्रामक है जैसे श्रम मंत्रालय भारत सरकार व्दारा कोई भी जाँच करवाना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं? **(च)** क्या विभाग इस बड़े पैमानें में हुये एवं वर्तमान में चल रहे भ्रष्टाचार के विरूद्ध केन्द्रीय जाँच एजेंसियों से जाँच कराये जाने हेतु अनुशंसा करेगा? नहीं तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) आवेदनों का अभिलेख तहसीलवार न रखा जाकर जिलेवार रखा जाता है। विगत 05 वर्षों में जबलपुर जिले के 6124 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। **(ख)** डाक से प्राप्त होने वाले एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने वाले आवेदनों का अभिलेख पृथक से संधारित नहीं किया जाता है। **(ग)** (1) कल्याण एवं उपकर आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, जबलपुर द्वारा दिनाँक 01.05.2012 को जारी परिपत्र के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हेतु प्रस्तुत आवेदनों जिनमें सुनील श्रीवास्तव द्वारा जारी परिचय-पत्र संलग्न हों, उन्हें तत्काल औषधालय स्तर पर ही निरस्त करते हुए संबंधित श्रमिक की वास्तविकता की जाँच कर नवीन परिचय-पत्र बनाये

जाने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये गये। (2) श्रम निरीक्षक द्वारा जारी परिचय पत्रों के माध्यम से लाभ प्रदान करने हेतु आवेदनों का पृथक-पृथक डाटा संधारित नहीं किया जाता है। अतः यह पहचान संभव नहीं है कि कौन से परिचय पत्र सुनील श्रीवास्तव द्वारा जारी किये गए है और कौन से नहीं। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** संगठन/कार्यालय में तकनीकी अधिकारी (सिविल इंजीनियर) की पदस्थापना नहीं है। उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाता है, जिसकी अनुमति आवास योजना तथा मंत्रालय से भी प्राप्त है। **(च)** योजनाओं का लाभ प्रदान करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक पात्र है अथवा नहीं। योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों को प्रदान किया जाता है जिसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद स्तर

36. (क्र. 628) श्री सतीश मालवीय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपसंचालक का पद प्रथम श्रेणी सेवा का पद है? विभाग में उपसंचालक का पद डिप्टी/ज्वाइन्ट कलेक्टर के समकक्ष है तथा वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद भी संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के प्रभाव होने के पूर्व तक डिप्टी कलेक्टर स्तर के समकक्ष था? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तिलहन संघ का एक अधिकारी उप-संचालक के पद पर कार्यरत है? यदि हाँ, तो क्या शासन व्दारा उपसंचालक को समकक्ष पद का होने के कारण मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या इस अधिकारी को शासन के व्दारा वक्फ बोर्ड का प्रभार दिये जाने के विरूद्ध वर्ष 2010 तथा 2013 में उच्च न्यायालय में याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या उच्च न्यायालय व्दारा याचिकाओं का निराकरण शासन के पक्ष में न करते हुए पदस्थी आदेशों को उचित ठहराया गया है? यदि हाँ, तो उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के पश्चात् अब क्या कार्यवाही की जानी शेष है तथा कब तक पूर्ण की जावेगी?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, वर्तमान में वक्फ बोर्ड में भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। **(ग)** दो याचिकाएं क्रमांक 14663/2013 एवं याचिका क्रमांक 20566/2013 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। **(घ)** प्रश्नॉश "ग" में वर्णित याचिकाओं का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका कर्ता के पक्ष में न करते हुए शासन से अपेक्षा की गई थी कि शासन याचिका कर्ता के अभ्यावेदन को सुने व आगामी कार्यवाही करें। शासन द्वारा कार्यवाही करते हुये प्रश्नाधीन अधिकारी को वक्फ बोर्ड के प्रभार से हटाया जा चुका है। अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में चल रही योजनाएँ

37. (क्र. 633) श्री राजेश सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इन्दौर में पी.पी.पी. मॉडल पर कौन-कौन योजनाएं संचालित की जा रही हैं एवं उनके संचालन हेतु क्या-क्या शर्तें हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या पी.पी.पी. मॉडल पर योजना सफलतापूर्वक संचालित हो रही है? क्या म.य.चि. इन्दौर में एस.एल.आर. डायग्नोसिन एवं चिकित्सालय प्रबंधन के मध्य से संचालित हो रही योजना का

अनुबंध किया गया है? कितनी अवधि के लिए अनुबंध किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ क्या में उन शर्तों का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त योजना सम्बन्धी प्रस्ताव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर एवं जिले के अन्य चिकित्सालयों में भी लागू करने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में यदि नहीं, तो क्या पी.पी.पी. मॉडल पर जनहित में कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जायेगी एवं क्या चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर व्दारा समस्त चिकित्सीय उपकरणों के रख-रखाव हेतु बायोमेडिकल विभाग बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं बनाया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, इंदौर में पी.पी.पी. मॉडल पर मेसर्स एसआरएल डायग्नोसिस सेंटर द्वारा सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. की सुविधा प्रदान की जा रही हैं। संचालन हेतु किए गए एम.ओ.यू. की शर्तों की **जानकारी पुस्तकालय परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। कुल सात वर्ष की अवधि के लिये अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर व मेसर्स एस.आर.एल. के मध्य अनुबंध हुआ हैं। **(ग)** अनुबंध की शर्तों का पालन किया जा रहा है। प्रश्नांश की शेष जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त की जा रही हैं। **(घ)** राज्य शासन द्वारा बायोमेडिकल विभाग सृजित नहीं किया गया हैं। उपकरणों के रखरखाव हेतु बायोमेडिकल विभाग सृजित करने की आवश्यकता नहीं है।

अन्त्योदय योजना एवं जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत उपलब्ध सुविधाएं

38. (क्र. 634) श्री राजेश सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इन्दौर में शासन की दीनदयाल अन्त्योदय योजना एवं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल कितने मरीजों को दवाईयां दी गई? संख्यात्मक जानकारी बताएं? **(ख)** एम.वाय. अस्पताल इन्दौर में सेन्टर मेडिकल स्टोर में आने वाले दवाईयों की लोकल पर्चेस क्यों की जा रही है? सेन्टर स्टोर में आने वाली दवाईयां क्या अमानक है, इन्हीं दवाईयों को दीनदयाल अन्त्योदय योजना एवं जननी सुरक्षा योजना से क्यों खरीदा जा रहा है? इन्हें खरीदने पर खर्च होने वाली अतिरिक्त धनराशि की रिकवरी की जायेगी? इथिकल दवाईयां एवं जनरिक दवाईयों के खरीदने के क्या-क्या मापदण्ड है? जनरिक दवाईयां उपलब्ध होने पर इथिकल दवाईयां क्यों खरीदी गई? खरीदी गई दवाईयों के वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की जानकारी दी जाये? **(ग)** क्या एम.वाय. अस्पताल इन्दौर में सेन्टर स्टोर में विभिन्न प्रकार के सब स्टोर प्रभारी के व्दारा मेन स्टोर में खरीदी गई दवाईयों का उन्हीं सब स्टोर प्रभारियों व्दारा जानबूझकर शार्ट सप्लाय करके लोकल पर्चेस करके दवाईयां खरीदी जा रही है, क्या इसमें भ्रष्टाचार की आशंका नहीं है? तथ्यात्मक जानकारी देकर जाँच की जाएगी **(घ)** पारदर्शिता बनाये रखने के लिए लोकल पर्चेस का एक अलग सेक्शन निर्मित किया जाकर शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की दवाईयां लोकल पर्चेस से खरीदी जाएगी, जिससे पारदर्शिता निर्मित होकर भ्रष्टाचार की आशंका खत्म होगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एम.वाय. चिकित्सालय, इंदौर में दीनदयाल अंत्योदय व जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्षवार हितग्राही मरीजों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

वर्ष	दीनदयाल अंत्योदय योजना	जननी सुरक्षा योजना
2013-14	9443	9486
2014-15	9457	14207

(ख) एम.वाय. चिकित्सालय, इंदौर मे सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स में दवाईयां उपलब्ध होने पर लोकल पर्चेस नहीं की गई है। स्टोर्स मे आने वाली कोई भी दवाई अमानक स्तर की नहीं है। चिकित्सालय में दीनदयाल योजना एवं जननी सुरक्षा योजना के तहत भर्ती मरीजों को सेन्ट्रल स्टोर में उपलब्ध दवाईयां ही प्रदान की जाती हैं, जो दवाईयां उपलब्ध नहीं होती है, केवल उन्ही दवाईयों का क्रय लोकल पर्चेस द्वारा किया जाता है एवं दवाईयों पर व्यय की गई राशि का वहन दीनदयाल योजना व जननी सुरक्षा योजना हेतु आवंटित बजट सेकिया जाता है। चिकित्सालय में इथिकल, जेनेरिक दवाईयां खुली निविदा के माध्यम से क्रय की जाती है। जेनेरिक दवाईयां उपलब्ध न होने पर ही इथिकल दवाईयां क्रय की जाती है। दवाईयों के लिये आवंटित बजट व व्यय की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैः-

वर्ष	आवंटित बजट	व्यय
2013-14	820.00 लाख	820.00 लाख
2014-15	609.99 लाख	609.99 लाख

(ग) जी नहीं। **(घ)** शासन निर्देशानुसार चिकित्सालय में विभिन्न योजनांतर्गत भर्ती होने वाले मरीजों के लिये दवाईयों की उपलब्धता हेतु पूर्व से ही पृथक विभाग द्वारा दवाईयों की लोकल पर्चेस की व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन द्वारा की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>वन अधिकार मान्यता कानून के अंतर्गत प्राप्त दावो की जानकारी</u>

39. (क्र. 653) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिले में वनाधिकार मान्यता कानून लागू होने के बाद कितने दावे प्रस्तुत किये वर्गवार, ब्लॉकवार जानकारी दें एवं कितने दावे शेष रह गये उनका कब तक निपटारा किया जायेगा? **(ख)** गुना जिले में वनाधिकार कानून के अंतर्गत कितने गांवों में सामुदायिक दावे प्रस्तुत किये, कितने मान्य कर पट्टे दिये शेष बचे दावों को कब तक मान्य कर पट्टे दिये जायेगे वर्गवार जानकारी दें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** 118 ग्रामों में 442 प्राप्त सामुदायिक दावों में से 78 दावे अमान्य तथा 364 दावे मान्य किये गये हैं।

<u>परिशिष्ट - ''तेरह''</u>

<u>गैस राहत विभाग में कराये गये नये निर्माण एवं मरम्मत कार्य</u>

40. (क्र. 694) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल स्थित गैस राहत विभाग द्वारा वर्ष 2010 से 2014 तक कितने नये भवनों का निर्माण किया गया और कितने भवनों का संधारण/मरम्मत का कौन-कौन सा कार्य करवाया गया इन पर कितनी-कितनी धन राशि व्यय की गई? भवनों / संधारण कार्यो पर व्यय की गई धन राशि की पृथक-पृथक जानकारी देवें? **(ख)** उक्त कार्य किस अधिकारी की देख रेख में

करवाया गया तथा किसी अधिकारी के विरूद्ध निर्माण कार्य के दौरान कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हाँ, तो किस अधिकारी के विरूद्ध कौन सी शिकायत मिली है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** उक्त कार्य के लिये ठेकेदारों से कितने टेण्डर प्राप्त हुये थे? इनमें कितने स्वीकृत किस आधार पर किये गये और कितनी-कितनी राशि का भुगतान उन्हें कब-कब किया गया है? **(घ)** क्या किया गया कार्य गुणवत्ता एवं उत्तम सामग्री से किया गया है इसका परीक्षण करा लिया गया है? **(ड.)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित कार्यों के गलत भुगतानों के संबंध में आडिट रिपोर्ट में आपत्ति की गई थी? यदि हाँ, तो क्या आपत्ति थी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2010 से वर्ष 2014 की अवधि में विभाग द्वारा 32 नये भवन निर्मित किये गये तथा 6 चिकित्सालय, 9 औषधालय भवनों का संधारण/रीनोवेशन का कार्य किया गया है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख)** गैस राहत संभाग के अधीनस्थ पदस्थ कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी की देखरेख में कार्य करवाया गया। संबंधित अधिकारियों के कार्य के विरूद्ध विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः शेष के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** निविदा की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग की तत्समय प्रचलित दरों एवं उक्त विभाग की स्वीकृत दरों के आधार पर की गई है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (घ)** जी हाँ। शर्तों के अनुरूप परीक्षण कराया गया। **(ड.)** जी नहीं।

चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

41. (क्र. 713) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी, जिला सिवनी अन्तर्गत शासकीय चिकित्सालयों में कितने-कितने पद किस-किस वर्ग से स्वीकृत हैं और कितने पदों की पूर्ति की जा चुकी है एवं कितने पद रिक्त हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? नहीं तो कारणों का उल्लेख करें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार चिकित्सकों के पद किस दिनाँक से रिक्त हैं और समय रहते इनकी पूर्ति क्यों नहीं की गई? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** उक्त रिक्त/स्वीकृत चिकित्सकों के पदों के अनुसार पूर्ति/पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) विभाग के अधीन पद पूर्ति की कार्यवाही, लोक सेवा आयोग, एवं व्यापमं के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही सक्षम स्तर से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार है।** विभाग के अधीन चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** विभाग के अधीन चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता हेतु सुधारात्मक उपाय

42. (क्र. 721) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के शास. विद्यालयों में ऐसे शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग के शासकीय सेवक जो लम्बे समय (05 वर्ष से अधिक) एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं एवं ऐसे शासकीय सेवक जिनकी पत्नी या पति अलग-अलग विकासखण्डों में कार्यरत हैं? क्या ऐसे शासकीय सेवकों हेतु शिक्षण एवं अध्यापक संवर्ग के समान स्थानान्तरण नीति बनेगी? **(ख)** क्या प्रदेश में संचालित अशासकीय विद्यालयों हेतु शुल्क निर्धारण के मार्गदर्शी सिद्धांत तय किए गए हैं? यदि हाँ, तो इसका क्रियान्वयन किस स्तर तक हुआ है एवं सिद्धांतों के परिपालन हेतु मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था निश्चित की गई है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में जिला-आगर अंतर्गत वर्तमान तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शासकीय शिक्षक संवर्ग हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप ही कार्यवाही की जाती है। अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी स्थानीय निकाय के अन्तर्गत नियुक्त किये गये है। इस संवर्ग में स्थानान्तरण नीति का कोई प्रावधान नहीं है**,** महिला**,** निःशक्तजन एवं पारस्परिक आधारित नगरीय निकाय / जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत से केवल जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अन्तर्गत एक निकाय से अन्य निकाय की शैक्षणिक संस्था में आनलाईन संविलियन की अनुमति का प्रावधान है। यह नीति अन्य शासकीय सेवकों पर लागू नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। दिनाँक 30.04.2015 को जारी किये गये है। जारी मार्गदर्शी सिद्धांत में परिपालन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया नियत है। **(ग)** मार्गदर्शी सिद्धांत संपूर्ण प्रदेश में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2015-16 से प्रभावशील है। आगर जिले हेतु पृथक से कोई कार्यवाही निर्धारित नहीं है।

शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी के भवन का निर्माण

43. (क्र. 722) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधान सभा क्षेत्र आगर में भवन विहीन शा.उ.मा.वि. सुसनेर**,** 200 कन्या उ.मा.वि. नलखेड़ा एवं जीर्ण क्षीर्ण भवन युक्त शा.उ.मा.वि. सोमत कलां हेतु नवीन भवन स्वीकृति संबंधी कोई प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु क्या शीघ्र कोई ठोस कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक तथा नवीन भवन निर्माण तक क्या सुधार किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शासकीय उ.मा.वि. सोयत एवं शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. सुसनेर के नवीन भवन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय को भेजे गए हैं किंतु कन्या उ.मा.वि. नलखेड़ा हेतु कोई भी प्रस्ताव / मांग प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** शासकीय उ.मा.वि. सोमत कलां के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत कुल 05 कक्ष निर्मित किए गए हैं। इनमें कक्षाएं संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए है। शासकीय उ.मा.वि. सुसनेर हेतु नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। शेष हेतु प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला ग्वालियर में अनु.ज.जा. के हितग्राहियों को अनुदान

44. (क्र. 755) श्रीमती इमरती देवी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला ग्वालियर में अनु.ज.जा. (सहरिया) के हितग्राहियों को वर्ष 2014-15 तक परिवार मूलक योजना अंतर्गत स्वरोजगार हेतु किस ग्राम के किस हितग्राहियों को किस कार्य हेतु

कितनी राशि (अनुदान) स्वीकृत कर, किस संस्था/एजेंसी, के माध्यम से हितग्राही को प्रदाय की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार सहरिया जाति के उक्त हितग्राहियों में से किस ग्राम के किस हितग्राही को उक्त वर्ष में राशि स्वीकृत होने के बाद प्रश्न दिनाँक तक, हितग्राही को सामग्री/जानवर/राशि, किस कारण लाभान्वित नहीं किया गया? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? उनके विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्यों नहीं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** अनुसार सहरिया जाति के उक्त हितग्राहियों को स्वीकृत राशि से लाभान्वित होने का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किस दिनाँक को किया गया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) कतिपय हितग्राहियों के बैंक खाता अपेक्षित न होने से लाभांवित नहीं किये जा सके, उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।** अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** दिनाँक 07/10/2014 द्वारा सत्यापन हेतु समिति गठित की गई है, प्रतिवेदन अपेक्षित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।**

<u>निगरानी समिति की बैठक</u>

45. (क्र. 756) श्रीमती इमरती देवी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग ग्वालियर को अनु.जाति बस्ती विकास योजना में एवं अनु.ज.जा. सहरिया विकास योजना में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्राप्त राशि से वर्षवार कितनी राशि के किस प्रकार का कार्य स्वीकृत किये वर्षवार एवं कार्यों की सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार क्या यह सही है कि अनु.जा.वि.योजना की प्राप्त राशि से स्वीकृत कार्यों की निगरानी समिति की बैठक गत वर्ष किस दिनाँक को आयोजित की गई, बतावें तथा इसके बाद बैठक आयोजित नहीं करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? जबकि निगरानी समिति की बैठक त्रैमासिक आयोजित किये जाने का प्रावधान है? **(ग)** अनु.जाति विकास योजना का कार्य वर्तमान में कब से कौन कर्मचारी देख रहा है, उसका नाम, पदनाम बतावे? क्या यह कर्मचारी बैठक आयोजित नहीं करने हेतु दोषी है, यदि हाँ तो इसके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब"अनुसार है (ख) बैठक दिनाँक 12/04/2013 को आयोजित की गई। नगरीय निकाय विधानसभा, लोकसभा और पंचायत निर्वाचन कार्य जारी रहने तथा उसके बाद समिति के पुर्नगठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से बैठक आयोजित नहीं हुई। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश अन्तर्गत श्री राजेन्द्र भदकारिया, सहायक ग्रेड-3 द्वारा कार्य किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>सेवढ़ा के ग्राम दिगुवां में इंटर कालेज भवन का निर्माण</u>

46. (क्र. 774) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** यह कि सेंवढ़ा विधान सभा के ग्राम दिगुवां में इंटर कालेज का कोई भवन स्वीकृत हुआ था? यदि हाँ तो निविदा किसके द्वारा निकाली गई एवं निर्माण एजेन्सी कौन है? लागत राशि एवं समय-सीमा सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे? **(ख)** क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर

विभाग को सौंप दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं जो निर्माण कार्य किया गया है वह इतने घटिया किस्म का है कि सीमेंट को हाथ से ही छुटाया जा सकता है? **(ग)** उक्त भवन कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? समय-सीमा बतायें एवं यह भी बतायें कि उक्त भवन निर्माण में देरी के क्या कारण हैं? यदि निर्माण कार्य में अतिरिक्त राशि लगेगी तो वह किसके द्वारा वहन की जायेगी? **(घ)** जानकारी उपलब्ध कराये कि उक्त भवन के निर्माण में गुणवत्ता के क्या मापदण्ड निर्धारित थे? निर्माण एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान किया गया? कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य के निरीक्षण किये गये उनके नाम, पद बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन दिगुवां जिला दतिया का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में स्वीकृत होकर म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था। कार्य की निविदा म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निकाली गई थी, जिसमें कार्य की अनुमानित लागत 38.00 लाख तथा कार्य करने की समयावधि वर्षाकाल सहित 08 माह रखी गई थी। **(ख)** जी नहीं, भवन पूर्ण कर विभाग को नहीं सौंपा गया है। इसका कारण लागत में वृद्धि एवं पुनरीक्षित लागत के अनुसार राशि निर्माण एजेंसी को प्राप्त न होना है। घटिया निर्माण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। पुनरीक्षित लागत की राशि प्राप्त न होने से निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। अतिरिक्त राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वहन की जाएगी। **(घ)** निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया गया है। निगम द्वारा राशि रूपये 44.83 लाख (बिना सुपरविजन एवं केटनजेंसी चार्ज) का व्यय किया जा चुका है। कार्य का निरीक्षण समय-समय पर निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया है।

<u>भवन विहीन हाई स्कूल</u>

47. (क्र. 836) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 25 जून 2015 की स्थिति में बागली विधान सभा क्षेत्र में किन-किन हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री पास स्वयं का भवन नहीं है? विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अन्तर्गत किन-किन विद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त है तथा इनकी पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार विद्यालयो में क्या फर्नीचर शौचालय पेयजल व्यवस्था है? **(घ)** उक्त शालाओं में सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बागली विधानसभा में 01 हायर सेकेण्डरी एवं 05 हाईस्कूल, <u>माध्यमिक/प्राथमिक</u> विद्यालय के भवन में संचालित हैं। सीमित बजट प्रावधान के कारण उक्त विद्यालय के लिये भवन स्वीकृत नहीं किये जा सके हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ'** पर। **(ख)** बागली विधानसभा अंतर्गत कुल 18 हाईस्कूल में प्राचार्य के 16 पद रिक्त हैं एवं कुल 16 उ.मा.वि. में प्राचार्य के 12 पद रिक्त हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब'** पर। इन रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पदोन्नति समिति की बैठक हो चुकी है। पदांकन की कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** बागली विधानसभा के शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर एवं शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था है। जहां शौचालय नहीं है, वहां निर्माण कार्य प्रगति पर है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'स'** पर। **(घ)** बजट प्रावधान के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

<u>परिशिष्ट – ''चौदह''</u>

अनुसूचित जाति की बस्तियों के विकास हेतु आवंटित राशि

48. (क्र. 866) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास एवं कल्याण हेतु वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? **(ख)** उक्त आवंटित राशि में जिले के किन-किन नगरों एवं ग्रामीण बस्तियों के विकास हेतु राशि स्वीकृत की गई? **(ग)** उक्त बस्तियों के विकास हेतु स्वीकृत कार्यों के नाम एवं बस्तियों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत बतायें। प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त अवधि में कौन-कौन से प्रस्ताव दिये उनमें से किन-किन को कितनी-कितनी राशि विकास हेतु आवंटित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** उपरोक्त अवधि में भिण्ड जिले के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों को आवंटित राशि का वर्षवार विवरण दें? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार जनसंख्या का अनुसूचित जाति का प्रतिशत बतायें? **(ड.)** क्या भिण्ड जिला संयोजक द्वारा मनमाने तरीके से नियम विपरीत राशि स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो राशि स्वीकृत करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : **(क)** आदिवासी विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास एवं कल्याण हेतु राशि आवंटित नहीं की जाती है। अत प्रश्नांकित अवधि में राशि आवंटित की जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्थाई, अस्थाई एवं ठेका पद्धति से कार्य करने वाले श्रमिकों के हितकारी योजनाएं

49. (क्र. 875) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इरका लेबोरेट्रीज इंदौर पीथमपुर एवं ग्राम सेजावता जिला रतलाम स्थित उत्पादन इकाईयां में अन्य कार्य किये जाने हेतु ठेका पद्धति के माध्यम से स्थाई, अस्थाई रूप से कार्य करवाए जा रहे है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या श्रमिकों के उपरोक्त स्थिति में कार्यरत होने की दशा में उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन एवं उनके जीवन की रक्षा हेतु समुचित प्रबंधन एवं श्रमिकों के हितकारी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है? **(ग)** साथ ही क्या उपरोक्त तीनों इकाईयों में विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से कार्यरत श्रमिकों को सूचिबद्ध कर पंजीकृत किया जाकर योजनाओं का लाभ एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है? **(घ)** यदि हाँ, तो उपरोक्त तीनों इकाईयों के श्रमिकों की वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक की अस्थिभंग, अंगभंग, गंभीर बीमारी एवं आकस्मिक मृत्यु इत्यादि किये गये समस्त कार्यों/योजनाओं की वर्षवार, ईकाईवार श्रमिकवार सत्यापित स्थिति से अवगत कराए?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : **(क)** एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। श्रमिकों को म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल की विभिन्न योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाता है। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में** है।

<u>परिशिष्ट - ''पंद्रह''</u>

रतलाम जिले में एन.आर.एच.एम योजना का क्रियान्वयन

50. (क्र. 876) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ ही एन.आर.एच.एम स्वास्थ्य योजना का जिले में निरंतर क्रियान्वयन किया जाकर अनेक कार्य किये जा

रहे है? **(ख)** यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक शासन विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं एवं उक्त वर्षों में प्रश्न दिनाँक तक क्रियान्वित एन.आर.एच.एम योजना में कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर कितना प्राप्त हुआ, कितना आहरित हुआ? **(ग)** साथ ही उक्त वर्षों में प्रश्न दिनाँक तक रतलाम जिला अंतर्गत स्वीकृत बजट एवं आहरित राशि में से किन-किन कार्यों हेतु किस-किस स्थान पर कितना-कितना व्यय किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **(ख)** एन.आर.एच.एम. से संबंधित प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। **(ग)** एन.आर.एच.एम. अंतर्गत रतलाम जिले में स्वीकृत बजट एवं आहरित राशि तथा कार्यों की विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है।

फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत विधि विपरीत कार्यवाही

51. (क्र. 900) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला होशंगाबाद में माह फरवरी 2012 में फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत दूध एवं दूध से बने पदार्थों के कुल कितने नमूने जाँच हेतु लिये और उनके जाँच प्रतिवेदन में क्या-क्या पाया गया? **(ख)** क्या उक्त जाँच प्रतिवेदनों के विरूद्ध कुछ व्यावसायियों द्वारा फूड सेफ्टी एक्ट 46 (4) के अंतर्गत खाद्य नमूने का दूसरा भाग रेफरल लेबोरेटरी से जाँच कराने हेतु आवेदन किया गया था? रेफरल लेबोरेटरी का परिणाम क्या रहा? **(ग)** क्या खाद्य नमूने की प्रथम भाग की जाँच रिपोर्ट अवमानक पाई गई और उसी नमूने को जब रेफरल लेबोरेटरी को भेजा तो उक्त नमूना जाँच के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया, ऐसी स्थिति में नमूने का अंतिम परिणाम क्या माना गया? **(घ)** क्या दोनों जाँच प्रतिवेदनों में विरोधाभास होते हुए कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उस दशा में अभिहित अधिकारी होशंगाबाद द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति किस नियम एवं आधार पर दी गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला होशंगाबाद में माह फरवरी, **2012** में फूड सेफ्टी एक्ट के अतंर्गत दूध एवं दूध से बने पदार्थों के कुल 05 नमूने लिये गये। उनमें से 03 नमूने अवमानक एवं 02 मानक पाये गये। **(ख)** जी हाँ। रेफरल लेबोरेटरी द्वारा नमूना का परिणाम मानक या अवमानक होना प्रतिवेदित नहीं किया गया, बल्कि नमूना जाँच योग्य नहीं पाया गया है। **(ग)** यह सही है कि एक खाद्य नमूने की प्रथम भाग की जाँच रिपोर्ट अवमानक पाई गई और उसी नमूने के द्वितीय भाग को अपीलार्थी की अपील अनुसार केवल मिल्क फेट का प्रतिशत के संबंध में रेफरल लेबोरेटरी भेजा गया। जिसमें नमूने का द्वितीय भाग ''नाट फिट फार एनालिसिस'' पाया गया था। रेफरल लेब के द्वारा नमूने के द्वितीय भाग की कोई रासायनिक पैरामीटर के अनुसार परीक्षण न कर केवल नमूने की स्थिति के बारे में मत दिया था। रेफरल लेब द्वारा नमूने के द्वितीय भाग की रासायनिक जाँच/परीक्षण न किये जाने के कारण जो मत दिया गया है वह खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को खण्डित नहीं करता है। ऐसी स्थिति में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अखण्डनीय है, तथा खाद्य कारोबार कर्ता को भेजी गई संसूचना अनुसार भी कोई निवेदन खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा तृतीयक भाग के संबंध मे अभिहित अधिकारी, होशंगाबाद को नहीं किया गया है। **(घ)** उपरोक्तानुसार खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम की धारा 36 (3) (ई) के अतंर्गत लोकहित में अभियोजन स्वीकृति, अभिहित अधिकारी द्वारा जारी की गई तथा प्रकरण माननीय न्यायालय श्रीमान

न्याय निर्णायक अधिकारी होशंगाबाद के द्वारा संज्ञान लिया जाकर, विचारण उपरांत आरोपी पर 2 लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जा चुकी है।

दवा खरीदी पर व्यय

52. (क्र. 914) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 14-15 एवं 15-16 में दवा खरीदी पर कितना व्यय किया गया तथा मानक स्तर पर दवाएं कहाँ-कहाँ से क्रय की गई विवरण दें? **(ख)** छतरपुर जिले में जिला अस्पताल में भंडार कक्ष में कितनी दवायें खराब स्थिति की पाई गई? **(ग)** क्या जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया? यदि हाँ, तो कोई कमियां जिला अस्पताल की पाई गई? **(घ)** वर्ष 14-15 एवं 15-16 में कितनी शिकायतें छतरपुर जिले की प्राप्त हुई जाँच में क्या परिणाम प्राप्त हुए अभिमत सहित जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में दवा खरीदी पर निम्नानुसार व्यय किया गया-

वर्ष	राशि रूपये
2014-15	53, 04, 21, 268.00
2015-16 (17.07.15 तक)	5, 49, 65, 440.00
स्थानीय स्तर पर दवा क्रय व्यय	
2014-15	3, 08, 64, 355.00
2015-16 (17.07.15 तक)	7, 17, 431.00

जिन फर्मो से दवाएं क्रय की गई उनकी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख)** छतरपुर जिला अस्पताल के भंडार कक्ष में कोई दवा खराब स्थिति की नहीं पाई गई। **(ग)** जी हाँ। जिला अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कोई कमी नहीं पाई गई। **(घ)** वर्ष छतरपुर जिले की 2014-15 एवं 2015-16 में प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है।**

स्थानांतरण नीति वर्ष 2015 का पालन

53. (क्र. 915) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में वर्तमान वर्ष में विभाग में कितने प्रशासनिक/स्वेच्छा के स्थानांतरण प्रस्ताव स्थानांतरण बोर्ड में स्थानांतरण नीति के अनुसार किस दिनाँक को प्रस्तुत किये गये? **(ख)** वर्ष 2015 की स्थानांतरण नीति के अनुसार कितने प्रशासनिक तथा स्वेच्छा के स्थानांतरण के आदेश किये गये यदि नहीं, तो किन कारणों से स्पष्ट उल्लेख करें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** जिले में ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं जो लम्बे समय से एक ही कार्यालय में पदस्थ है क्या उनको हटाने के प्रस्ताव बोर्ड में दिये गये यदि हाँ, तो सूची दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीतिवर्ष 2015-16 में प्रशासनिक / स्वैच्छिक स्थानांतरण के प्रस्ताव स्थानांतरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के कोई निर्देश नहीं है। **(ख)** जिला छतरपुर स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 04 प्रशासनिक

एवं 01 स्वैच्छिक स्थानांतरण किये गये। **(ग)** 92 लिपिकवर्गीय कर्मचारी। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

पदोन्नति के संबंध में

54. (क्र. 934) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग में जिला संयोजक के 19 पद एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी (प्रशासन संवर्ग) के 15 पद पदोन्नति हेतु परि.अता. प्रश्न संख्या 10 (क्र.3072) दिनाँक 25.07.2014 में बताये गये थे तो क्या उक्त पदों पर विभाग द्वारा शासन के नियमों के पालन में पदोन्नति समय पर कर दी गई है? क्या जिला सागर में भी विभाग के अनेक पद रिक्त है? **(ख)** यदि नहीं, तो एक वर्ष तक किस कारण से पदोन्नति नहीं की गई तथा प्रश्न दिनाँक तक अन्य किन-किन पदों पर पदोन्नति प्रक्रियाधीन है? **(ग)** क्या विभाग **(क)**, **(ख)** की पूर्ति के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित करने का आश्वासन देना चाहेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सागर जिले में रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयुक्त आदिवासी विकास प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अपर संचालक, उपायुक्त/परियोजना प्रशासक, सहायक आयुक्त, सहायक संचालक/जिला संयोजक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य प्रथम श्रेणी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी वर्ग-2 एवं सहायक अनुसंधान अधिकारी संवर्ग की पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है समय- सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "सोलह"

विद्यालयों का उन्नयन

55. (क्र. 945) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र सेमरिया के अंतर्गत ग्राम झिरिया, कटकी, दादर, चचाई एवं मनकहरी में माध्यमिक शाला है एवं यहां के छात्राओं एवं छात्रों को आगे की शिक्षा के लिये गांव से बाहर जाना पड़ता है? **(ख)** क्या उपरोक्त ग्रामों में बलिकाओं की शिक्षा सिर्फ इसलिये रोक दी जाती है कि आगे की शिक्षा के लिये उन्हें अपने गांव से दूर अन्यत्र जाना पड़ता है? **(ग)** क्या यह सही है कि बालिकाओं के शिक्षा अनुपात को बढ़ाने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है? यदि हाँ, तो उक्त ग्रामों में विद्यालयों का उन्नयन कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : **(क)** जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। समीपस्थ ग्रामों में स्थित हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल आने जाने के लिये शासन योजनान्तर्गत साईकिल हेतु राशि दिया जाना प्रावधानित है। **(ग)** जी हाँ। शालाओं का उन्नयन निर्धारित मापदण्ड, बजट उपलब्धता एवं स्वीकृति अनुसार किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रिक्त पदों की पूर्ति एवं पोस्टमार्डम गृह का निर्माण

56. (क्र. 1007) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला सिंगरौली स्थित सामुदायिक स्वा.केन्द्र मोरवा एवं विधान

सभा क्षेत्र सिंगरौली में स्वीकृत किये गये उपस्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ की भी कमी है? श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** रिक्त पदों की पूर्ति कब तक में की जावेगी? निश्चित समय-सीमा बतायें? **(ग)** क्या जिला सिंगरौली में पोस्टमार्टम गृह नहीं है? यदि हाँ तो शासन/प्रशासन द्वारा इसके निर्माण संबंधी क्या स्थिति है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोरवा में विशेषज्ञों के 05 पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं, चिकित्सा अधिकारी के 03 पद रिक्त हैं, एक संविदा चिकित्सक की पदस्थापना है, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत नहीं होते हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल स्वीकृत 22 पदों के विरूद्ध 15 संविदा ए.एन.एम. कार्यरत हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। म.प्र. लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयन सूची में से पदस्थापना हेतु आन लाईन काउन्सलिंग का आयोजन किया गया था जिसमें सिंगरोली जिले के मोरवा के लिये 02 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी, चिकित्सकों द्वारा चयन किए जाने पर नव नियुक्ति चिकित्सकों के पदस्थापना आदेश शीघ्र जारी किए जावेंगे। हाल ही में म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा 1896 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धतानुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। **(ग)** जिला चिकित्सालय बैढ़न जिला सिंगरौली में पोस्टमार्टम गृह निर्मित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "सत्रह"</u>

<u>शासकीय अस्पतालों में अमानक दवायें का क्रय एवं उपयोग</u>

57. (क्र. 1020) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के शासकीय अस्पतालों के लिए दवा क्रय करने की कौन सी नीति लागू है, क्या दवा क्रय नीति के निर्देशों का पालन दवाईयां क्रय करने में संबंधितों के व्दारा किया जा रहा है? **(ख)** क्या संबंधित अस्पतालों के कार्यालय प्रमुख व्दारा दवा क्रय के उपरान्त प्राप्त प्रत्येक दवा की जाँच निर्धारित दिवस में लेबोरेट्री में कराने के उपरांत ही क्रय की दवा का उपयोग किया जाना चाहिए किन्तु वर्ष 2010-11 की स्थिति में प्रदेश में बगैर जाँच के क्रय की गई दवा का वितरण एवं उपयोग किन-किन जिलों में किया गया? **(ग)** वर्ष 2010-11 से अभी तक कितनी दवा कम्पनियों की दवाएं अमानक पाई गई, एवं क्रय अमानक दवाओं का भुगतान कम्पनियों को किया गया? वह कौन सी दवाएं और कौन सी कम्पनियां है एवं कितनी राशि की दवाएं अमानक पाई गई? **(घ)** क्या अमानक दवा प्रदायकर्ता कम्पनियों के व्दारा कम्पनी का नाम बदलकर पुन: शासकीय अस्पतालों में दवा प्रदाय की जा रही है? इन अनियमितताओं के लिए कौन उत्तरदायी है संबंधितों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>शासकीय कन्या विद्यालय रूई की मण्डी मुरैना को भवन/मैदान हेतु आवंटित भूमि</u>

58. (क्र. 1037) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय कन्या विद्यालय रूई की मण्डी मुरैना की स्थापना सन् 1917 में की गई थी तथा इस विद्यालय के परिषद, भवन हेतु कितना रकवा भूमि का आवंटित था सर्वे नम्बर सहित भूमि के रकबे सहित जानकारी दी जावे? **(ख)** पिछले वर्षों में उक्त विद्यालय की बाउंड्रीवाल एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कब-कब किन-किन मदों से कराया गया? निर्माण ऐजेन्सी का नाम, मद राशि वर्ष सहित जानकारी दी जावे? **(ग)** क्या दिनाँक 15.01.15 को विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल एवं अतिरिक्त कक्ष को बिना विभाग को जानकारी दिये न.पा. अधिकारियों ने अतिक्रमण बताकर तोड़ा था शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय के भवन तोड़ने पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(घ)** उक्त तोड़े गये अतिरिक्त कक्षों में अध्ययनरत छात्राओं की अध्यापन की व्यवस्था कहाँ पर की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : **(क)** जी हाँ, शासकीय कन्या विद्यालय रूई की मण्डी, मुरैना हेतु आवंटित भूमि का विवरण निन्नानुसार है:-

स.क्र.	सर्वे क्रमांक	रकबा
1	255	0.021 हे.
2	256	0.125 हे.
3	257	0.010 हे.

(ख) पिछले वर्षों में उक्त विद्यालय हेतु बाउंड्रीवाल एवं अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	**निर्माण कार्य का नाम**	**लागत**	**वर्ष**	**मद**	**निर्माण एजेंसी**
1	एक अतिरिक्त कक्ष	0.90 लाख	2004-05	सर्व शिक्षा अभियान	पालक शिक्षक संघ
2	एक अतिरिक्त कक्ष	1.84 लाख	2006-07	सर्व शिक्षा अभियान	पालक शिक्षक संघ
3	बाउंड्रीवाल	1.25 लाख	2007-08	सांसद निधी	ग्रामिण यांत्रिक सेवा विभाग

(ग) जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नगर पालिका के अधिकारियों से संपर्क किया गया। नगर.पालिका अधिकारीयों द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया था कि बाउंड्रीवाल एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण शाला परिसर में ही अन्यत्र उनके द्वारा करा दिया जायेगा, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई। **(घ)** शासकीय कन्या विद्यालय रूई की मण्डी मुरैना में वर्तमान में 10 कक्ष उपलब्ध है अतः उनमें ही अध्यापन की सुचारू व्यवस्था कर दी गई है।

मुरैना जिला चिकित्सालय के रेडक्रास कर्मचारियों को अकारण सेवा से हटाया जाना

59. (क्र. 1038) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 1998-99 में मुरैना जिला चिकित्सालय परिषद में रेडक्रास सोसाइटी की राशि से रेडक्रास वार्ड के कमरों का निर्माण कराया गया था जिसमें नर्सिंग, इलेक्ट्रिशियन एवं सफाई कर्मचारियों को अस्पताल प्रबंधन की सहमति से नियुक्त किया गया जिन्हें विधिवत वेतन आदि दिया जा रहा था? प्रकरण की पूर्ण जानकारी दी जावे? **(ख)** क्या इतने लम्बे समय तक संतोषजनक सेवा कार्य के बाद भी उक्त सभी कर्मचारियों को अकारण सेवा से मुक्त कर

दिया है क्यों? कारण सहित पूर्ण जानकारी दी जावे तथा कर्मचारियों को सेवा से हटाने का निर्णय किस अधिकारी के आदेश से किया? अधिकारी का नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? **(ग)** क्या शासन अकारण सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को मानवीय आधार पर पुनः सेवा में, पुनः कार्य पर लेगा यदि हाँ तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) रेडक्रास सोसायटी एक स्वयंसेवी मानवतावादी संस्था है। यह संस्था राज्य शासन के अधीन नहीं है। वर्ष 1998-99 में मुरैना जिला चिकित्सालय परिसर में रेडक्रास सोसाईटी के द्वारा रेडक्रास वार्ड के कमरों का निर्माण कराया गया था, जिसमें नर्सिंग, इलेक्ट्रीशियन एवं सफाईकर्मियों को रेडक्रास सोसायटी द्वारा कार्य पर रखा गया था एवं उनके द्वारा ही उनके वेतन का भुगतान किया जा रहा था। इस पर अस्पताल प्रबंधन की सहमति नहीं दी गई थी। **(ख)** उपरोक्त कर्मचारी जिला रेडक्रास सोसायटी द्वारा रखे गये थे, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं। उपरोक्त मे से कई कर्मचारी पद के अनुसार अर्हता नहीं रखते। अतः रेडक्रास सोसायटी की बैठक दिनाँक 01.09.2014 में इन कर्मचारियों (जो पद के अनुसार योग्यताधारी नहीं है) को हटाने एवं उनके स्थान पर नवीन प्रशिक्षित स्टाफ की भर्ती किये जाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु अभी तक इन कर्मचारियों को हटाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। रेडक्रास वार्ड में पूर्व से कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ (मेल एवं फीमेल नर्स) जो कि अपने नियुक्त पद के अनुरूप निर्धारित योग्यता न होने के कारण उनसे सपोर्टिंग स्टाफ के आधार पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिये जाने संबंधी आदेश सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला मुरैना के द्वारा आदेश क्रमांक/मु.लि./2014/8626 दिनाँक 3.12.2014 को जारी किये गये। इसके पालन में एक इलेक्ट्रीशियन अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर कार्यरत है। शेष कर्मचारी आदेशित कार्य पर उपस्थित नहीं हुये है। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में उक्त दोनों प्रकरण प्रचलित होकर विचारधीन है। **(ग)** प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ में विचाराधीन है। प्रकरण पर निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

<u>शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन</u>

60. (क्र. 1049) श्री अंचल सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले में कितनी निजी शैक्षणिक संस्थायें संचालित हो रही हैं? नाम सहित सूची देवें? क्या संचालित निजी शैक्षणिक संस्थायें शासन व्दारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करती है एवं उन्हें शासन व्दारा मान्यता प्रदान की गई है? **(ख)** क्या शासन व्दारा लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नांश **(क)** में वर्णित समस्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं में गरीबी रेखा के अन्तर्गत जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को नियमानुसार 25 प्रतिशत का दाखिला दिया गया है? यदि हाँ, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों की सूची वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की देवें? **(ग)** क्या यह सत्य है कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं व्दारा नियम विरूद्ध शैक्षणिक शुल्क के नाम पर भारी भरकम राशि ली जा रही है? यदि हाँ, तो क्या शासन व्दारा शुल्क निर्धारण नहीं किया है यदि किया गया है तो जबलपुर जिले में संचालित निजी संस्थाओं के नाम सहित बतावें कि किस संस्था को कितना शुल्क निर्धारित किया गया है एवं उनके व्दारा कितना शुल्क किस-किस मद में लिया जा रहा है? **(घ)** क्या जिला कलेक्टर व्दारा निजी संस्थाओं को शुल्क निर्धारण कर गाईड लाईन तय की गयी थी किन्तु स्कूल शिक्षा विभाग व्दारा कलेक्टर के व्दारा प्रसारित आदेश

को निरस्त कर निजी संस्थाओं को शुल्क निर्धारण की खुली छूट दे दी गयी है? नियम विरूद्ध शुल्क वसूलने वाली संस्थाओं के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा समय-सीमा बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जबलपुर जिले में कक्षा 9 से 12 तक 280 निजी शिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार**। जी हाँ। **(ख)** शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा निशुल्क प्रवेश दिया गया है, परन्तु कुछ विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त न होने से वर्ष 2014-15 में 25 प्रतिशत निशुल्क सीटों की पूर्ति नहीं हो पाई है। वर्ष 2015-16 की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2014-15 में प्रवेशित बच्चों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब'** एवं वर्ष 2015-16 में प्रवेशित बच्चों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार**। **(ग)** शासन द्वारा शुल्क निर्धारण नहीं किया जाता है। निजी स्कूलों द्वारा शुल्क निर्धारण किये जाने के संबंध में दिनाँक 30.04.2015 को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रति संलग्न है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा युक्तियुक्तकरण में अनियमितता बावत्</u>

61. (क्र. 1050) श्री अंचल सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर व्दारा वर्ष 2015-16 की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत अनेकों अनियमिततायें की गई है एवं विसंगति पूर्ण कार्यवाही कर नियमों को अनदेखा किया गया है? अतिशेष शिक्षकों को किस नियम के तहत परिभाषित कर अतिशेष घोषित किया गया है? नियम की प्रति देवें? **(ख)** यह तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा वर्ष 2015-16 की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से संबंधित अतिशेष शिक्षकों की सूची पोर्टल पर 22.05.2015 को देर रात डाली गई एवं अतिशेष शिक्षकों को इसकी सूचना नहीं भेजी गई एवं 25.05.2015 दिन रविवार को कार्य दिवस मानते हुये अभ्यावेदन की अंतिम तिथि घोषित की गई जिससे अनेकों शिक्षक अभ्यावेदन से वंचित रह गये? इस अनियमितता का जिम्मेवार कौन है नाम बतावें? **(ग)** क्या तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा अभ्यावेदन की स्वीकृत/अस्वीकृत की जानकारी 30 मई, 2015 को देर शाम पोर्टल पर डाली गई एवं 31 मई 2015 को काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई एवं पूर्व से निर्धारित कांउसलिंग स्थान को आनन-फानन में बदल कर अपने चहेतों को नियम विरूद्ध इच्छानुसार पदस्थ कर दिया गया? **(घ)** क्या शासन जबलपुर जिले में किये गये अनियमितता पूर्ण स्थानान्तरण प्रक्रिया को निरस्त कर पुन: पूर्ण प्रक्रिया अपना कर पारदर्शी प्रक्रिया से अतिशेष शिक्षकों के स्थानान्तरण करेगा एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर उचित कार्यवाही का निर्णय लेगा तो कब तक समय-सीमा बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में पदस्थ अमले की वर्ष 2015-16 की युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-42/2014/20-1 दिनाँक 08.09.2014 में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत की गई है। नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार** है। **(ख)** जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालय में पदस्थ अमले की वर्ष 2015-16 के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से संबंधित अतिशेष शिक्षकों की सूची पत्र क्रमांक स्था 1/2015/6455 जबलपुर, दिनाँक 22.05.2015 को देर रात डाली गई एवं समस्त प्राचार्यों को

निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर प्रदर्शित अतिशेष शिक्षकों को 25.05.2015 दिन सोमवार (रविवार नहीं) तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिससे शिक्षक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकें। **पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो अनुसार** है। **(ग)** जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री में पदस्थ अमले के अभ्यावेदनों को मान्य/अमान्य करते हुए पोर्टल पर सूची पत्र क्रमांक स्था 1/2015/6681 जबलपुर, दिनाँक 30 मई 2015 को डाली गई तथा दिनाँक 31.05.2015 को काउंसलिंग आयोजित की गई। काउंसलिंग का स्थान अपरिहार्य कारणों से शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर को बदलकर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर किया गया तथा काउंसलिंग कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर में की गई। **(घ)** प्रश्नांश क, ख एवं ग के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जिला चिकित्सालय में उपचारित मरीजों की संख्या

62. (क्र. 1059) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला चिकित्सालय कटनी में अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कितने मरीजों द्वारा उपचार हेतु चिकित्सा पर्ची बनवाई गई/पंजीयन कराया गया, कितने मरीजों का उपचार बाह्य रोगी विभाग में किया गया एवं कितने मरीजों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया, माहवार ब्यौरा देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु आये एवं भर्ती कितने मरीजों को जबलपुर एंव अन्य चिकित्सालयों में उपचार हेतु भेजा गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में जिला चिकित्सालय में प्रसव हेतु भर्ती कितनी महिला मरीजों को किन-किन कारणों से अन्य चिकित्सालय अथवा शहरों को उपचार हेतु भेजा गया एवं जिला चिकित्सालय में भर्ती कितनी महिला मरीजों का प्रसव नार्मल तरीके से एवं कितने मरीजों का प्रसव ऑपरेशन द्वारा किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में जिला चिकित्सालय में प्रसव हेतु भर्ती 112 महिला मरीजों को गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी जटिलताओं (जैसे खून की गमी, एक्लेम्पिसया, रक्त स्त्राव, रिटेंड प्लेसेन्टा, झटके आना आदि) के कारण अन्य चिकित्सालयों/शहरों को उपचार हेतु भेजा गया। अप्रैल 2014 से दिनाँक 07/07/2015 तक कुल 5384 महिलाओं का नार्मल प्रसव व 582 महिलाओं का प्रसव आप्रेशन द्वारा किया गया।

परिशिष्ट - "अठारह"

अ.ज.जा. एवं अन्य परम्परागत वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत दावों का निराकरण

63. (क्र. 1068) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत जिला बुरहानपुर में कुल पात्र दावा आवेदनों में कितने पूर्व पट्टाधारी एवं कितने नये अतिक्रमणकारी आवेदन है? प्रारंभ से संख्यात्मक जानकारी दें? **(ख)** ऐसे कितने दावा आवेदक है, जिनका दावा खंड स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति पश्चात पी.डी.ए. सर्वे होना शेष है? **(ग)** ऐसे कितने

दावा आवेदक है, जिनका पी.डी.ए. सर्वे भी हो गया है, किंतु पट्टा जारी दिया जाना शेष है? **(घ)** खंड स्तरीय समिति से स्वीकृति पश्चात पी.डी.ए. सर्वे के लिए तथा पी.डी.ए. सर्वे पश्चात पट्टा जारी करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्या समय-सीमा का निर्धारण किया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) कुल पात्र दावा आवेदनों में वन ग्रामों के पूर्व पट्टेदारों एवं उनके विधिक वारिसों के 4435 एवं अतिक्रमणकारियों के 2812 आवेदन है। **(ख)** केवल 50 दावों का। **(ग)** 200 व्यक्तिगत दावेदारों के पी.डी.ए. सर्वे किये जाने के बाद पट्टा जारी किया जाना शेष है। **(घ)** जी नहीं। दावों की मान्यता की प्रक्रिया अर्द्ध न्यायिक स्वरूप की होने के कारण समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

<u>**एम.पी. पी.एम.टी. बंद होने से अजजा वर्ग के प्रभावित छात्र**</u>

64. (क्र. 1071) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014-15 में म.प्र. के चिकत्सा महाविद्यालयों में अजजा वर्ग हेतु कितनी सीटे आरक्षित थी? **(ख)** आरक्षित सीटों के विरूद्ध कितनी सीटों पर अजजा विद्यार्थियों का चयन होकर कितनी सीटे रिक्त रही? रिक्त सीटों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाये गये? **(ग)** क्या चिकित्सा महाविद्यालयों में चयन हेतु एम.पी.-पी.एम.टी. बंद कर ए.आई.-पी.एम.टी. परीक्षा लागू करने से प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में निवासरत, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 12वीं तक पढ़ाई करने के कारण अजजा वर्ग का विद्यार्थी ए.आई.पी.एम.टी. जैसी सी.बी.एस.ई. कोर्स आधारित जटिल परीक्षा में कम मार्क आने से चयन से वंचित हुआ है? **(घ)** यदि हाँ, तो अजजा वर्ग के विद्यार्थियों के हित में एम.पी-पी.एम.टी पुनः चालू करने अथवा ए.आई-पी.एम.टी. में अजजा वर्ग हेतु अनिवार्य कट ऑफ मार्क में शिथिलता प्रदान करने संबंधी कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो जानकारी से अवगत करावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों मे अनुसूचित जन जाति वर्ग हेतु शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में 118 सीटें आरक्षित थीं। **(ख)** वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुसूचित जन जाति वर्ग के 20 अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों पर काउंसलिंग के माध्यम से आवंटन लिया गया था। शासकीय चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की 98 सीटें रिक्त थी। अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत मार्कस कम किए जाने के संबंध में संचालनालय द्वारा पत्र दिनाँक 18/07/2014 को सचिव, एम.सी.आई. को पत्र प्रेषित किया गया था। प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा दिनाँक 01/09/2014 द्वारा सचिव, एम.सी.आई. को एवं पत्र दिनाँक 03/09/2014 द्वारा सचिव, डी.सी.आई. को तथा दिनाँक 06/09/2014 द्वारा संयुक्त सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली को पत्र भेजे गए हैं। माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अ.शा. पत्र क्रमांक 2890/मं/लो.स्वा.परि.क./चि.शि./आयु/भो.गै.त्रा./सं.का./दिनाँक 10/09/2014 द्वारा माननीय मंत्रीजी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार नई दिल्ली से भी 10 प्रतिशत मार्क में छूट दिए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया। संयुक्त सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफटीएस नं. 189620/2014 दिनाँक 16/09/2014 द्वारा 10 प्रतिशत मार्क में छूट दिए जाने के संबंधी प्रस्ताव अमान्य किया गया।

(ग) जी नहीं, अपितु अनुसूचित जन जाति वर्ग हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं कर पाने के कारण सीट नहीं भरी जा सकी। **(घ)** प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 5-20/14/1-55 दिनाँक 16/04/2015 द्वारा सचिव, भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को वर्ष 2015 में आरक्षित वर्गों के छात्रों को 10 प्रतिशत मार्कस में छूट दिए जाने के संबंध में पुनर्विचार कर क्वालीफाई अंक में छूट प्रदान करने का पुनः अनुरोध किया गया।

पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिकित्सकों के रिक्त पद

65. (क्र. 1077) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन, मझौली एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटंगी जिला जबलपुर में कौन-कौन से चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** में उल्लेखित स्वीकृत पदों के विरूद्ध कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से चिकित्सक पदस्थ हैं एवं किस-किस प्रकार के कितने चिकित्सकों की कमी है? **(ग)** प्रश्नांक **(ख)** में उल्लेखित चिकित्सकों की कमी के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत एक वर्ष में शासन को प्रेषित पत्रों की जानकारी देवें एवं इन प्रेषित पत्रों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नकर्ता द्वारा 04 जुलाई 2014 को विधानसभा में पूछे गये परि.अता.प्रश्न संख्या - 41 (क्रमांक 984) के उत्तर में आर.सी.एच. कार्यक्रम अंतर्गत संविदा चिकित्सकों की भर्ती की कार्यवाही जिला स्तर पर निरंतर जारी होने की जानकारी दी गई थी? तो उक्त संबंध में हुई प्रगति से अवगत करावें एवं क्या शासन ग्रामीणजनों की आवश्यकताओं को देखते हुये स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों की पदस्थापना करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। डॉ आशीष राज, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन को सीजर ऑपरेशन हेतु सिविल अस्पताल, रांझी में कार्य संपादित करने हेतु आदेशित किया गया है। **(ग)** विभाग में विशेषज्ञों/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है विशेषज्ञों के स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध मात्र 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं तथा चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत 4833 पदों के विरूद्ध मात्र 2645 चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हैं। सामान्यतः माननीय सांसद एवं विधायकगण अथवा जनप्रतिनिधियों से पद पूर्ति संबंधी प्राप्त टीप के आधार पर एवं विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियुक्तियों हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग को मांगपत्र प्रेषित किए जाते हैं एवं हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की सूची प्राप्त हुई थी, चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु एम.पी. आनलाईन के माध्यम से आनलाईन काउन्सलिंग की कार्यवाही की गई है तथा मांग अनुसार सा.स्वा.के. पाटन हेतु 02 तथा मझोली हेतु 03 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी, चिकित्सकों द्वारा पदस्थापना चयन उपरांत शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। **(घ)** प्रश्नांश घ में उल्लेखित अतारांकित प्रश्न क्रमांक 41 (984) के संदर्भ में जिला स्तर पर पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा आर.सी.एच. चिकित्सकों के पद पर नियुक्ति हेतु प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कैम्पस सलेक्शन की कार्यवाही की गई है एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के आदेश क्रमांक एन.एच.एम./एचआर/2015/7143 दिनाँक 04.07.2015 के द्वारा एक निश्चेतना योग्यता के चिकित्सक

की पदस्थापना की गई है। रिक्त पद की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

अध्यापक संवर्ग को ग्रेज्युटी की पात्रता

66. (क्र. 1078) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के अध्यापक संवर्ग को अन्य कर्मचारियों के समान ग्रेज्युटी की पात्रता है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या भविष्य में शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग को ग्रेज्युटी का लाभ दिये जाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। अध्यापक संवर्ग स्थानीय निकाया यथा पंचायत / नगरीय निकाय के कर्मचारी है। इनकी सेवायें नगरीय निकाय के नियमों से संचालित होती हैं, इन नियमों में ग्रेच्यूटी दिये जाने का प्रावधान नहीं है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में।

भोपाल संभाग में आयुर्वेदिक दवाइयों का क्रय

67. (क्र. 1105) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14, 14-15 में विभाग द्वारा भोपाल संभाग स्थित किन-किन आयुर्वेदिक दवा व्यापारियों / कंपनियों से दवाईयाँ क्रय की गई? कौन-कौन सी दवाईयां किन-किन कीमतों पर क्रय की गई? कुल कितनी राशि की दवाईयां विभिन्न व्यापारियों / कंपनियों से क्रय की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की आयुर्वेदिक दवाईयों की लागत क्या थी? क्या दवाई क्रय हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित की गई? **(ग)** इन दवाईयों की गुणवत्ता की जाँच हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या इन दवाईयों के नमूने परीक्षण हेतु किसी प्रयोगशाला में भेजे गए? यदि हाँ, तो नमूनों की क्या रिपोर्ट आई? **(घ)** यदि प्रश्नांश **(ग)** में प्रयोगशाला में भेजे गए नमूने सही नहीं पाए गए तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** क्रय की गई औषधियों की गुणवत्ता की जाँच मान्यता प्राप्त लेबोट्री से कराई गई। रिपोर्ट सही पाई गई। **(घ)** "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में नकली दवा कंपनियों पर कार्यवाही

68. (क्र. 1106) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14, 14-15 में क्या विभाग द्वारा नकली दवा कंपनियों पर कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो किन-किन कंपनियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या दवा निर्माता कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया? यदि हाँ, तो किन-किन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया? **(ग)** दवा नमूनों की जाँच हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जे.ए.एच. अस्पताल में खरीदी में अनियमितताएं

69. (क्र. 1117) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर में 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2015 तक सामग्री कितनी राशिकी खरीदी गई? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत खरीदी गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया था? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या वस्तु/दवा खरीदी में अनियमितताओं की शिकायतें शासन/संचालक/उपसंचालक/जिला कलेक्टर को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या-क्या? प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही हुई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर में 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 तक निम्नानुसार सामग्रियां खरीदी की गई:-

खरीदी विवरण 01 अप्रैल 2013 से 31.03.2014		
1	1353-34-002-औषधि मद	916.73 लाख
2	7892-34-002- दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना	330.18 लाख
3	1353-34-001-मटेरियल सप्लाई	32.10 लाख
4	1353-34-006-खपने वाला सामान	25.62 लाख
खरीदी विवरण 01 अप्रैल 2014 से 31.03.2015		
1	1353-34-002-औषधि मद	1112.91 लाख
2	7892-34-002- दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना	627.48 लाख
3	1353-34-001-मटेरियल सप्लाई	62.21 लाख
4	1353-34-006-खपने वाला सामान	28.38 लाख

(ख) जी हाँ। **(ग)** 1. डॉ. ज्योति बिंदल, पूर्व अधीक्षक, जयारोग्य अस्पताल की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जाँच प्रचलित है। 2. कार्यालय जिला कलेक्टर से फ्रिज खरीदी में घोटाले बाबत् जाँच दिनाँक 27.02.2015 को प्राप्त हुई। संबंधित शिकायत की जाँच जारी है। 3. अधिष्ठाता के माध्यम से संभागीय आयुक्त द्वारा भेजी गई स्टेशनरी संबंधी शिकायत दिनाँक 07.02.2015 को प्राप्त हुई जिसकी जाँच प्रचलित है। 4. संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक 20/आडिट/लोलेस/195/2015 भोपाल दिनाँक 21.05.2015 जिसके माध्यम से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रारूप कंडिका के परिपालन मे प्रदायकर्ताओं से अधिक भुगतान की शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जाँच प्रचलित है।

भिण्ड सी.एम.एच.ओ. द्वारा खरीदी गई सामग्री

70. (क्र. 1118) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड सी.एम.एच.ओ. ने 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या सामग्री/दवाएं किस दर पर, किस फर्म से कब-कब खरीदी? जानकारी सामग्रीवार/फर्मवार दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत खरीदी गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया था? यदि हाँ, तो किस-किस दिनाँक को दर्ज किया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या सामग्री/दवा खरीदी में अनियमितताओं की शिकायतें शासन/संचालक/उपसंचालक/जिला कलेक्टर को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या-क्या? प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही हुई जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी भिण्ड द्वारा 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनाँक तक क्रय की गई दवाएं सामग्री दर एवं फर्म की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी हाँ। क्रय की गई सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड डॉ. राकेश शर्मा के विरूद्ध प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के अंतर्गत सामग्री एवं दवाई के संबध में अनियमतता संबधी शिकायत शाखा में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आना नहीं पाई गई। परन्तु औषधि की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये औषधि प्राप्त होने के 3 दिवस के भीतर चिन्हित एक्रीडेटेड प्रयोगशालाओं को सेम्पल भेजे जाने अनिवार्य थे, जो डॉ.शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड द्वारा नहीं भेजे गये। इस संबंध में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

हाईस्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति

71. (क्र. 1138) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल गिन्दौरहाट, जरकडियाखेड़ी, मऊ, नापानेरा, पीपलहेला, सीलखेड़ा व संवासी का विगत वर्षों में माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन हुआ था? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा उन्नत किये गये हाईस्कूलों के लिये भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उक्त हाईस्कूलों के लिये भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? **(ख)** क्या वर्ष 2014-15 में लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा 50 मिडिल स्कूलों का हाईस्कूल में उन्नयन की सूची में सरल क्रमांक 26 पर शासकीय माध्यमिक शाला सेमलापार का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया है? यदि हाँ, तो क्या विद्यार्थी के अध्ययन हेतु शाला भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो कब तक भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जी नहीं। उक्त उन्नयन किए गए हाईस्कूलों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति अथवा राज्य बजट की उपलब्धता पर शाला भवन निर्माण निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं। भवन की स्वीकृति भारत सरकार अथवा राज्य बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मानसिक चिकित्सालय, इंदौर को नेशनल साईकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में अपग्रेड करना

72. (क्र. 1150) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य सरकार द्वारा इंदौर स्थित मानसिक चिकित्सालय हेतु नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत अनुदान हेतु प्रस्ताव भेजा गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसे कब तक भेजा जाएगा? **(ख)** क्या राज्य सरकार द्वारा इंदौर स्थित मानसिक चिकित्सालय को नेशनल साईकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में अपग्रेड करने की कोई योजना है। यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, इंदौर द्वारा सीधे पत्र क्र. 617/प्रोजेक्ट/09 दिनाँक 02.03.2009 द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत मानसिक चिकित्सालय, इंदौर के लिये प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। तदुपरांत अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर के पत्र क्रं.

113/बजट/2013 दिनाँक 08.05.2013 द्वारा मानसिक चिकित्सालय, इंदौर के लिये अनुमानित लागत रूपये 54.00 करोड़ का प्रस्ताव अग्रिम रूप से सीधे महानिदेशक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया हैं। **(ख)** वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

आयुष विश्वविद्यालय खोलने की योजना

73. (क्र. 1151) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु आयुष विश्वविद्यालय खोलने की कोई योजना है। यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** यदि हाँ, तो इसे कब तक प्रारंभ किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) 12 वीं पंचवर्षीय योजना में आयुष विभाग में विश्वविद्यालय खोलने संबंधी कोई भी योजना नहीं हैं। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों को नि:शुल्क दवाइयों का वितरण

74. (क्र. 1169) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन व्दारा शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों को चिकित्सक उपचार उपरांत नि:शुल्क दवाईयां उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं? क्या मुरैना जिले के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों को नि:शुल्क दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो जिला चिकित्सालय मुरैना व्दारा मरीजों को नि:शुल्क दवाईयां उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में किस-किस कम्पनी की कौन-कौन सी दवाईयां कितनी संख्या में क्रय की गई हैं तथा मुरैना जिले के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को कौन-कौन से दवाईयां कितनी-कितनी संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के सम्बन्ध में दवाईयां किस प्रक्रिया अंतर्गत क्रय की जाती हैं तथा कितनी संख्या में क्रय की जाती हैं, के सम्बन्ध में बतावें? **(ग)** मुरैना जिले के जिला चिकित्सालय एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में आवश्यकतानुसार क्या-क्या उपकरण क्रय किये गये हैं तथा किस प्रक्रिया अंतर्गत किये गये हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। मुरैना जिले की सभी शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों को निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्धता कराई जा रहीं है। जिला चिकित्सालय मुरैना में वितीय वर्ष 2015-16 में क्रय क्री कई दवाईयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" अनुसार** है। मुरैना जिले के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रदाय की गई दवाईयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "ब" अनुसार** है। **(ख)** मुरैना जिले में औषधियाँ म.प्र. शासन द्वारा जारी दवा नीति 2009 के अनुसार क्रय की जाती है। एवं क्रय कर जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। **(ग)** मुरैना जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्रय किये गये उपरकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "स" अनुसार** है।

दिमनी वि.स.क्षेत्र में संचालित अशासकीय विद्यालयों की जानकारी

75. (क्र. 1170) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिमनी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने अशासकीय विद्यालय संचालित हैं? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के सम्बन्ध में क्या समस्त अशासकीय विद्यालय शासन व्दारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होकर एवं दिशा निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जा रहा है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के समस्त अशासकीय विद्यालयों को शासन व्दारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने के उपरांत जाँच कराई जाकर मान्यता प्रदान की गई हैं अथवा नहीं, यदि हाँ, तो शासन व्दारा क्या मापदण्ड एवं दिशा निर्देश जारी किये है, अवगत करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : **(क)** 101 अशासकीय विद्यालय संचालित है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। मापदण्ड एवं दिशा निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 पर** है।

<u>छात्रवृत्ति में अनियमितता</u>

76. (क्र. 1192) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पिछले वर्ष श्रम एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से छतरपुर जिले में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था? **(ख)** यदि हाँ, तो छतरपुर जिले के श्रम अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी? **(ग)** इस घोटाले में शिक्षा विभाग के कौन-कौन से अधिकारी शामिल हैं, तथा जाँच किस स्तर पर चल रही है? क्या इस घोटाले की छात्रवृत्ति छात्र छात्राओं को दी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** कलेक्टर जिला छतरपुर ने जिन अधिकारियों को जाँच सौंपी थी, उनकी रिपोर्ट पर से क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें।

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : **(क)** छतरपुर जिले में पिछले वर्ष माह दिसम्बर, 2014 में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना में प्राचार्य/संस्था के नाम से फर्जी बजट मांग पत्र प्रस्तुत कर फर्जी ढंग से बजट राशि प्राप्त करने का प्रकरण संज्ञान में आया था। **(ख)** आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश क्रमांक 60/वी/जाँच/2015, दिनाँक 12.01.2015 के द्वारा श्री के.के. गुप्ता, श्रम पदाधिकारी, छतरपुर को निलंबित किया गया है। **(ग)** प्रकरण में सिविल लाईन थाना छतरपुर में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। जिस पर जाँच थाना सिविल लाईन छतरपुर द्वारा की जा रही है। **(घ)** कलेक्टर छतरपुर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर की अध्यक्षता में कोषालय अधिकारी छतरपुर की संयुक्त टीम गठित कर जाँच करायी गई। उक्त जाँच रिपोर्ट आयुक्त सागर संभाग सागर को सौंपी गयी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर श्री के.के. गुप्ता श्रम पदाधिकारी छतरपुर को दिनाँक 12.01.2015 को आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा निलंबित किया गया।

<u>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुनासा का उन्नयन</u>

77. (क्र. 1210) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खण्डवा जिले के ग्राम पुनासा में 30 बिस्तर के अस्पताल भवन का निर्माण कब पूर्ण किया गया है? यदि 30 बिस्तर का अस्पताल भवन निमार्ण पूर्ण किया गया है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्यों नहीं किया गया है? **(ख)** क्या पुनासा में विकासखण्ड/जनपद कार्यालय, एस.डी.एम. कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं अन्य विकासखण्ड स्तरीय कार्यालय होने के बावजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुनासा का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ग)** माननीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण मंत्री जी द्वारा विधानसभा के बजट सत्र 2013-14/2014-15 में अनुदान मांगों पर चर्चा में, पुनासा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में करने की घोषणा की गई है? यदि हाँ, तो कब तक इस घोषणा को पूर्ण कर लिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) खण्डवा जिले के ग्राम पुनासा में 30 बिस्तर के अस्पताल भवन का निर्माण कार्य दिनाँक 21.01.2013 को पूर्ण किया गया। पुनासा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। पुनासा विकास खण्ड की वर्ष 2011 के मान से जनसंख्या 185176 है। जनसंख्या निर्धारण मापदण्डानुसार 1 विकासखण्ड में 1.20 लाख की जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान है। विकास खण्ड पुनासा में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में मुंदी में पूर्व से स्वीकृत है। **(ख)** 'क' के उत्तर में अंकित अनुसार। **(ग)** जी हाँ। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

केवलारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित शा. सामु. स्वास्थ्य केन्द्र एवं निजी स्वा. केन्द्र

78. (क्र. 1245) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं निजी स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? सूची देवे एवं इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्या-क्या चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित सामुदायिक स्वा.केन्द्र प्राथ. प्राथमिक स्वा. केन्द्र एवं मिनि स्वा. केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? केन्द्रवार सूची देवें। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में उक्त पदों में कौन-कौन, कब से पदस्थ हैं और कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? सूची देवें। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** में उक्त पदों को भरने हेतु शासन स्तर पर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समय-सीमा बताना संभंव नहीं है।

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना

79. (क्र. 1274) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जाति विभाग म.प्र. शासन द्वारा विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति कब से प्रारंभ की गई है? **(ख)** इस योजना में आज तक कितने छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ है? **(ग)** क्या उपाधि शोध उपरांत अध्ययन वर्तमान योजना में शामिल है? यदि नहीं, है तो क्यों नहीं है? **(घ)** यदि शामिल करेंगे तो कब तक करेंगे? समय-सीमा बताये।

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वर्ष 2003 से विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ हुई है। **(ख)** इस योजना में आज तक 31 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। **(ग)** वर्तमान में शोध उपाधि उपरांत अध्ययन इस योजना में सम्मिलित नहीं है। **(घ)** प्रश्नांश 'ग' के अनुसार, प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पदस्थापना

80. (क्र. 1285) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डभौरा में कितने चिकित्सकों का पदस्थीकरण किया गया है? क्या वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधायें प्रदाय हो रही है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के ही संदर्भ में चिकित्सकों की कमी के कारण क्या आम जनता को स्वास्थ्य सेवायें के लिये अन्यत्र भटकना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या समुचित स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराये जाने के लिये कोई प्रक्रिया प्रचलन में चल रही है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के ही संदर्भ में क्या **(ख)** में अंकित समस्याओं के निराकरण हेतु सभी बीमारी से संबंधित चिकित्सकों की पदस्थापना की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : **(क)** सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवा में 02 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डभौरा में एक संविदा चिकित्सक कार्यरत है। उक्त चिकित्सकों द्वारा सिरमौर एवं डभौरा में स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। **(ख)** उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में जी नहीं, वर्तमान में प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध मात्र 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। हाल ही में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है तथा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा 1896 चिकित्सकों की भर्ती हेतु विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया है। **(ग)** विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

<u>**प्राथमिक विद्यालय नरैयाखेड़ी में पदस्थ अध्यापक का अटैचमेंट**</u>

81. (क्र. 1292) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय नरैयाखेड़ी विकासखण्ड पोहरी में दिनाँक 02.12.2006 से पदस्थ अध्यापक को किस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व तहसील पोहरी व जिला निर्वाचन कार्यालय में विगत 08 वर्षों से अनुलग्न कर रखा गया है? शासन द्वारा अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न कराये जाने व अन्य विभाग में अनुलग्न न किये जाने के नियम व आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में उक्त अध्यापक द्वारा नियुक्ति दिनाँक 02.12.2006 से प्रश्न दिनाँक तक कितने दिन अध्यायन कार्य कराया गया है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** उक्त शिक्षक का अटैचमेंट समाप्त किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर शिवपुरी, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को पत्राचार किया गया था। यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? **(घ)** क्या उक्त अध्यापक का अटैचमेंट समाप्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो करण स्पष्ट करें व अटैचमेंट कब तक समाप्त कर दिया जावेगा? इतने लम्बे समय तक अनुलग्न रखने हेतु कौन-कौन दोषी है व उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : **(क)** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अनुसार श्री अनुराग द्विवेदी, अध्यापक को विभिन्न आदेशों के तहत विभिन्न समयावधि के लिए निर्वाचन जनगणना, सामाजिक आर्थिक गणना कृषि संगणना, पंचायत निर्वाचन, उप निर्वाचन, मतदाता सूची का पुनरीक्षण जैसे कार्यों में अनुलग्न किया गया है। शेषांश की

जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक पर। (ख) कुल 113 दिन। वर्ष 2006 (22 दिवस), वर्ष 2007 (13 दिवस) एवं वर्ष 2009 (78 दिवस)। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो पर। (घ)** जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "बीस"

जबलपुर जिले के अंतर्गत विभाग के लिपिक कर्मचारियों की पदोन्नति

82. (क्र. 1304) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनाँक 24/4/13 में समस्त विभागों को वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** आदेशानुसार जारी आदेश दिनाँक से प्रश्नांश दिनाँक तक जबलपुर जिला अंतर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु कब-कब पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की गई? बैठक का दिनाँक, बैठक कार्यवाही विवरण, जारी आदेश की प्रति सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करायें? यदि बैठक आयोजित नहीं की गई तो जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही क्यों नहीं की गई? **(ग)** वर्तमान में जबलपुर जिला अंतर्गत पदोन्नति के कितने पद रिक्त हैं? इन पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र सभी संवर्ग के लिपिकों को पदोन्नति का लाभ कब तक दे दिया जावेगा? निश्चित समय-सीमा बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** जबलपुर जिला अंतर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु दिनाँक 11/05/2015 को विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षित बैठक आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण तथा जारी पदोन्नति आदेश की प्रति आदेशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर।** अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जबलपुर जिला अंतर्गत सहायक ग्रेड-1, मुख्य लिपिक 07, लेखापाल-16, सहायक ग्रेड-2 के 24, सहायक ग्रेड-3- 00 पद रिक्त है। पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जबलपुर संभाग के अंतर्गत विभाग के लिपिक वर्ग कर्मचारियों को समयमान वेतनमान

83. (क्र. 1305) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य शासन व्दारा राज्य के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने की योजना किस दिनाँक से लागू की गई? कितनी सेवा अवधि के बाद समयमान वेतनमान दिया जाता है? समय-समय पर जारी आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** जबलपुर संभाग अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के कितने लिपिक वर्गीय कर्मचारी प्रश्नांश दिनाँक तक समयमान वेतनमान की पात्रता प्रश्नांश **(क)** अनुरूप रखते हैं? इन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है, इन अधिकारियों व्दारा प्रश्नांश **(क)** अनुरूप वेतनमान कब-कब स्वीकृत किये गये? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? जिन कर्मचारियों को वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी नहीं किये गये उन्हें हो रही वित्तीय हानि के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं, इन अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही क्यों नहीं की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अनुरूप प्रश्नांश **(ख)** शेष कर्मचारियों को समयमान वेतन का लाभ प्राप्त होगा? निश्चित समय-सीमा बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) राज्य शासन द्वारा राज्य के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने की योजना दि. 01.04.2006 से लागू की गई। 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की निरंतर सेवा अवधि के बाद समयमान वेतनमान दिया जाता है। आदेशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुक्रम में जबलपुर संभाग अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमाना वेतनमान हेतु क्रमशः 21 कर्मचारी, 102 कर्मचारी एवं 20 कर्मचारी वर्तमान में पात्रता रखते है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर संयुक्त संचालक द्वारा समयमान वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है, इस हेतु वर्ष 2015 के लिए संयुक्त संचालक जबलपुर द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे है यह प्रक्रियाधीन है। प्रश्नांश **(क)** के अनुरूप वेतनमान आदेश दिनाँक 03.03.14 के द्वारा वर्ष 2014 के पात्रताधारी कर्मचारियों के लिये स्वीकृत किये गये है। आदेशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर**। वर्ष 2015 के लिए प्रस्ताव चाहे गये है। समयमान वेतनमान की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। समयमान वेतनमान पात्रता दिनाँक से ही स्वीकृत किये जाते है अतः वित्तीय हानि की स्थिति नहीं होती है। स्वीकृति नहीं होने पर ही जिम्मेदारी का निर्धारण संभव है। **(ग)** संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर द्वारा लिपिकों को समयमान वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव चाहे गये है। पात्रताधारी शेष कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

स्कूलों का उन्नयन

84. (क्र. 1331) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 17.03.2015 को तारांकित प्रश्न क्र. 4031 में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 पर** वर्ष 2014-15 में जिला रीवा के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल उन्नयन हेतु एवं हाई स्कूल सेकेण्ड्री में उन्नयन हेतु प्रस्तावित सूची में उल्लिखित सभी विद्यालय उन्नयन के पात्र है ऐसा उत्तर दिया गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में पात्र सूची में शा.मा.शा. दामोदरगढ़ तथा बसिगड़ा का उन्नयन हाई स्कूल के रूप में तथा हाई स्कूल बहेराड एवं प्रताप गंज का उन्नयन हायर सेकेण्ड्री के रूप में वर्ष 2015-16 से किया जावेगा? **(ग)** यदि हाँ, तो कब तक उन्नयन कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** उक्त शालाओं को वर्ष 2015-16 में उन्नयन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उन्नयन बजट स्वीकृति पर निर्भर करेगा। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के अनुक्रम में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

बालक/कन्या छात्रावास की स्थापना

85. (क्र. 1332) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण शाखा) रीवा द्वारा पत्र क्र. 5017 रीवा दिनाँक 30.10.2014 के द्वारा गाड़ा क्षेत्र पिपराही के अंतर्गत विकासखण्ड मऊगंज एवं हनुमना में बालक / कन्या छात्रावास, बहेराअबर, मुनहाई एवं हाटा में खोले जाने हेतु पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु आयुक्त, आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन भोपाल को भेजा गया है? **(ख)** यदि उत्तर हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? **(ग)** प्रश्नांश के प्रकाश में कार्यवाही में यदि किसी प्रकार की कठिनाई है तो उसे किस प्रकार दूर किया जाकर आश्रम खोले जावेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2015-16 में खोले जाने वाले 20 नवीन प्री-मैट्रिक छात्रावासों के प्रस्ताव में शामिल किया गया है। **(ग)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन

86. (क्र. 1374) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्राम पंचायत बेहट जिला ग्वालियर के उपस्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्वालियर जिले के भ्रमण के दौरान दिनाँक 27.06.13 को घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो उक्त घोषणा पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** बेहट उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** यदि नहीं, की गई है तो क्यों? कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) ग्वालियर जिले के भ्रमण के दौरान माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनाँक 27.06.2013 ग्राम पंचायत बेहट में उप स्वास्थ्य केन्द्र बेहट के भवन निर्माण की घोषणा की गई थी। उन्नयन की घोषणा नहीं की गई थी। **(ख)** विकास खण्ड़ मुरार जिला ग्वालियर के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र बेहट संचालित है। जनसंख्या के निर्धारित मापदण्डानुसार 30 हजार की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान है। वर्ष 2011 की जनगणना के मान से ग्राम बेहट की स्थानीय ग्रामीण जनसंख्या- 4227 एवं आस-पास के ग्रामों की संख्या को मिलाकर कुल जनसंख्या- 6167 होती है। ग्राम बेहट से निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्थिनापुर 10 किमी की दूरी पर संचालित है। जनसंख्या के मान से उप स्वास्थ्य केन्द्र बेहट को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने की पात्रता नहीं आती है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एससी. एस.टी. ओबीसी. का आरक्षण

87. (क्र. 1419) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अतारांकित प्रश्न क्र. 80 (क्र. 1806) दिनाँक 25.02.2015 व्दारा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की जानकारी चाही गयी थी यदि हाँ, तो कब तक उत्तर प्रदान किया जायेगा? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में एम.वी.टी.एस. व अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत सीटें शासन के नियमानुसार आरक्षण 3 का पालन करते हुए ए.आई.पी.एम.जी. व्दारा भरी जाती है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** यदि हाँ, तो 50 प्रतिशत की सीटें क्या डीमेट व्दारा भरी जाती है? यदि हाँ, तो इन सीटों पर एससी/एसटी/ओबीसी के आरक्षण का पालन क्यों नहीं किया जाता है? कॉलेज संचालन की अनुमति के वक्त आरक्षण नियमों का पालन करने का उल्लेख रहता है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में आरक्षण नियम का पालन कब तक किया जावेगा समय-सीमा बताएं? यदि आरक्षण नियम का पालन नहीं करेगे तो कॉलेज की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1806 की जानकारी विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-05/2015/1-55 दिनाँक 07/07/2015 द्वारा विधान सभा सचिवालय को भेजी गई हैं। **(ख)** निजी चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा संचालित एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में याचिका क्रमांक 4060/2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाँक 27/05/2009 के परिपालन में

संस्था कुल स्वीकृत सीट्स में से 15 प्रतिशत एन.आर.आई. की सीट्स को छोड़कर शेष 85 प्रतिशत सीट्स में से 50 प्रतिशत सीट्स स्टेट कोटे के अन्तर्गत संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से आरक्षण का पालन करते हुए ए.आई.पी.एम.टी. द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवंटन पत्र जारी किए जाते है तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जाता है। **(ग)** जी हाँ । मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2007 के अन्तर्गत बनाए गए प्रवेश नियम 2008 के नियम 4 (2) के अन्तर्गत निजी संस्थाओं में निम्नानुसार आरक्षण दिए जाने के प्रावधान है :- (i) अनुसूचित जनजाति - 20 प्रतिशत (ii) अनुसूचित जाति - 16 प्रतिशत (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग - 14 प्रतिशत (क्रीमीलेयर को छोडकर) उपरोक्त के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5-4/2014/1-55, दिनाँक 28/03/2014 एवं पत्र दिनाँक 04/04/2015 द्वारा निर्देश भी जारी किए गए है। निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा डीमेट कोटा की सीट में आरक्षण दिए जाने के संबंध में जानकारी ए.एफ.आर.सी. एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त की जा रही है। **(घ)** प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सफाई कर्मियों को समय पर पारिश्रमिक भुगतान

88. (क्र. 1449) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में ठेके पर सफाई कर्मियों को रखे जाने, उन्हें प्रतिमाह कितनी पारिश्रमिक राशि किसके द्वारा किस प्रक्रिया से भुगतान किये जाने के क्या नियम निर्देश है? आदेश-निर्देश की प्रति सहित जानकारी दें? **(ख)** छिन्दवाड़ा जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में सफाई कर्मियों को रखे जाने का ठेका किसे कब और किस स्तर से कितनी अवधि के लिए किन शर्तों पर दिया गया है? विगत दो वर्षों में सफाई कर्मियों को कितनी-कितनी राशि किस माह की कब-कब, किस रीति से भुगतान किया गया? **(ग)** ठेकेदार द्वारा किन-किन सफाई कर्मियों को किस आधार पर जिले के शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में रखा गया है? सफाई कर्मियों के हितों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? समय पर पारिश्रमिक भुगतान न होने पर कौन जवाबदेह है? **(घ)** क्या छिन्दवाड़ा जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में ठेके पर नियुक्त सफाई कर्मियों को ठेकेदार के द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान प्रतिमाह समय पर नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन संज्ञान में लेकर ठेकेदार का ठेका निरस्त करने और उसके साथ-साथ ऐसे ठेकेदार को प्रश्रय देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में खुली निविदा आमंत्रित कर आउटसोर्स ऐजेन्सी के माध्यम से कलेक्टर दर पर ठेके पर सफाई कर्मियों को रखे जाने एवं इन्हें ऐजेन्सी द्वारा ई-पेमेन्ट द्वारा भुगतान किये जाने के निर्देश हैं। आदेश निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** छिन्दवाड़ा जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में सफाईकर्मियों को रखे जाने का ठेका कामथेन सिक्यूरिटी सर्विसेस इन्दौर को दिनाँक 11/02/2014 से निरंतर जिला स्तर से दिया गया। ठेका किन शर्तो पर व अवधि के लिये दिया गया था की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। साफ-सफाई के कार्य हेतु सफाई कर्मियों को आउटसोर्स ऐजेन्सी द्वारा भुगतान किया जाता है एवं उसका बिल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किया जाता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय छिन्दवाड़ा द्वारा आउटसोर्स ऐजेन्सी को धनादेशों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। ऐजेन्सी द्वारा सफाई कर्मियों को अपने स्तर से भुगतान किया जाता है। विगत दो वर्षों में सफाई कर्मियों को कितनी-कितनी राशि किस माह की कब-कब किस रीति से भुगतान किया गया है की जानकारी एकत्र की जा रही है। **(ग)** ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मियों को कलेक्टर दर पर जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर रखा गया है। सफाईकर्मियों के हितों की देखभाल की जिम्मेदारी आउटसोर्स ऐजेन्सी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिन्दवाड़ा की है। समय पर पारिश्रमिक भुगतान न होने की जिम्मेदारी आउटसोर्स ऐजेन्सी की है। **(घ)** सफाईकर्मियों को ठेकेदार द्वारा समय पर पारिश्रमिक का भुगतान न करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस संबंध में संबंधित ऐजेन्सी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिन्दवाड़ा द्वारा नोटिस जारी किया गया है। विगत 4 माह से सफाई कर्मियों को ऐजेन्सी द्वारा समय पर भुगतान किया जा रहा है। सफाई कर्मियों को समय पर भुगतान न किये जाने की जाँच के आदेश जारी किये गये हैं। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में चिकित्सकों की व्यवस्था

89. (क्र. 1450) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एलोपैथिक चिकित्सकों की पदपूर्ति के लिए क्या प्रयास कर रहा है? **(ख)** क्या छिन्दवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरई के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मिलाकर एलोपैथिक चिकित्सकों के 12 पदों के विरूद्ध केवल एक चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ है, जिसके चलते क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है? **(ग)** क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में एकमात्र चिकित्सक पदस्थ होने से रात्रिकालीन अथवा इमरजेंसी ड्यूटी पर कोई चिकित्सक नहीं रहता तथा अन्य विभागीय मिटिंग्स में अथवा अदालतों के नोटिस आदि पर पैरवी/साक्ष्य में चले जाने के कारण कोई भी चिकित्सक इन स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं रहता? **(घ)** यदि हाँ, तो कब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में चिकित्सकों की पदपूर्ति कर दी जावेगी और यदि चिकित्सकों की पदपूर्ति में विलंब हो रहा है तो क्या शासन अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों से अथवा जिला चिकित्सालयों से चिकित्सकों की अस्थाई व्यवस्था करने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करते हुए यह बतायें कि चिकित्सकों के अभाव में इलाज हेतु परेशान हो रहे मरीजों के लिए इलाज की क्या व्यवस्था है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विभाग चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। वर्ष 2014 में 1271 चिकित्सकों की भर्ती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था, हाल ही में जून 2015 में पुनः मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 1896 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। **(ख)** जी हाँ यह सही है कि चिकित्सकों के पद रिक्त हैं परंतु कार्य के सूचारू संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 02 चिकित्सकों की ड्यूटी पृथक-पृथक दिवस में चैरई में लगाई गई है। **(ग)** उत्तरांश ''ख'' अनुसार। **(घ)** हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की ऑनलाईन काउंसलिंग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चैरई हेतु चिकित्सा अधिकारी के 01 पद की रिक्ति प्रदर्शित की गई थी एवं छिन्दवाड़ा

जिले हेतु कुल 35 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी जिसमें से 16 चिकित्सकों द्वारा संस्थाओं का चयन किया गया है परंतु चैरई को किसी चिकित्सक द्वारा चयनित नहीं किया गया है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है हाल ही में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है, लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी। जिलों में स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा आर.सी.एच. चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिम जाति कल्याण विभाग में कर्मचारियों के संबंध में

90. (क्र. 1458) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग में विशेष आदिम जाति का भरती में कितना प्रतिशत आरक्षण है? **(ख)** क्या पूर्व में बैतूल के स्वास्थ्य विभाग में अन्य जिलों के विशेष आदिवासी उम्मीदवारों से भरती की गई है? **(ग)** क्या इस प्रकार बैतूल के आदिवासियों के साथ भेदभाव किया गया है? यदि हाँ, तो इसकी जाँच म.प्र. शासन कर पायेगी? **(घ)** क्या आ.ज.क. विभाग के छात्रावास/आश्रम में अन्य शिक्षक को अधीक्षक बनाया गया है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विशेष आदिम जाति के लिए पृथक से आरक्षण का प्रावधान नहीं है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** बैतूल जिले में विभाग के 139 छात्रावास/आश्रम संचालित हैं, जिनमें 76 अनुसूचित जनजाति, 25 अनुसूचित जाति, 29 पिछड़ा वर्ग तथा 09 सामान्य वर्ग के अधीक्षक कार्यरत हैं। **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

मेडिकल कॉलेजों में भरती हेतु आरक्षित कोटा

91. (क्र. 1459) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज प्रवेश हेतु (आल इंडिया स्तर पर) कितने प्रतिशत कोटा अ.ज.जा. हेतु आरक्षित है, म.प्र. कोटा देवें? **(ख)** क्या पूर्व समय में म.प्र. का अ.ज.जा. का कोटा अन्य प्रदेश से भरा गया है? **(ग)** क्या म.प्र. चिकित्सा शिक्षा विभाग आदिवासी जिले में नये मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु प्रयासरत है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) AIPMT परीक्षा में ऑल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु 7.5 प्रतिशत कोटा निर्धारित है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ऑल इण्डिया स्तर पर आरक्षण का निर्धारण नहीं किया जा सकता। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी हाँ, शहडोल संभाग के शहडोल जिला मुख्यालय में एक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाँक 14/09/2013 को शिलान्यास किया गया है चिकित्सा महाविद्यालय हेतु कलेक्टर शहडोल द्वारा भूमि का चिन्हांकन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 4-69/2013/2-55, दिनाँक 26/06/2015 द्वारा राशि 249.35 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। भवन निर्माण के लिए मध्यप्रदेश रोड कार्पोरेशन भोपाल को निर्माण एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन

92. (क्र. 1486) श्रीमती ममता मीना : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय गुना में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया वर्ग के छात्र-छात्राएं प्रवेशित हैं? क्या इनके प्रवेश के मान से आवासीय व्यवस्था है? यदि नहीं, तो कागजों में फर्जी क्यों चलाया जा रहा है? **(ख)** क्या छात्राओं की सुरक्षा का दायित्व पुरूष अधीक्षक को दिया जा सकता है? यदि नहीं, तो पुरूष अधीक्षक किस आधार पर है? क्या छात्राओं की आवासीय व्यवस्था पृथक है तथा छात्राओं की सुरक्षा का दायित्व महिला पर है? **(ग)** इस संस्था में स्वीकृत पदों अनुसार शैक्षणिक व अन्य स्टॉफ पदस्थ हैं, स्वीकृत पद पदस्थ स्टॉफ, तथा नियुक्ति की प्रक्रिया का पदवार ब्यौरा देवें कि किस पद पर नियुक्ति किस अधिकारी द्वारा किस प्रक्रिया से की गई है? **(घ)** इस संस्था के बेहतर संचालन हेतु विभाग की क्या रूपरेखा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत 162 छात्र एवं 48 छात्राएं प्रवेशित हैं। आवासीय व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण वर्तमान में छात्रों की आवास व्यवस्था पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भवन तथा छात्राओं की आवास व्यवस्था अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास गुना में की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी नहीं। छात्राओं की सुरक्षा हेतु अधीक्षिका एवं महिला चौकीदार का दायित्व निर्धारित है। **(ग)** **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ)** संस्था के लिए भवन निर्माण शीघ्रता से कराया जाकर रिक्त पदों की पूर्ति संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती से समुचित करायी जायेगी।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

गुना में स्थित आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण

93. (क्र. 1487) श्रीमती ममता मीना : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिले के आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति कब और कितनी राशि की हुई? निर्माण कार्य की समय-सीमा कितनी थी? समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? इसके लिये कौन दोषी है? क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** निर्माण कार्य किस एजेन्सी से कराया गया? उक्त निर्माण जितना भी किया गया वह गुणवत्ता पूर्ण नहीं किया गया? इसकी जाँच किस विभाग से कराई गयी? घटिया निर्माण कार्य के दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** गुना जिले में शासन द्वारा लगभग 13 करोड़ की लागत स्वीकृत कर एकलव्य आवासीय विद्यालय भवन दिया गया। शासन की इस योजना में जो घटिया निर्माण कर आज दिनाँक तक पूर्ण नहीं किया गया, इसके दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई या क्या कार्यवाही की जा रही है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) गुना जिले में निर्माण कार्य आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय भवन की प्रशासकीय स्वीकृति राशि 1500.00 लाख दिनाँक 21/03/2011 को प्राप्त हुई थी। निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा 24 माह वर्षाकाल सहित है। कार्य की निविदा दर अन्य कार्य की लागत में वृद्धि हुई, जिसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है एवं आवंटन में विलंब के कारण कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं हो पाया है। कुछ विलंब ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति नहीं होने के कारण हुई है, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि का देयक से कटौत्रा किया है। **(ख)** ठेकेदार,

श्री धर्मवीर शर्मा, ग्वालियर से कराया जा रहा है। जी नहीं। जो निर्माण कार्य किया गया है वह गुणवत्ता पूर्ण है। कार्य की गुणवत्ता/निरीक्षण/सत्यापन विभाग के संभागीय परियोजना यंत्री/परियोजना यंत्री/सहायक नियोजन यंत्री एवं शासन द्वारा नियुक्त कन्सलटेन्ट के.टी.एल., आर.ई.ए.आर.ई., एफ.ई. द्वारा किया जा रहा है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण परियोजना संचालक भोपाल द्वारा दिनाँक 27/10/2012 एवं अतिरिक्त परियोजना संचालक ग्वालियर द्वारा दिनाँक 05/11/2014, 23/01/2015 व संयुक्त परियोजना संचालक ग्वालियर एवं मुख्य तकनीकी परिक्षक भोपाल द्वारा दिनाँक 15/05/2013 को किया गया। गुणवत्ता के विपरित कोई टीप नहीं की गई है। कार्य गुणवत्तापूर्ण किया गया है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। **(ग)** जी हाँ। योजना में जो भी कार्य किया गया है वह गुणवत्तापूर्ण हुआ। शेष प्रश्नांश का उत्तर **(क)** एवं **(ख)** में दर्शित है।

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निष्पादन

94. (क्र. 1512) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन द्वारा मा. प्रधानमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत को प्रदेश में लागू किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो तीन दशक पूर्व हुई घटित घटना यूनियन कार्बाइड भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा वर्तमान में भी जस का तस पड़ा हुआ है, इसके निष्पादन हेतु म.प्र. शासन द्वारा क्या प्रयास किये गये है? **(ग)** क्या जहरीला कचरा विगत तीन दशक से पड़ा होने के कारण लगभग 6-7 किलोमीटर के क्षेत्रफल की जमीन मिट्टी प्रदूषित हो चुकी है। जिसके कारण पानी पीने योग्य नहीं रहा है एवं लोगों के स्वास्थ्य पर अभी भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? उपरोक्त बाते संज्ञान में होने के बावजूद शासन द्वारा कोई समुचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? **(घ)** क्या मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी जहरीले कचरे का निष्पादन तत्काल करने के निर्देश जारी किये गये थे, इसके बावजूद शासन द्वारा इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। **(ड.)** क्या शासन द्वारा उपरोक्त कचरे का निष्पादन किया जावेगा? यदि हाँ, तो भोपाल वासियों को इस जहरीले कचरे से कब मुक्ति मिलेगी? समय-सीमा बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **(ख)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन एस.एल.पी. क्रमांक 9874/2012 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। **(ग)** यूनियन कार्बाइड के आस-पास की रहवासी बस्तियों में राज्य शासन द्वारा 1048 निःशुल्क नल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाकर नगर निगम भोपाल द्वारा पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। **(घ)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 17-04-2014 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को कचरे के निष्पादन हेतु निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्देशों के अनुरूप निष्पादन की कार्यवाही में राज्य शासन पूर्ण सहयोग कर रहा है। **(ड.)** प्रश्नांश "घ" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

भोपाल स्थित गांधी मेडीकल कॉलेज में छात्रवृत्ति वितरण

95. (क्र. 1513) श्री जितू पटवारी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सन् 2007 से 2014 तक गांधी मेडीकल कॉलेज भोपाल में प्रवेशित आरक्षित वर्ग के किन-किन विद्यार्थियों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया? वर्ष अनुसार छात्र का नाम

पिता का नाम सहित, पता, कक्षा, छात्रवृत्ति राशि, भुगतान दिनाँक सहित जानकारी प्रदान करें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार उन छात्रों के नाम बतायें, जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होकर वे विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल नहीं हुए? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सूची में ऐसे कितने छात्र हैं, जो विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए? उनके नाम तथा कक्षा बतावें। **(घ)** क्या छात्रवृत्ति में घोटाले या अनियमितता की पिछले पांच साल में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हाँ, तो शिकायतकर्ता का नाम तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वर्ष 2007-2014 तक संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** वर्ष 2013-2014 एवं 2014-15 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बालाघाट जिले में आर.सी.एच. एवं एन.एच.आर.एम. अन्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय

96. (क्र. 1518) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले को आर.सी.एच. और एन.एच.आर.एम. के अंतर्गत किस-किस मद, योजना कार्य हेतु योजना/कार्य प्रारंभ होने की तिथि 30/04/15 तक कितनी राशि प्राप्त हुई? तिथि के क्रम में बतायें? **(ख)** उक्त राशि में से कितनी राशि, वेतन भत्तों, प्रचार, पी.ओ.एल. सामग्री क्रय, मेंटनेंस, किराये तथा अन्य मदों में खर्च की गई और भुगतान किस प्रकार कितनी राशि का किस तिथि को किया गया? **(ग)** क्या उक्त राशि से निर्माण कार्य कराये गये? यदि हाँ, तो किस संस्था/फर्म से तथा उसे कब-कब कितनी राशि का भुगतान किस कार्य की कितनी मात्रा के लिये किया गया? क्या भुगतान करने, एजेंसी चयन करने में भंडार क्रय नियम का पालन सुनिश्चित किया गया है? **(घ)** क्या राशि के व्यय का औचित्य, आवश्यकता, मात्रा इत्यादि पर विचार करने तथा व्यय के अनुमोदन हेतु समितियां बनाई गई? क्या समितियों से अनुमोदन लिया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) बालाघाट जिले को आर.सी.एच. और एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक प्राप्त आवंटन तथा मदवार व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। **(ख)** वेतन भत्तों, प्रचार, पी.ओ.एल. सामग्री क्रय, मेंटीनेन्स, किराये तथा अन्य मदों में खर्च की गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है।** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। आर.सी.एच. और एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्य की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।** जी हाँ। **(घ)** जी हाँ। जी हाँ।

भण्डार क्रय नियम अन्तर्गत स्टोर का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन

97. (क्र. 1519) श्री मधु भगत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो बतायें कि विभाग के अंतर्गत कितने डी.डी.ओ. है। यह भी बतायें वर्ष 2012, 13, 14 क्या बालाघाट जिले में भंडार क्रय नियमों के प्रावधानुसार स्टोर का निरीक्षण भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष किया गया है? **(ख)** बालाघाट जिले की वित्तीय वर्ष 2012, 13, 14 में प्लान-स्कीम

41-2202 मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितनी राशि खर्च की? **(ग)** बालाघाट जिले को मद क्रमांक 41-2225-702, 0802, 0102, 0602, 702 में कितनी राशि उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई तथा इसका व्यय क्या नियमानुसार किया गया है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। विभाग अंतर्गत 1301 डी.डी.ओ. है। वित्तीय वर्ष 2012, 13 एवं 14 में बालाघाट जिले में भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानानुसार, निरीक्षण, भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष किया गया है **(ख)** बालाघाट जिले को वित्तीय वर्ष 2012, 13, 14 में प्लान स्कीम 41-2202 मद में वित्तीय वर्षवार प्राप्त राशि खर्च हुई राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्रं.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	2012-13	6, 30, 30, 500/-	5, 92, 13, 340/-
2.	2013-14	7, 65, 47, 305/-	7, 63, 67, 262/-
3.	2014-15	8, 25, 36, 832/-	8, 00, 45, 479/-

(ग) बालाघाट जिले को मद क्रमांक 41-2225-702, 0802, 0102, 0602, 702 में वित्तीय वर्ष 2012, 13 एवं 14 में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है, तथा व्यय नियमानुसार किया गया है।

क्र	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	2012-13	12, 78, 99, 550/-	12, 72, 49, 72/-
2.	2013-14	11, 23, 29, 471/-	10, 25, 20, 044/-
3.	2014-15	8, 74, 79, 542/-	6, 69, 65, 702/-

वक्फ की बेश कीमती सम्पत्तियों का अवैध रूप से स्थानांतरण

98. (क्र. 1542) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में वर्ष 2010 से 2014 तक पदस्थ रहे विभिन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा वक्फ की बेश कीमती सम्पत्तियों की अवैध लीज एवं अवैध किरायेदारी और संक्रामण के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यकाल में नाम सहित वर्षवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में वक्फ सम्पत्तियों के अवैध हस्तांतरण, लीज, किरायेदारी करने वालों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की तथा इस संबंध में किन-किन जन प्रतिनिधियों ने पत्र लिखे और उन पर प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। वक्फ की बेश कीमती संपत्तियों की अवैध लीज एवं किरायेदारी और संक्रामक के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये है। जिसके संबंध में दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्ताव भेजे गये। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। वर्ष 2010 से 2014 तक वक्फ बोर्ड में पदस्थ रहे मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के नाम एवं वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है। (1) डॉ.एस.एम.एच. जैदी वर्ष 2010 (2) श्री अमीर बख्श वर्ष 2010-11 (3) श्री एस.यू. सैयद वर्ष 2011-2013 (4) श्री दाउद अहमद खान वर्ष 2013-14 **(ख)** वक्फ संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण, लीज, किरायेदारी करने वाले तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध वक्फ

बोर्ड से अलग अलग दिनांकों में अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपराधिक प्रकरण दर्ज करने आदि की कार्यवाही के प्रस्ताव नाम सहित शासन को प्राप्त हुए है। शासन स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है। विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** पर है।

<u>शिक्षकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही</u>

99. (क्र. 1543) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या महिला शिक्षक एवं छात्राओं के साथ अश्लीलता व छेड़छाड़ की शिकायतों की जाँच उपरांत विभाग द्वारा गठित महिला उत्पीड़न जाँच समिति द्वारा दोषियों के विरूद्ध विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है? **(ख)** यदि हाँ, तो वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में भोपाल जिले के शासकीय हाई स्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूलों में शिक्षारत छात्राओं एवं किन-किन महिला शिक्षकों की शिकायतें प्राप्त हुईं तथा शिकायतों के आधार पर प्रश्न दिनाँक तक किन-किनके विरूद्ध कब-कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या शा.बा.उ.मा.वि. निशातपुरा भोपाल में विगत कई वर्षों से पदस्थ लिपिकीय कर्मचारी श्री डी.एस. परमार के विरूद्ध श्रीमती पुष्पा थवानी द्वारा छेड़-छाड़ की शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो कब की गई थी और उसका निराकरण कब तथा क्या निकला? क्या प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा श्रीमती पुष्पा व श्री परमार का स्थानांतरण किया गया था? यदि हाँ, तो श्रीमती पुष्पा को तुरंत रिलीव कर दिया गया और श्री परमार को रिलीव करने की अपेक्षा वहीं पदस्थ रखा गया और प्रोत्साहन स्वरूप वर्ष 2015 में प्रमोशन देकर पुष्पा थवानी जिस स्कूल बैरागढ़ में पदस्थ है, उसी स्कूल में श्री परमार का स्थानांतरित किया है? **(घ)** यदि हाँ, तो इस नियम विरूद्ध प्रक्रिया के लिए कौन-कौन दोषी है, उनके विरूद्ध प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** प्रश्नांश अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। **(ग)** जी हाँ। दिनाँक 14.07.2009 को शिकायत की गई थी। शिकायत की जाँच की जाकर दिनाँक 09.11.2009 को श्री डी.एस.परमार सहा.ग्रेड 2 का प्रशासकीय स्थानांतरण उमावि. ललरिया, बैरसिया किया गया था। श्रीमती पुष्पा थवानी द्वारा पारस्परिक स्वैच्छिक स्थानांतरण शा.उ.मावि. बा. बैरागढ़ में चाहे जाने के कारण उन्हें दिनाँक 09.11.2009 को रिलीव किया गया था। जी नहीं, श्री डी.एस. परमार द्वारा उनके किये गये प्रशासनिक स्थानांनतरण के विरूद्ध दिनाँक 22.12.2009 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से उनके अभ्यावेदन निराकरण करने के निर्देश संबंधी आदेश पारित किया गया। उक्त अभ्यावेदन के निराकरण के क्रम में श्री परमार का पूर्व में किया गया स्थानांतरण दिनाँक 02.02.2010 को निरस्त किया गया। दिनाँक 25.02.2015 को श्री परमार की पदोन्नति के पश्चात् कांउसलिंग के आधार पर उन्हें शास.उमा.वि. बैरागढ़ पदस्थ किया गया। **(घ)** प्रक्रिया नियमानुसार होने से कोई दोषी नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों का युक्तियुक्त</u>

100. (क्र. 1547) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा विभाग के स्थानांतरण की समस्त जानकारी देवें? **(ख)** विभागीय एवं प्रभारी मंत्री के आदेश के बाद भी अभी तक कितने कर्मचारियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है? **(ग)** स्थानांतरण के बाद भी जिन शालाओं ने अतिशेष एवं जिनमें कम शिक्षक हैं उनकी सूची देवें? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** अनुसार इनका युक्तियुक्तकरण कब तक कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा विभागान्तर्गत स्थानान्तरण की समस्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में उल्लेखित** शिक्षकों में से 40 ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। **(ग)** अतिशेष नहीं है। शिक्षकों की कमी वाली शालाओं की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(घ)** अतिशेष शिक्षक नहीं होने से युक्तियुक्तकरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बैतूल जिले में स्वीकृत निर्माण कार्य

101. (क्र. 1560) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में किस-किस विकासखण्ड में विगत वर्ष 2012-13 से कितने प्राथमिक शाला भवन एवं कितने माध्यमिक शाला भवन के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं? **(ख)** उपरोक्त स्वीकृत शाला भवनों में से कौन-कौन से भवन कब से अपूर्ण है? इन भवनों का निर्माण पूर्ण न होने के क्या कारण है? **(ग)** क्या पंचायतों द्वारा राशि आहरित कर ली गई है, किन्तु भवन निर्माण पूर्ण नहीं हुए है? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई तथा निर्माण कब तक पूर्ण करा लिए जाएंगे? **(घ)** क्या शाला भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत करने के बाद विभाग की इस कार्य को पूर्ण करने की कोई जिम्मेदारी है? यदि हाँ तो स्वीकृत अपूर्ण कार्यों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बैतूल जिले में वर्ष 2012-13 से, बैतूल, आठनरे, भैसदेही, भीमपुर, चिचोली, घोड़ाडोंगरी, प्रभात पट्टन, शाहपुर विकास खण्डों में 21 प्राथमिक शाला भवन एवं 37 माध्यमिक शाला भवन स्वीकृत किये गये है। **(ख)** उपरेक्त स्वीकृत शालाओं में से 2 प्राथमिक शाला भवन एवं 4 माध्यमिक शाला भवन अपूर्ण है। निर्माण पूर्ण न होने के कारण **संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग)** जी हाँ, एक कार्य माध्यमिक शाला धारागोहान (ग्राम पंचायत चकढाना) की राशि ग्राम पंचायत द्वारा आहरित कर ली गई है, परंतु भूमि विवाद के कारण कार्य अप्रांरभ है। शेष 5 कार्यों में 70 से 80 प्रतिशत कार्य हो चुका है। तथा वर्ष 2014 से अपूर्ण है। समस्त 6 कार्यों को पूर्ण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा मे कार्य पूर्ण करने हेतु कलेक्टर/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं समक्ष में सुनवाई कर एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की गई। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(घ)** जी हाँ, विभागीय समीक्षा के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराकर, तथा कलेक्टर द्वारा एजेंसीयों को ''कारण बताओं नोटिस जारी कर'' कार्य पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''बाईस''

शास.एवं निजी स्कूलों में दर्ज संख्या

102. (क्र. 1561) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सरकार यह मानती है कि शिक्षा विभाग की शालाओं में निजी शिक्षण संस्थाओं की अपेक्षा दर्ज संख्या का प्रतिशत गिरा है? **(ख)** यदि निजी शिक्षण संस्थाओं के अनुपात में

शासकीय स्कूलों में दर्ज संख्या का प्रतिशत कम हुआ है तो इसके कारणों पर सरकार ने कोई विचार कर नीति निर्धारित की है? यदि हाँ तो क्या?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। कक्षा 1 से 8 तक की शासकीय शालाओं एवं निजी शालाओं, दोनों के नामांकन में वर्ष 2014-15 वर्ष 13-14 की तुलना में गिरावट आई है। यह गिरावट शासकीय शालाओं में 7.6 प्रतिशत तथा निजि शिक्षण शालाओं में 9.0 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शालाओं में वर्ष 2014-15 में 2013-14 की तुलना में शासकीय एवं निजी विद्यालय दोनों में ही नामांकन बढ़ा है, शासकीय विद्यालयों में दर्ज संख्या में लगभग 3 लाख निजी विद्यालयों में लगभग 2 लाख की वृद्धि हुई है। **(ख)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>उपस्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन</u>

103. (क्र. 1576) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनाँक 27-06-2013 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्वालियर में उपस्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने की घोषणा की गई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो जिला स्तर/शासन स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही हुई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) ग्वालियर जिले के भ्रमण के दौरान माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनाँक 27.06.2013 ग्राम पंचायत बेहट में उप स्वास्थ्य केन्द्र बेहट के भवन निर्माण की घोषणा की गई थी। उन्नयन की घोषणा नहीं की गई थी। **(ख)** विकास खण्ड़ मुरार जिला ग्वालियर के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र बेहट संचालित है। जनसंख्या के निर्धारित मापदण्डानुसार 30 हजार की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान है। वर्ष 2011 की जनगणना के मान से ग्राम बेहट की स्थानीय ग्रामीण जनसंख्या- 4227 एवं आस-पास के ग्रामों की संख्या को मिलाकर कुल जनसंख्या- 6167 होती है। ग्राम बेहट से निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्थिनापुर 10 किमी की दूरी पर संचालित है। जनसंख्या के मान से उप स्वास्थ्य केन्द्र बेहट को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने की पात्रता नहीं आती है।

<u>विभागीय भवनों के निर्माण में गड़बड़ी</u>

104. (क्र. 1578) श्री हर्ष यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक सागर जिले में विभाग व्दारा कहाँ-कहाँ भवन, छात्रावास, कार्यालय आदि के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है? लागत, निर्माण एजेंसी, कार्यपूर्णता अवधि, प्रभारी अधिकारी आदि का सम्पूर्ण विवरण दें? **(ख)** उक्त अवधि में स्वीकृत कार्य किस-किस निर्माण एजेंसी ने समय-सीमा में पूर्ण किये? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? **(ग)** क्या विभाग के भवनों का निर्माण निर्माण एजेंसियों व्दारा अत्यंत घटिया व गुणवत्ताहीन किया गया है? इस संबंध में विभाग/शासन/कलेक्टर आदि को विभिन्न शिकायतें भी की गई? विभाग व्दारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग)** जी नहीं। भवनों का निर्माण घटिया व गुणवत्ता विहीन होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट - ''तेईस''

सतना जिले में दवा खरीदी

105. (क्र. 1588) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14, 2014-15 में सतना जिले को वर्षवार कितनी-कितनी राशि दवाईया, उपकरण आदि की स्थानीय खरीदी हेतु प्रदाय की गई? **(ख)** प्राप्त राशि के विरूद्ध विभाग द्वारा जिले में कब-कब किन-किन एजेंसियों/फर्मों से कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी दवाओं/उपकरणों का क्रय किया गया? क्या इस खरीदी में विभागीय दवा क्रय नीति का पालन किया गया? **(ग)** नियम विरूद्ध दवा क्रय की क्या जाँच की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्राचार्य की नियम विरूद्ध पदस्थापना का निरस्तीकरण

106. (क्र. 1603) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पं. लज्जाशंकर झा शा. मॉडल उ.मा. उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर में दिनाँक 02.03.2015 को किसी को पदोन्नति उपरान्त सीधे प्राचार्य पद पर पदस्थ किया गया है? **(ख)** यह कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति जिला जबलपुर ने अपने पत्र दिनाँक 26.02.2015 व्दारा विभागीय निर्देशों के अनुरूप किन्हीं पात्र नामों को अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा को प्रस्तावित किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** पदस्थ व पदोन्नत प्राचार्य और प्रश्नांश **(ख)** के प्रस्तावित प्राचार्यों की विभागीय निर्देशों अनुसार तुलनात्मक योग्यतायें क्या हैं और उनमें से कौन प्राचार्य पद का सर्वाधिक पात्र है? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क)** अपात्र की पदस्थी निरस्त कर कलेक्टर/अध्यक्ष के पत्र दिनाँक 26.02.2015 व्दारा प्रस्तावित नामों में से प्रश्नांश **(ग)** के पात्र को प्राचार्य पद पर पदस्थ किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु जारी मार्गदर्शिका में प्राचार्यो के चयन हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा/ आयुक्त, लोक शिक्षण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। प्रशासकीय दृष्टि से श्रीमती वीणा बाजपेई के प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सम्मान से वंचित प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएँ

107. (क्र. 1607) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सत्र वर्ष 2015-16 में जिला कटनी के किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बोर्ड परीक्षा के 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना रहा है और उनमें किन विद्यालय व ग्रामों की किन छात्र-छात्राओं द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये हैं? सूची देवें? **(ख)** क्या विभागीय योजनांतर्गत कमिश्नर जबलपुर संभाग ने माह जून 2015 जिला कटनी के किसी विकासखण्ड के किसी ग्राम में आयोजित जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में किन्हीं विद्यालयों के किन्हीं प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले किन्हीं छात्र-छात्राओं को किन्हीं प्रकार का पुरस्कार प्रदान किया है

और अभिनंदन किया गया है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** समारोह में वि.खं. ढीमरखेड़ा मुख्यालय के कितनी दूरी के विद्यालयों के 80 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को आमंत्रित नहीं किया गया है और उसके लिये किस स्तर कौन जिम्मेवार है? विवरण देवें? **(घ)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने अपने पत्र दिनाँक 25 जून 2015 को संभागीय कमिश्नर जबलपुर को कटनी के जिला/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित कर कार्यवाहियों की अपेक्षा की है और तद्नुसार क्या कार्यवाहियां की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** एवं **(घ)** माननीय विधायक द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र एवं आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के कार्यालय से पत्र में उल्लेखित शिकायत पर नियमानुसार उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनाँक 01.07.2015 को कलेक्टर कटनी को पत्र भेजा गया है।

भाग - 3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

<u>पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रवृत्ति में हुई आर्थिक अनियमितताएं</u>

1. (क्र. 29) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के किन-किन पैरामेडिकल कॉलेज में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है? कॉलेज के नाम पते सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत उक्त घोटाले में कितने अधिकारी/ कर्मचारी लिप्त पाए गए हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के तहत उक्त घोटाले में कितने छात्र/छात्रा लिप्त रहे हैं? कॉलेजवार जानकारी दें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)**, **(ख)** व **(ग)** के तहत क्या संबंधितों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों कब तक करायी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>हमीदिया अस्पताल में चिकित्सीय उपकरणों की स्थापना</u>

2. (क्र. 30) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1जनवरी, 2014से प्रश्न दिनाँक तक भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में कौन-कौन सी मशीनें लग चुकी हैं? कौन-कौन सी मशीनें प्रश्न दिनाँक तक नहीं लगी हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत क्या प्रश्न दिनाँक तक सीटी स्कैन और एम.आर.आई. मशीन अभी तक नहीं लगी है? क्या प्रदेश के मान. मुख्यमंत्री और मान. मंत्री ने भी निरीक्षण के दौरान उक्त मशीनें लगाने के निर्देश दिए थे? यदि हाँ, तो अभी तक उक्त मशीनें क्यों नहीं लगी हैं? कारण बताएं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत सभी आवश्यक मशीनें कब तक लगा दी जायेंगी? समय-सीमा दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) हमीदिया अस्पताल में स्थापित मशीनों की जानकारी एवं कौन कौन सी मशीन नहीं स्थापित की गई सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा क्रमांक ए 1876 (दिनाँक 3 सितम्बर 2011) द्वारा हमीदिया अस्पताल परिसर में एम.आर.आई. सी.टी. स्केन, मेमोग्राफी आदि मशीनों को पीपीपी मोड पर स्थापित कराने के निर्देश दिये थे। उक्त घोषणा अनुसार सी.टी. स्केन एवं एम आर आई, मेमोग्राफी आदि मशीनों की स्थापना पूर्व में पीपीपी के अंतर्गत की जा रही थी जिसे समाप्त कर पुनः राज्य शासन के बजट से स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था। स्वशासी बजट से उक्त मशीनों की स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित हैं। **(ग)** प्रश्नांश "क" एवं "ख" के संबंध में सभी आवश्यक मशीनें लगाये जाने हेतु प्रक्रिया नियमानुसार प्रचलन में हैं। समय- सीमा बताया जाना संभव नहीं।

<u>परिशिष्ट – ''चौबीस''</u>

<u>छात्रवृत्ति की राशि के वितरण में अनियमितता</u>

3. (क्र. 36) कुंवर सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग को वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक छात्रवृत्ति की राशि वितरण हेतु प्रदाय की गई है? यदि हाँ, तो जिला कटनी के आदिम जाति

कल्याण विभाग को उक्त अवधि में कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई है, वर्षवार बताएं? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में उल्लेखित छात्रवृत्ति की राशियां आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कटनी जिले के शासकीय/अशासकीय संस्थाओं को आवंटित की गईं हैं? **(ग)** क्या उक्त संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा उक्त राशि छात्र/छात्राओं को नगद प्रदाय की गई है? यदि हाँ, तो बड़े-बड़े अमाउंट की राशि बैंक/ड्राफ्ट से प्रदान न किये जाने का कारण सुस्पष्ट करें? **(घ)** क्या कुछ संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा उक्त वर्षों की छात्रवृत्ति की राशियां आहरित कर, नगद वितरण कर बड़ी मात्रा में शासकीय राशि का घोटाला किया गया है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा प्रश्न दिनाँक तक वितरित छात्रवृत्ति के क्रास वेरिफिकेशन के लिये कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त वर्षों में वितरित नगद राशि पात्र छात्र-छात्राओं को ही प्राप्त हुई है? **(ड.)** यदि नहीं, तो शासन कटनी जिले में उक्त वर्षों में वितरित कराई गई छात्रवृत्ति की राशि का क्रास वेरीफिकेशन कराने के निर्देश जारी करेगा, तथा क्रास वेरीफिकेशन में अनियमितताएं पाये जाने पर दोषी संस्था प्रमुखों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : क) जी हाँ। वर्षवार प्रदाय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	वर्ष	प्रदाय की गई राशि (लाखों में)
1	2011-13	185.23
2	2012-13	241.89
3	2013-14	133.49
4	2014-15	75.78
5	2015-16	47.60

(ख) जी नहीं। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** कटनी जिला अंतर्गत संस्थाओं को सीधे राशि प्रदाय नहीं की गई है। RTGES के माध्यम से अंतरित होने से प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** विभाग द्वारा पूर्व में ही निर्देश जारी किये गये हैं।

जावरा के मॉडल स्कूल के स्टॉफ क्वार्टर की स्वीकृति

4. (क्र. 62) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जावरा, जिला रतलाम के मॉडल स्कूल में स्टॉफ क्वार्टर की स्वीकृति दी गई थी? यदि हाँ, तो कब कितने स्टॉफ क्वार्टर की, उक्त स्टॉफ क्वार्टर की निर्माण एजेंसी कौन थी व उनके प्रश्न दिनाँक तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे? कारणों को स्पष्ट करते हुए बतावे कि इसमें दोषी कौन है व उन्हें क्या दण्ड दिया जावेगा व उक्त स्टॉफ क्वार्टर का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? **(ख)** जो अधूरे स्टॉफ क्वार्टर हैं उनकी स्वीकृति कब एवं कितनी धनराशि की है तथा उनका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था व कब से अधूरे है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : **(क)** जी हाँ। उक्त क्वार्टर के निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसी में रावत कंस्ट्रक्शन कंपनी वेटनरी हॉस्पिटल के पास, करैरा, जिला शिवपुरी, म.प्र. थी। जिसमें

03 टाईप के 04 आवास गृह, 04 टाईप के 02 आवास गृह, 05 टाईप के 04 आवास गृह एवं 01 प्राचार्य आवास गृह की स्वीकृति दिनाँक 28.09.2007 को दी गई थी। राजस्व विभाग द्वारा जुलाई, 2008 में कार्य रोकने हेतु लिखा गया था, राजस्व विभाग की रोक के बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य जारी रखा गया जिसके लिये समय-समय पर मंडल द्वारा समयावृद्धि भी प्रदाय की गई। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर संबंधित निविदाकार का अनुबंध समाप्त कर किये गये कार्य का अंतिम भुगतान कर दिया गया है। शेष कार्य हेतु मंडल के द्वारा 02 बार निविदाएं आमंत्रित की गई दरें अधिक होने के कारण निविदा निरस्त कर दी गई। कार्य पूर्णता की तिथि बताना संभव नहीं है। **(ख)** स्टाफ क्वार्टर की स्वीकृति प्रश्नांश-क के दिनाँक 28.09.2007 अनुसार प्राप्त हुई थी। टाईप 3 के 04 आवास गृहों के निर्माण कार्य (स्वीकृति राशि रू. 64.32 लाख) तथा प्राचार्य निवास 01 आवास गृह 04 टाईप (02 आवास गृह) एवं टाईप 5 (04 आवास गृह) के निर्माण कार्य (स्वीकृत राशि रू. 81,37,500/- लाख) दिनाँक 22.02.2008 को कार्यादेश जारी किया गया जाकर कार्य प्रारंभ किया गया तथा निविदाकार द्वारा पत्र दिनाँक 04.03.2011 द्वारा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया तथा तब से ही कार्य अधूरे है।

<u>प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की गतिविधियाँ</u>

5. (क्र. 96) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिले में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की गतिविधियां जिला अस्पताल परिसर में संचालित है? **(ख)** क्या इस जीर्ण शीर्ण भवन में नवीन निर्माण कार्य कराया जा रहा है? **(ग)** यदि प्रश्नांश **(ख)** सही है तो यह निर्माण कार्य किस मद से कितनी लागत का कराया जा रहा है? इस कार्य की निविदा कब जारी की गई थी? इस निर्माण कार्य की निर्माण एजेन्सी कौन है? पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें? **(घ)** सतना जिला अस्पताल में स्वीकृत मेटर्निटी (डिलेवरी) वार्ड, 20 बेड का आई.सी.यू. व ट्रामा यूनिट कब से स्वीकृत है? कब तक काम प्रारम्भ व पूर्ण होगा? दोषी कौन है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं, इस भवन में मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। **(ग)** संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक/5/भवन/2014-15/267 भोपाल दिनाँक 05.02.15 के द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के मरम्मत कार्य हेतु राशि रू. 7.69 लाख (सात लाख उन्नहत्तर हजार मात्र) स्थाई संपत्ति के अनुरक्षण मद के अंतर्गत कराया गया है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का रिपेयर रिनोवेशन कार्य हेतु दिनाँक 28.02.2015 को अल्पकालीन निविदा प्रसारित की गई थी। उक्त निर्माण कार्य श्री अनुराग त्रिपाठी खेरमाई रोड सतना, श्री रीतेश त्रिपाठी धवारी गली न. 1 सतना एवं मेसर्स माँ वैष्णों कन्ट्रक्शन धवारी सतना से कराया गया है। **(घ)** जिला चिकित्सालय में सतना ट्रामा/ आकस्मिक चिकित्सा इकाई/नियोनेटल/मेटरनिटी विंग एवं माइक्रोबॉयलाजी लेबोरेटरी का निर्माण पी.आई.यू. के द्वारा कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 316.93 लाख दिनाँक 21.12.11 को प्रदान की गई थी तथा आदेश क्रमांक 01/DL/11-12 दिनाँक 10.04.12 के द्वारा कार्यादेश जारी किये गये थे। कार्य प्रारंभ होने की वास्तविक दिनाँक 03.10.12 तथा कार्य पूर्णता संभावित की दिनाँक मार्च 2016 है। वर्तमान मे निर्माण कार्य प्रगतिरत है। शेष प्रश्न उपस्थित उपस्थित नहीं होता है।

स्कूलों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की पूर्ति

6. (क्र. 118) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तहसील कसरावद अंतर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूलो में छात्र-छात्राओं की दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा क्या कलेक्टर खरगोन को पत्र लिखा गया? यदि हाँ, तो उस पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार क्या छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों के स्वीकृत पद कम है यदि हाँ, तो क्यों? वर्तमान में कितने-कितने पद रिक्त हैं और इन्हें नहीं भरने के क्या कारण हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जिला खरगौन अन्तर्गत युक्तियुक्तकरण के तहत विकासखण्ड कसरावद में शिक्षकों के रिक्त पदों पर आदेश दिनाँक 30.05.2015 के द्वारा निम्नानुसार शालाओं में संवर्गवार शिक्षकों की पूर्ति की गईः-

क्र.	संवर्ग	कुल संख्या	रिक्त शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति संख्या
01	प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय	13	13, माध्यमिक विद्यालय
02.	प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय	04	04, प्राथमिक विद्यालय
03.	सहायक शिक्षक	54	40, प्राथमिक विद्यालय
04	सहायक अध्यापक	37	29, प्राथमिक विद्यालय

(ख) जी नहीं। वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक संवर्ग में अग्रंजी, गणित एवं विज्ञान में विषयमान से शिक्षक उपलब्ध न होने से पद रिक्त है। वर्तमान में विकासखण्ड कसरावद अन्तर्गत निम्नानुसार संवर्गवार पद रिक्त हैः-

क्र.	संवर्ग	कुल संख्या
01	प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	11
02.	प्राचार्य हाईस्कूल	02
03.	व्याख्याता	19
04	वरिष्ठ अध्यापक / संविदा वर्ग-1	42
05.	अध्यापक / संविदा वर्ग-2	115
06.	संविदा वर्ग-3	36

प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / हाईस्कूल के पदों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है पदांकन की कार्यवाही प्रचलन में है। व्याख्याता / शिक्षकों के रिक्त पदों पर पद पूर्ति की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। शेष पदों पर संविदा भर्ती के माध्यम से रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जाति प्रमाण पत्र की जाँच

7. (क्र. 214) श्री संजय पाठक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परि. तारांकित प्रश्न संख्या-60 (क्रमांक 2273) दिनाँक 04.03.2015 में आदिम जाति विभाग द्वारा **(ग)** के उत्तर में यह जानकारी दी गई है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जानराम हेडाऊ एवं नामदेव हेडाऊ उपसंचालक कृषि का उत्तर मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। पुलिस उपमहानिरीक्षक भोपाल रेंज शहर अपने पत्र दिनाँक 29.01.2015 में यह बताया है कि

छिंदवाड़ा में अनुसूचित जाति हलवा/हलवी नहीं पाया जाना लेख है एवं उपपुलिस अधीक्षक अजाक्स भोपाल के प्रतिवेदन को अमान्य करते हुए पुनः न्यायालय के निर्देशानुसार जाँच हेतु प्रकरण वापिस किया गया है? **(ख)** यदि प्रश्नांश **(क)** हां तो क्या जाँच कराई जाकर पुनः प्रतिवेदन सहपत्रों के साथ भेजा गया? यदि हाँ, तो भेजे गये प्रतिवेदन और सहपत्रों की छायाप्रति के साथ उपअधीक्षक प्रथम अजाक्स भोपाल के दिनाँक 23.01.2015 के पत्रों एवं मूल एवं सहपत्रों की छायाप्रतियां उपलब्ध करायें? **(ग)** जब छिंदवाड़ा में हलवा/कोष्ठा एवं हलवी/कोष्टी जाति पाई जाती है, जिसका व्यवसाय धागे से कपड़ा बुनना मनिहारी का काम है, जिसकी पुष्टि आदिम जाति कल्याण विभाग ने इस जाति को कोष्टा/कोष्टी माना है तो पुलिस उप अधीक्षक अजाक्स भोपाल द्वारा हलवा आदिवासी किस आधार पर प्रतिवेदित किया गया बतलाया जावे? **(घ)** जब संबंधितों ने अपना अध्ययन छिंदवाड़ा जिला पाण्‍र्डुना में रामाराव धर्माधिकारी विद्यालय से किया है, तो स्थाई निवास प्रमाण पत्र भोपाल का कैसे हो सकता है, यह भी स्पष्ट किया जाये?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) जी हाँ। यह सत्य है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जिला छिन्दवाड़ा में धागे से कपड़ा बुनने का काम करने वाले हलवा/हलवी कोष्टा/कोष्टी माना गया है। पुलिस उप अधीक्षक (अजाक) भोपाल ने अपने प्रतिवेदन पत्र क्रमांक उपुअ-प्रथम/अजाक/ओ/भो/आर-218/14 दिनाँक 23/01/2015 में जिला छिन्दवाड़ा में संदिग्ध अनुसूचित जनजाति हलवा/हलवी नहीं पाया जाना लेख किया है। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>हाई स्कूल, हायर सेकण्ड्री 2015 की परीक्षा का परिणाम</u>

8. (क्र. 282) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 15 जून 2015 की स्थिति में मंदसौर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शास.उ.मा.वि. एवं हाई स्कूल में किस-किस विषय के कितने पद रिक्त हैं? **(ख)** उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का विद्यालय वार हाई स्कूल एवं उ.मा.वि.का परीक्षा परिणाम एवं उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया जाय? **(ग)** उक्त विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने हाई स्कूल एवं उ.मा.वि. भवन विहीन है? **(घ)** क्या अधिकारियों की मनमानी एवं भ्रष्टाचार के कारण कई विद्यालयों को आवश्यकता नहीं होने के बावजूद अतिरिक्त कक्ष प्रदान किये जा रहे हैं तथा कई विद्यालयों में अत्यधिक आवश्यकता के बावजूद अतिरिक्त कक्ष नहीं दिये जा रहे हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार। (घ) मन्दसौर विधान सभ क्षेत्र अंतर्गत ऐसी किसी प्रकार की स्थिति नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु</u>

9. (क्र. 283) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग के शासकीय जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय की 1 जनवरी 2010 के पश्चात गॉज बैडेज की कब-कब जाँच की? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अन्तर्गत

सेम्पल की जाँच किस प्रयोगशाला में कराई गई? जाँच में क्या तथ्य उजागर हुए? **(ग)** उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2010 के पश्चात किस-किस शासकीय जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय में कितनी मौत हुई, जिलेवार, जानकारी देवें? **(घ)** क्या चिकित्सालयों में हो रही लगातार मौतों का मुख्य कारण संक्रमण है? यदि हाँ तो उक्त संभाग के शा.महिला चिकित्सालयों में किस-किस कम्पनी ने गॉज बैंडेज की आपूर्ति की, कम्पनी/फर्म का नाम सहित जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) गॉज बैंडेज की एन.ए.बी.एल. जाँच नहीं की जाती है। **(ख)** प्रश्नांश क के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** नहीं गॉज बेडेज की आपूर्ति म. प्र. हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड भोपाल राज्य एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से की जाती है।

एकीकृत आदिवासी परियोजना के अध्यक्ष पदों की पूर्ति

10. (क्र. 307) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या एकीकृत आदिवासी परियोजना में अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के प्रावधान शासन द्वारा किये गये हैं? क्या आदिवासी क्षेत्र के विधायक को इस पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है? **(ख)** आदिवासी परियोजना सौंसर में उक्त पद कितने वर्षों से रिक्त हैं तथा इस पद पर कब तक अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जावेगी? **(ग)** वर्तमान में एकीकृत आदिवासी परियोजना सौंसर का कार्य बिना अध्यक्ष के किस प्रकार संचालित किया जा रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** प्रश्नांश अंतर्गत दिनाँक 04/09/2014 से अध्यक्ष का पद रिक्त हैं, अध्यक्ष पद के मनोनयन हेतु समय बताया जाना संभव नहीं हैं। **(ग)** जिले के कलेक्टर द्वारा अध्यक्ष का कार्य सम्पादित किया जाता हैं।

मध्यप्रदेश सनिर्माण कर्मकार मण्डल योजना के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाएं

11. (क्र. 311) श्री जतन उईके : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश सनिर्माण कर्मकार मण्डल योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रसूति सहायता/छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएँ दिये जाने का प्रावधान किया गया है? **(ख)** छिन्दवाड़ा जिले में इस योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्ष में जनपद पंचायत/नगर पालिका कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है? क्या सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित विभागों में विगत छः माह से प्रकरण भी लंबित रखे गये हैं? यदि हाँ, तो संख्या बताएं?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। **(ख)** छिंदवाड़ा जिले में विगत तीन वर्षों में जनपद पंचायत / नगर पालिका को कुल 09,12,75,800/- की राशि मांग अनुसार उपलब्ध कराई गई है, प्रश्नांकित अवधि में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

अनुसूचित जनजाति (टंटयाभील मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्राप्त आवेदन

12. (क्र. 313) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (टंटया भील योजना) कब प्रारंभ हुई तथा जब से प्रारंभ हुई प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए? जिलेवार जानकारी दी जाए एवं किस बैंक को टंटया भील योजना के तहत कितने प्रकरण स्वीकृत किए गए? कितने अस्वीकृत किए गये? **(ख)**

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में शासन द्वारा मार्जिन मनी सहायता राशि कितने प्रतिशत दी जाती है तथा कितनी राशि का अनुदान शासन द्वारा प्रदाय किया जाता है, जिलेवार बताईए? **(ग)** छिंदवाड़ा जिले में इस योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों का निवारण किया गया तथा कितनी राशि स्वीकृत कर हितग्राहियों को दी गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) टंटया भील स्वरोजगार योजना दिनाँक 29/5/2013 से प्रारंभ होकर सितम्बर, 2014 तक संचालित रही। तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (आदिवासी हेतु) का संचालन 01 अक्टुबर, 2014 से किया जा रहा है। योजनाओं की वर्षवार, जिलेवार एवं बैकवार जानकारी विधान सभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (आदिवासी हेतु) अंतर्गत शासन द्वारा 30 प्रतिशत मार्जिनमनी सहायता (अधिकतम रूपये 2.00 लाख), 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, (अधिकतम 7 वर्ष तक) एवं 1 प्रतिशत गारंटी शुल्क (अधिकतम 7 वर्ष तक) प्रदाय किया जाता है। **(ग)** छिन्दवाड़ा जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार हैः-

योजना	प्राप्त आवेदनपत्र	निराकृत आवेदन पत्र	हितग्राहियों को स्वीकृत ऋण राशि
टंट्या भील स्वरोजगार योजना	385	125	145.58 लाख
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (आदिवासी हेतु)	286	71	71.95 लाख

श्रम कार्डधारियों को योजना का लाभ न मिलना

13. (क्र. 336) श्रीमती ललिता यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर विधान सभा क्षेत्र में श्रम कार्ड योजना लागू दिनाँक से आज दिनाँक तक किन-किन ग्राम पंचायतों को कितने-कितने श्रमकार्ड दिये गये? दिनाँक व ग्राम पंचायत के नाम सहित पृथक-पृथक बतायें? **(ख)** ग्राम पंचायतों को जारी किये गये श्रमकार्ड का सीरियल नम्बर व हितग्राही का नाम, पिता का नाम पृथक-पृथक बतायें? **(ग)** हितग्राही को क्या-क्या लाभ योजना के तहत मिले? हितग्राही का नाम पंचायत का नाम सहित बतायें? **(घ)** ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनके पास श्रमकार्ड है मगर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ? **(ड.)** ऐसे कार्डधारी जिन्हें शासन की योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ इसके लिये कौन-कौन जवाबदार हैं?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) से **(घ)** वांछित जानकारी अत्यन्त विस्तृत स्वरूप की है जिसमें छतरपुर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त निर्माण श्रमिकों के बारे में व्यक्तिवार विस्तृत जानकारी चाही गई है। इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। **(ड.)** पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा मण्डल की योजनान्तर्गत संबंधित पदाभिहित अधिकारियों/लोक सेवा केन्द्र के समक्ष आवेदन करने पर पात्रतानुसार हितलाभ प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

<u>अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव</u>

14. (क्र. 372) श्री निशंक कुमार जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले के गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों की कुल जनसंख्या एवं जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत बतावें? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता ने तहसील बासौदा, त्यौंदा एवं ग्यारसपुर के किस-किस अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्तियों में हैण्डपम्प स्वीकृत कर खनन की गई है, मांग के अनुसार किस-किस ग्राम में हैण्डपम्प स्वीकृत किये जा चुके हैं, किस ग्राम में नहीं कब तक हैण्डपम्प स्वीकृत कर खनन की कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बसाहटों में मूलभूत सुविधा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु शासन कब तक क्या कार्यवाही करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत कुल जनसंख्या 1,95,739 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 7.72 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.06 प्रतिशत है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** पेयजल व्यवस्था के संबंध में पत्र दिनाँक 19/6/2015 के द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग विदिशा को लिखा गया। कार्यवाही इस विभाग द्वारा नहीं की जाना है। **(ग)** प्रश्नांश अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना मद अन्तर्गत राशि रूपये 23.49 लाख आवंटित की गई है। समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

<u>जननी सुरक्षा योजनांतर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि का भुगतान</u>

15. (क्र. 373) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा एवं जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्रसूति उपरांत प्रोत्साहन सहायता राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो शासन आदेशों की प्रति उपलब्ध करावे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर हां है तो विदिशा जिले अन्तर्गत किस-किस जन चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दिनाँक 1.5.14 से 31.6.15 तक की अवधि में कितनी प्रसूति हुई? कितने हितग्राहियों को शासन की योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं कितने हितग्राहियों को नहीं? शेष रहे हितग्राही की प्रसूति दिनाँक बताते हुये, भुगतान नहीं किये जाने का कारण बताएं? क्या हितग्राही को चिकित्सालय में संचालित बैंक खाता ही मान्य किये जा रहे हैं अन्य बैंकों के नहीं? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में लम्बित हितग्राहियों में से कितने हितग्राही ऐसे है, जिनको विगत 4-8 माह बाद भुगतान नहीं किया गया है? भुगतान नहीं करने के लिये कौन दोषी है? उसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुये भुगतान करने के आदेश दिये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। शासन आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** विदिशा जिले के अंतर्गत जन चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र पर दिनाँक 01.05.2014 से 30.06.2015 तक की अवधि में प्रसव की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	संस्था का नाम	कुल प्रसव	जननी सुरक्षा योजना में लाभान्वित	मजदूर सुरक्षा योजना में लाभान्वित	शेष जननी सुरक्षा के हितग्राही जिन्हे लाभ प्राप्त नहीं हुआ	शेष मजदूर सुरक्षा के हितग्राही जिन्हे लाभ प्राप्त नहीं हुआ
1.	जन चिकित्सालय बासौदा	3624	3431	निरंक	193	0
2.	जन चिकित्सालय सिरोंज	3270	2474	157	796	45
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी	1865	1829	26	36	114
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्यारसपुर	1688	1606	174	82	32
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नटेरन	2421	2135	506	286	0
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरवाई	1692	1340	210	352	8
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपलखेड़ा	171	171	115	0	25
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्योदा	956	740	178	216	159
	कुल	31374	27452	2732	3922	766

जननी सुरक्षा योजना में शेष हितग्राहियों द्वारा खाता क्रमांक जमा न करने के कारण भुगतान नहीं किया गया है। मजदूर सुरक्षा योजना में शेष हितग्राहियों द्वारा मजदूर सुरक्षा योजना में पंजीयन नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है। हितग्राही द्वारा किसी भी बैंक में खाता संचालित किया जा रहा हो तो उसी खाते में योजनाओं का लाभ दिया जाता है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में लंबित हितग्राहियों जो कि विगत 4-8 माह बाद भुगतान नहीं किया गया है की सूची निम्नानुसार है।

क्र.	संस्था का नाम	शेष जननी सुरक्षा के हितग्राही जिन्हे लाभ प्राप्त नहीं हुआ	शेष मजदूर सुरक्षा के हितग्राही जिन्हे लाभ प्राप्त नहीं हुआ
1.	जन चिकित्सालय बासौदा	46	0
2.	जन चिकित्सालय सिरोंज	240	25
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी	26	40
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्यारसपुर	45	16
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नटेरन	116	0
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरवाई	220	8
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपलखेड़ा	0	11
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्योदा	116	66
	कुल	809	166

लंबित प्रकरणों का भुगतान नहीं करने का कारण आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना है। इसके लिये हितग्राही स्वयं दोषी है। लंबित प्रकरणों का भुगतान आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति होने के उपरांत कर दिया जावेगा।

<u>जिला संयोजक की निलंबन/पदस्थापना</u>

16. (क्र. 382) श्री मुकेश नायक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला पन्ना के आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक को आयुक्त आदिवासी विभाग म.प्र. शासन द्वारा निलंबित कर दिया था? यदि हाँ, तो किस कारण निलंबित किया था? **(ख)** निलंबन के उपरांत इनको किस नियम के तहत बहाल कर उसी जिले में पदस्थापना कर दी गई जबकि पूर्व से 2008-2009 में भी इनको इसी कारण निलंबित किया गया था, जिसकी जाँच आज भी लंबित है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। पन्ना जिले में अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के उपयोग में आने वाली सामग्री पालक समिति के माध्यम से क्रय किये जाने के निर्देशों के विपरीत कार्यवाही करने से निलंबित किया गया था। **(ख)** निलंबन के विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा विचारोपरांत निलंबन से बहाल किया गया। विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-32/2015/1/25 दिनाँक 02/07/2015 से श्री खान को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 में श्री खान को निलंबित नहीं किया गया था। वर्ष 2007-08 में छात्रावास/ आश्रमों हेतु क्रय की गई सामग्री में अनियमितता के प्रकरण में नियमित विभागीय जाँच संस्थित की गयी है।

<u>आदिवासी उपयोजनान्तर्गत विकास कार्य</u>

17. (क्र. 393) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत विकास कार्य किन-किन गांवों में करवाये जाते हैं? इन गांवों को उपयोजना में शामिल करने के क्या आधार है? **(ख)** विधान सभा क्षेत्र में खातेगांव कितने वर्ष पूर्व ग्रामों का चयन आदिवासी उपयोजना में किया गया है? **(ग)** क्या विभाग चयनित गांवों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कितने गांवों को जोड़ने के प्रस्ताव प्रदत्त हुए हैं, सूची उपलब्ध करावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) ऐसे आदिवासी बाहुल्य गांव जो आदिवासी परियोजनाओं/माडा/लघुअंचल की भौगोलिक सीमा निर्धारित करते समय सह-स्पर्शीय रूप से उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने योग्य होते हैं, उनका चयन आदिवासी उपयोजना के लिये किया जाता हैं। **(ख)** जिला देवास के निर्माण दिनाँक 25/8/1990 के समय चयन किया गया। **(ग)** जी नहीं।

<u>छात्रावास हेतु सामग्री का क्रय</u>

18. (क्र. 426) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के अंतर्गत जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भिण्ड के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्रावास के लिए विगत दो वर्षों में क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? विगत दो वर्ष में प्रश्न दिनाँक तक प्रति तिमाही कितना बजट प्राप्त हुआ और

कितना बजट व्यय किया गया? **(ख)** जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भिण्ड में बस्ती विकास के अंतर्गत 2013 से 30 जून 2015 तक प्रति तिमाही कितना बजट प्राप्त हुआ? कितना व्यय किया गया है? कितना बजट अनुपयोग करने के कारण लेप्स हुआ? राशि लेप्स होने के क्या कारण है? इसके लिए कौन दोषी है? प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत क्या क्रय की सामग्री में भण्डार क्रय के नियमों का पूर्णत: पालन किया गया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' अनुसार है। (ग) जी हाँ।

<u>शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग</u>

19. (क्र. 428) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले में शौचालयों का निर्माण किस विद्यालय में किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? शौचालय कब तक निर्माण होना प्रस्तावित है? प्रति शौचालय निर्माण में कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान है? जानकारी दें। **(ख)** क्या भिण्ड जिले के अंतर्गत शौचालय निर्माण पांच नम्बर की ईंट इटावा से लाई जाकर प्रयोग की जा रही है? इटावा से ईंट आने के कारण विक्रय कर की चोरी हो रही है? यदि हो तो संबंधित निर्माण एजेंसी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** क्या भिण्ड जिले के अंतर्गत शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? उत्तम क्वालिटी ईंट सरिया का उपयोग न होने के कारण शौचालय अनुपयोग होंगे? यदि हाँ, तो पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से निरीक्षण करवाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** क्या भिण्ड जिले में 30 जून 2015 तक शतप्रतिशत शौचालय का निर्माण होना है? किन्तु समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण क्या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) भिण्ड जिले में शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाओ में शौचालयों का निर्माण संबधित विद्यालय की शाला प्रबंधन समिति के द्वारा किया जा रहा है। 15 अगस्त 2015 के पूर्व। बालक शौचालय हेतु रू.1.26 लाख एवं बालिका शौचालय हेतु रू.1.31 लाख। **(ख)** जी नहीं, स्वीकृत प्राक्कल में प्रावधनित ओपन भटटा ईट द्वारा। जी नहीं इटावा से ईट आने के कारण विक्रय कर की चोरी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं, जी नहीं, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता हैं। **(घ)** जी हाँ, सर्वशिक्षा अभियान से स्वीकृत शौचालयों को 30 जून 2015 तक पूर्ण किया जाना था जिन्हे पूर्ण कर लिया गया है। राज्य बजट से मई 2015 में स्वीकृत शौचालयों को 15 जुलाई 2015 तक पूर्ण किया जाना है अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>सहायक अध्यापकों को अंतरिम राहत भुगतान</u>

20. (क्र. 459) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों को अंतरिम राहत राशि देने के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रतिमाह कितनी राशि देने के निर्देश हैं? **(ख)** क्या सतना जिले में सहायक अध्यापकों को समस्त संकुल केन्द्रों में मासिक अंतरिम राहत 2250/- रुपये दिया जा रहा हैं? **(ग)** क्या सतना जिले की जनपद पंचायत सोहावल अन्तर्गत संकुल केन्द्र शा.उ.मा.वि. घूरडांग द्वारा शासन के निर्देश के बावजूद भी 2250/- के स्थान पर 1000/- रु. ही दिया जा रहा है क्यों? कारण

सहित बताएं? **(घ)** क्या शासन के आदेश की उपेक्षा करने वाले संकुल प्राचार्य एवं लेखापाल के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सतना को निर्देश दिये जायेगें कि संकुल घूरडांग अन्तर्गत पदस्थ सहायक अध्यापकों को 2250/- मासिक अंतरिम राहत राशि अविलम्ब भुगतान करायी जाये?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख)** जी नहीं। **(ग)** प्रश्नांकित शाला में शासन आदेश अनुसार अंतरिम राहत रूपये 1000/- दी जा रही है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''पच्चीस''

आशा कार्यकर्ताओं को खातों के माध्यम से भुगतान

21. (क्र. 536) श्री अनिल जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्वास्थ्य विभाग में क्या किन्हीं योजनाओं की राशि आशा का कार्यकर्ताओं के खाते में भुगतान करने का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो योजनाओं एवं कार्यों का नाम बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की योजनाओं एवं कार्य हेतु स्वीकृत राशि जिला टीकमगढ़ में क्या खाते के माध्यम से भुगतान की गई है? यदि हाँ, तो कब से और कितनी? सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी देवें? **(ग)** यदि उक्त प्रावधान अनुसार राशि खाते के माध्यम से भुगतान न कर नगद भुगतान की गई है तो नगद भुगतान की राशि एवं ऐसा किये जाने का कारण बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। विभाग में जननी सुरक्षा योजना, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, घेंघा उन्मूलन कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम गृह आधारित नवजात शिशु की देखभाल, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम इत्यादि हैं। **(ख)** जी हाँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार शेष प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, प्रदाय राशि ई-बैंकिंग के माध्यम से सीधे आशा कार्यकर्ताओं के खातों में जमा की गयी है।

परिशिष्ट - ''छब्बीस''

बी.एम.ओ. पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएं

22. (क्र. 541) श्री अनिल जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग द्वारा ब्लाक मेडिकल आफिसर के पद पर चिकित्सक की नियुक्ति के लिये क्या कोई प्रक्रिया एवं न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो उनका विवरण एवं इस हेतु शासन द्वारा जारी अद्यतन आदेश के संदर्भ सहित जानकारी दी जाए। **(ख)** टीकमगढ़ जिले में ब्लॉक मेडिकल आफिसर के कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से कितने पदों पर चिकित्सक तैनात है और कितने पद रिक्त हैं? संख्या एवं तैनात किये गये चिकित्सकों की सूची तथा रिक्त पदों की सूची पृथक-पृथक दी जावें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार जिले में ब्लॉक मेडिकल आफिसर के पदों पर तैनात चिकित्सकों में से कितने चिकित्सक ऐसे है जो इस पद हेतु शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें पूरी करते हैं उनकी संख्या बतावें और कितने नहीं उनकी संख्या के साथ यह भी बतावें कि इनको इस पद का कार्य भार सौंपने हेतु जारी आदेश में क्या निर्धारित प्रक्रिया एवं न्यूनतम अर्हताओं के

मापदण्डों का पालन किया गया है अथवा नहीं? यह भी बतावें कि इन आदेशों के जारी करने में कितने चिकित्सकों के स्थानांतरण भी किये गये हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2007 में निहित प्रावधान अनुसार चिकित्सा अधिकारी से प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु चिकित्सा अधिकारी के पद पर 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा ब्लाक मेडिकल ऑफिसर के पदनाम से विभाग में पद स्वीकृत नहीं है। **(ख)** उत्तरांश 'क' के संदर्भ में टीकमगढ़ जिले में प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी के 06 पद स्वीकृत है जिनमें से 04 पद रिक्त हैं एवं 02 भरे हुए हैं। पदस्थ नियमित प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारियों में जतारा में डॉ एल. एल. चंदेरिया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलेरा में डॉ. सी.बी.आर्या, सी.बी.एम.ओ. पदस्थ हैं। ब्लाक बल्देवगढ़, निवाडी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ में पद रिक्त हैं। **(ग)** जिले में 02 नियमित प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं, अन्य संस्थाओं में जहाँ नियमित प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी पदस्थ नहीं है में, सामान्यतः संस्था में कार्यरत वरिष्ठतम चिकित्सक को प्रभार सौंपा जाता है किन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पृथ्वीपुर में कार्यरत तीन वरिष्ठ चिकित्सकों क्रमशः 1. कोमा में होने के कारण 2. कार्यप्रणाली संतोषप्रद न होने के कारण 3. चार्ज लेने के लिए सहमति नहीं देने के कारण संस्था में कार्यरत कनिष्ठ चिकित्सक को प्रभार सौंपा गया है। संस्था में पद रिक्त होने की स्थिति में जिले के अंदर की अन्य संस्थाओं में कार्यरत चिकित्सकों को प्रभार सौंपा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>माध्यमिक शालाओं का उन्नयन</u>

23. (क्र. 583) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कितनी माध्यमिक शालाएं कहां-कहां पर संचालित हैं? **(ख)** उक्त में से चालू वित्त वर्ष में किन-किन माध्यमिक शालाओं के उन्नयन के प्रस्ताव शासन को भेजे गये? क्या इनमें अलापुरा, अजापुरा, सेमल्दा, पनवाड़ व सोठवा के माध्यमिक शालाओं के उन्नयन के प्रस्ताव भी शामिल हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन प्रस्ताव तैयार करवायेगा? **(ग)** क्या उक्त समस्त शालाओं से माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत छात्रों को 4 से 5 कि.मी. की दूरी तय कर हाई स्कूल की शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है? उक्त सभी माध्यमिक शालाएं शासन के सभी निर्धारित मापदण्डों को पूरा भी करती हैं? **(घ)** क्या जिला मुख्यालय पर संचालित समस्त माध्यमिक शालाओं से माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत शासकीय हजारेश्वर उ.मा.वि. श्योपुर पर छात्र संख्या का दबाव भी अधिक रहता है? इस कारण चम्बल कॉलोनी श्योपुर स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन भी आवश्यक है। **(ड.)** यदि हाँ, तो क्या शासन प्रश्नांश **(ख)** एवं **(घ)** में वर्णित माध्यमिक शालाओं के उन्नयन की स्वीकृति जारी कर इन्हें चालू वर्ष के अनुपूरक बजट में शामिल करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। शा.मा.शाला अलापुरा, सेमल्दा एवं सोठवा के प्रस्ताव सम्मिलित है। अजापुरा एवं जनवाड निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र न होने से प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है। जी नहीं। **(ग)** उत्तरांश ''क'' अनुसार। **(घ)** जी नहीं। जिला मुख्यालय पर संचालित समस्त माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत छात्र शासकीय हजारेश्वर उमावि श्योपुर,

शासकीय क. उमावि श्योपुर, शासकीय उत्कृष्ट उमावि श्योपुर एवं मॉडल उमावि श्योपुर आदि में प्रवेश के लिये जाते है। शा.मा. वि. चम्बल कालोनी श्योपुर के उपरोक्त विद्यालयों की दूरी लगभग 01 कि.मी. तथा शासकीय हाई स्कूल रायपुरा की दूरी लगभग 04 कि.मी. है। **(ड.)** शालाओं का उन्नयन बजट की उपलब्धतानुसार व स्वीकृति पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

24. (क्र. 626) श्री संजय पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी को पत्र क्र. 599 दिनाँक 09.03.2015 को पत्र लिखकर उपस्वास्थ्य केन्द्र मोहासं नं. 1 जिला कटनी में डॉक्टर की नियुक्ति हेतु लेख किया था? यदि हाँ, तो पत्र की छायाप्रति दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार विवरण दें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? उसके लिये कौन दोषी है बतायें? क्या तत्काल दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) पत्र क्रमांक 599 दिनाँक 09.03.2015 की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी द्वारा माननीय विधायक महोदय को पत्र क्रमांक 2776 दिनाँक 16.04.2015 के माध्यम से अवगत कराया है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में चिकित्सकों का पद स्वीकृत नहीं होता है। पत्र की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग)** उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

शालाओं का उन्नयन

25. (क्र. 643) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक सांवेर विधान सभा क्षेत्र के कितनी शालाओं के उन्नयन एवं नई शाला भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं? सूची सहित जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में सांवेर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भेजे गये प्रस्तावों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? उनमें से कितने पर आज दिनाँक तक कार्य प्रारंभ हुआ, कितने स्वीकृत हुए, कितने पेंडिंग हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में उक्त प्रस्तावों के पेंडिंग होने का कारण क्या है? क्या प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान की जायेगी? कब तक कार्य प्रारंभ कराये जायेगें समय-सीमा बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। **(ख)** एवं **(ग)** प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण उपरांत 11 हाईस्कूल एवं 15 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रस्ताव निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र है, जिनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। शालाओं का उन्नयन बजट स्वीकृति पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

शासकीय विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल /फर्नीचर की व्यवस्था

26. (क्र. 716) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले की विधानसभा क्षेत्र सिवनी के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल है जिनमें बाउंड्रीवॉल नहीं है और फर्नीचर की कमी है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्कूलों में बाउंड्रीवॉल निर्माण हेतु एवं फर्नीचर क्रय हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** शासन उपरोक्त स्कूलों की बाउंड्रीवॉल निर्माण हेतु एवं फर्नीचर क्रय हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सिवनी जिले की विधानसभा क्षेत्र सिवनी के अंतर्गत 290 प्राथमिक एवं 84 माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल नहीं है। शालावार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ-अनुसार है।** 492 प्राथमिक शालाओं एवं 189 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की कमी है, शालावार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब-अनुसार है।** सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 22 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है एवं 11 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर की कमी है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स-अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्कूलों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना 2015-16 में भारत शासन को प्रेषित किया गया था, परन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। शासकीय प्राथमिक शालाओं में फर्नीचर क्रय करने हेतु पृथक से प्रावधान नहीं है। वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के आधार पर फर्नीचर मद में भारत सरकार को सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्ताव भेजा गया था, परन्तु भारत सरकार व्दारा इस मद में कोई राशि स्वीकृत नहीं दी गई। जिले से शालाओं में फर्नीचर की उपलब्धता एवं आवश्यकता तथा बाउण्ड्रीवाल के प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे है। जिस पर बजट उपलब्धता के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। **(ग)** बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं फर्नीचर क्रय बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रोगी कल्याण समिति की बैठक

27. (क्र. 757) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की बैठक वर्ष में 02 बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जाना है? यदि हाँ तो सिविल हॉस्पिटल डबरा, जिला-ग्वालियर में गत वर्ष (अंतिम बार) किस दिनाँक को बैठक आयोजित की गई? इस बैठक के एजेन्डा की प्रति उपलब्ध करावे? तत्पश्चात बैठक अभी तक आयोजित नहीं करने के लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों नहीं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार सिविल हॉस्पिटल डबरा जिला-ग्वालियर में रोगी कल्याण समिति को वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक वर्षवार कितनी आय हुई तथा वर्षवार इस प्राप्त आय से कितनी-कितनी राशि किस कार्य हेतु व्यय की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं, वर्ष में एक बार। सिविल अस्पताल डबरा में रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन दिनाँक 29/01/2013 को किया गया था। एजेन्डा की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है।** बैठक आयोजित नहीं

करने हेतु सिविल अस्पताल डबरा के बी.एम.ओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' अनुसार** है।

परिशिष्ट - "तीस"

दतिया जिले में संचालित नर्सिंग कालेजों को भवन की अनिवार्यता

28. (क्र. 779) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दतिया जिले में कुल कितने नर्सिंग कालेज संचालित हैं? संस्था के नामवार/स्थानवार/स्वीकृति दिनाँक एवं संस्था में पदस्थ व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता सहित जानकारी उपलब्ध करायें? **(ख)** कंडिका **(क)** में वर्णित नर्सिंग कालेजों को मान्यता के कितने समय पश्चात स्वयं का भवन (मानको के अनुसार) होना आवश्यक है? क्या उक्त समस्त कालेजों ने मान्यता के समय दिये गये नियमों को पूरा कर लिया गया है या अभी भी किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं? यदि हाँ तो इन कालेज संचालकों के खिलाफ अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो इन कालेजों की एक टीम बनाकर जाँच की जायेगी? **(ग)** क्या मान्यता के 3 वर्ष बाद कालेज संचालकों को अपना 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाना आवश्यक है? यदि हाँ तो अभी तक किन-किन कालेज संचालकों द्वारा 100 बिस्तरों का अस्पताल तैयार करा लिया गया है? **(घ)** क्या मान्यता देने के पूर्व नर्सों की ट्रेनिंग के लिये जिले में कम से कम 150 बिस्तरों का अस्पताल होना आवश्यक है? क्या यह भी सत्य है कि जिले में आवश्यकता से अधिक कॉलेजों को मान्यता दी गयी है? जबकि नर्सों की ट्रेनिंग के लिये कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हाँ, तो क्या ऐसे कालेजों की मान्यता रद्द की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) दतिया जिले में नर्सिंग कॉलेजो की सूची **संलग्न परिशिष्ट पर विवरण सहित है। (ख)** नर्सिंग कालेजों को स्वयं का भवन दो वर्ष पश्चात होना अनिवार्य है। उक्त कालेजों ने मान्यता के समय आई.एन.सी. के नियमों को पूर्ण किया है जो स्वयं के भवन में संचालित हैं। कालेजों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-5 पर दी गई है।** स्वयं के भवन मानकों के अनुसार होने के कारण शेष कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनाँक 25 मई, 2009 के बिन्दु क्रमांक 23 के अनुसार नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं को शासकीय/ निजी नर्सिंग अस्पताल की संबंद्धता अधिकतम 04 वर्ष के लिये होगी। इस दौरान उन्हें स्वयं का अस्पताल स्थापित करना होगा। किसी भी स्थिति में संबंद्धता की समय-सीमा अधिकतम 04 वर्ष की होगी। वर्ष 2014-15 तथा इसके पश्चात स्थापित होने वाले नर्सिंग कालेजों को स्वयं का न्यूनतम 100 बिस्तर का अस्पताल होना अनिवार्य है। संचालित संस्थाओं के चिकित्सालय से संबंद्धता की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कालम-03 में स्थित है।** इन संस्थाओं में स्वयं का चिकित्सालय नहीं है। **(घ)** मान्यता के पूर्व जिला दतिया में कम से कम 100 बिस्तर का अस्पताल होना अवश्यक है। मान्यता देने अथवा रद्द करने की कार्यवाही के अधिकार भारतीय नर्सिंग परिसर (आई.एन.सी) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

भोपाल जिले के सहायक शिक्षकों के आवेदनों का निराकरण

29. (क्र. 818) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल जिल में वर्ष जनवरी 2015 से प्रश्नांकित दिनाँक तक कितने सहायक शिक्षकों के

आवेदन पर वरिष्ठता सुधार एवं जन्म तिथि सुधार हेतु प्राप्त हुये? प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक उक्त प्रकरण निराकृत कर दिये जायेंगे? **(ख)** भोपाल जिले में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक कितने सहायक शिक्षकों को उ.श्रे.शिक्षक एवं अन्य पदों पर पदोन्नति दी गई एवं उनके नाम एवं नियुक्ति दिनाँक सहित विषयवार सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये? **(ग)** क्या विषयवार पदोन्नति हेतु नियमों में परिवर्तन किया गया है? यदि हाँ, तो कब? दिनाँक सहित नियमों की जानकारी प्रदान करें एवं क्या इन नियमों से जूनियर सहायक शिक्षक सीनियर नहीं बन जाता है? यदि हाँ, तो इस विसंगति को कैसे दूर किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रश्नांश अवधि में सहायक शिक्षकों के वरिष्ठता सुधार हेतु एक तथा जन्मतिथि सुधार हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। वरिष्ठता सुधार हेतु प्राप्त आवेदन का निराकरण किया जा चुका है। जन्मतिथि सुधार हेतु एक आवेदन संचालनालय के निर्देशानुसार संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा को प्रेषित किया गया है। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ख)** भोपाल जिले में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक 171 सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षकों एवं अन्य पदों पर पदोन्नति दी गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- एक अनुसार है। (ग)** जी हाँ। भरती एवं पदोन्नति नियम-1973 मे दिनाँक 04 अगस्त 2012 को संशोधन किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- दो अनुसार है।** भरती एवं पदोन्नति नियम के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>शिक्षा का अधिकार अधिनियम</u>

30. (क्र. 837) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए विभाग द्वारा जून 2015 तक क्या-क्या कार्यवाही की? **(ख)** शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार देवास जिले के बागली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** बागली विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल की सुविधा कितने विद्यालयों में है? **(घ)** किन-किन विद्यालयों में भवन तथा टाट पट्टी नहीं है तथा इस हेतु विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) देवास जिला बांगली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षको की व्यवस्था शासन निर्देश दिनाँक 08.09.2014 के अनुसार युकितयुक्तकरण के माध्यम से की गई है। **(ग)** बागली विधानसभा क्षेत्र में संचालित 388 प्राथमिक एवं 127 माध्यमिक शालाओं सहित कुल 515 शालाएं संचालित है जिनमें से 74 शालाओं में नवीन शौचालय र्निमाण तथा 155 क्षतिग्रस्त शौचालयों के विरूद्ध पुन निर्माण कराये जा रहे है, 6 पेयजल श्रोत विहिन शालाओं मे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा श्रोत की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार से 515 विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध होगी। **(घ)** देवास जिले की सभी शालाओं में टाट पटिटयॉं उपलब्ध है। बागली विधान सभा की 2 प्राथमिक शाला क्रमश: रिछि तलाई एवं प्राथमिक विद्यालय इमलीपुरा में भवन नहीं है। वार्षिक कार्य योजना 2015-16 में भारत शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

<u>परिशिष्ट - ''बत्तीस''</u>

<u>सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत कार्य</u>

31. (क्र. 848) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 25 जून 2015 की स्थिति में रायसेन जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है? कार्य का नाम स्वीकृत राशि मूल्यांकन एजेन्सी को प्रदान की गई राशि सहित पूर्ण विवरण दें? **(ख)** उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु जिला प्रशासन/विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** मूल्यांकन से ज्यादा राशि किन-किन एजेंसियों ने आहरित की तथा उनसे राशि वसूल करने हेतु विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की? **(घ)** किन-किन कार्यों में विभाग राशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा तथा कौन-कौन से कार्य पूर्ण कराने का प्रयास करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 25 जून 2015 की स्थिति में रायसेन जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत अपूर्ण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' पर। (ख)** उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु जिला प्रशासन/विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी किये गए हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** 137 कार्यों की एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन से अधिक की राशि आहरित की गई है जिनसे वसूली की कार्यवाही की जा रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' पर।** जिसके तहत 112 निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी किये गए हैं, 13 निर्माण एजेंसियों के वसूली हेतु प्रकरण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को प्रेषित किये गए हैं, 03 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है एवं 09 निर्माण कार्यों में वन विभाग की रोक होने के कारण बंद है, इन एजेंसियों से भी राशि वसूली की कार्यवाही की जाना है। **(घ) परिशिष्ट-**'ब' अनुसार राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी एवं **परिशिष्ट-'अ' अनुसार** समस्त कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जावेगा।

<u>रतलाम जिला अंतर्गत आर.एम.एस.ए योजना का क्रियान्वयन</u>

32. (क्र. 884) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन/विभाग द्वारा केन्द्र-राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ ही आर.एम.एस.ए योजना का क्रियान्वयन जिले भर में सुचारू रूप से किया जा रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ ही आर.एम.एस.ए योजना क्रियान्वयन हेतु कितना बजट स्वीकृत होकर कितना प्राप्त हुआ? **(ग)** उपरोक्त वर्षों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत होकर कितनी आहरित की गई है? **(घ)** आहरित राशि से किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के क्या-क्या कार्य किये गये? स्थानवार विकासखण्डवार नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रवार उक्त वर्षों की स्थिति से भौतिक सत्यापन सहित अवगत कराए?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-**1 पर एवं राज्य की योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 एवं 3 अनुसार।**

<u>चिकित्सक की बर्खास्तगी एवं सेवा बहाली</u>

33. (क्र. 896) श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढ में पदस्थ संविदा डॉ. कल्याण सिंह को व्यापम घोटाले में गिरफ्तार किया गया? **(ख)** यदि हाँ, तो रीवा जिले के गुढ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ये पदस्थ थे और वहां पर पदस्थापना के बीच में कितनी बार बर्खास्त हुये और बहाल हुये और गुढ में ही उसी स्वास्थ्य केन्द्र में इन्हें रखा गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत समस्त बर्खास्तगी एवं बहाली किसके आर्डर से की गई हैं और इसके पीछे क्या मंशा थी। क्या इस दोषी कर्मचारी के द्वारा अर्जित संपत्ति की भी जाँच की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, तीन बार सेवा से पृथक एवं 02 बार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढ़ में बहाल किया गया। **(ग)** मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा फर्जी भुगतान एवं दस्तावेजों में हेराफेरी के कारण, आदेश क्रमांक 6557 दिनाँक 31.08. 2009 के द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया एवं शासन के आदेश क्रमांक 1116/755/2011/17/मेडि-1 दिनाँक 4.3.2011 द्वारा बहाल करते हुए सामुदामिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढ जिला रीवा में पदस्थ किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा के आदेश क्रमांक 2452 दिनाँक 25.11.2014 के द्वारा डॉ कल्याण सिंह, आर.सी.एच; संविदा चिकित्सक को चुनाव आचार संहिता के विरूद्ध गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा द्वारा अपर कलेक्टर एवं उप निर्वाचन अधिकारी के पत्र क्रमांक 01/शिकायत/सर्तकता/2014/01 दिनाँक 1.1.2015 में दिए गए निर्देश के परिपालन में आदेश क्रमांक 1849 दिनाँक 31.01.2015 के द्वारा बर्खास्ती आदेश को निरस्त किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश क्रमांक 5754 दिनाँक 23.04.2015 के द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया। डॉ कल्याण सिंह , संविदा आर.सी.एच. चिकित्सक है एवं इन्हें सेवा से पृथक किया जा चुका है, सम्पत्ति के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

<u>संयुक्त नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के विरूद्ध की गई शिकायत</u>

34. (क्र. 902) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या संयुक्त नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल की गंभीर शिकायत दिनाँक 11.06.2015 को विभाग के प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर की गई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित शिकायत के अलावा और भी शिकायत शासन व विभागाध्यक्ष को संयुक्त नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के विरूद्ध प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या संयुक्त नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के विरूद्ध उच्च अधिकारी द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही न करने के क्या-क्या कारण हैं? यदि कार्यवाही की गई है तो कार्यवाही का विवरण बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : **(क)** से **(ग)** दिनाँक 11.06.15 एवं 30.06.15 को शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है। शिकायतों का परीक्षण किया गया। शिकायतों में वर्णित विभागीय जाँचों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये हैं। भिण्ड जिले में खाद्य सुरक्षा

अधिकारियों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। शिकायत के शेष बिन्दु विचारणीय नहीं पाये गये हैं। तदोपरांत शिकायत नस्तीबद्ध कर दी गई है।

माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में उन्नयन

35. (क्र. 916) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 190 दिनाँक 4 मार्च 2014 के प्रश्नांश **(ख)** के अनुसार राजनगर विधानसभा क्षेत्र की माध्यमिक शालाओं का उन्नयन हाई स्कूल में किये जाने हेतु प्रस्ताव केबिनेट बैठक में आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा दिये गये? **(ख)** यदि हाँ, तो कब नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या राजनगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बरा, लखेरी, कुरेला पहरापुरवा, खर्रोही की माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाना नितांत आवश्यक है? **(घ)** यदि हाँ, तो माननीय मंत्री/सचिव/आयुक्त महोदय कितनी समय-सीमा में उन्नयन की कार्यवाही करेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं **(ख)** प्रस्ताव में शामिल किये गये थे। वर्ष 2014-15 में प्रावधानित सभी 50 माध्यमिक से हाई स्कूल उन्नयन के आदेश दिनाँक 09-09-2014 को जारी किए जा चुके है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रतिवर्ष सीमित संख्या में ही उन्नयन संभव हो पाता है। प्रतिवर्ष स्कूलों के उन्नयन की स्थिति परिवर्तनशील हो जाती है। **(ख)** एवं **(घ)** वर्ष 2015-16 की गणनानुसार शास. माध्य. शाला बरा, कुरेला एवं पहरापुरवा उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा करती है किंतु लखेरी एवं खरौंही निर्धारित मापदण्ड अनुसार अपात्र है। उक्त शालाओं के प्रस्ताव वर्ष 2015-16 में उन्नयन हेतु प्रस्तावित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामग्री के संबंध में

36. (क्र. 935) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के छात्रावासों में रजाई, फिनायल एवं सामग्री समय पर नहीं भेजने के संबंध में परि.अता. प्रश्न संख्या 50 (क्र. 2131) दिनाँक 4.3.15 के उत्तर में बताया गया था कि संभागीय उपायुक्त सागर संभाग द्वारा जाँच की गई है? **(ख)** क्या जाँच प्रतिवेदन पत्र क्र./138/शिकायत/2015 दिनाँक 12.02.2015 एवं अन्य पत्र आयुकत आदिवासी विकास, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास भोपाल, कलेक्टर आदिवासी विकास सागर को जिम्मेदारों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु भेजे गये है? **(ग)** यदि हाँ, तो कौन-कौन जाँच में दौषी पाया गया नाम बताये? इनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** यदि नहीं, तो जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही नहीं करने के लिये कौन-कौन दोषी है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य विभाग श्योपुर में संविदा नियुक्तियों में अनियमितता

37. (क्र. 953) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिले में वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक की अवधि में स्वास्थ्य विभाग में सी.एम.एच.ओ द्वारा कब-कब किस-किस पद पर कितनी-कितनी संविदा/नियमित

नियुक्तियां की गई इस संबंध में शासन के क्या निर्देश है? क्या उक्त नियुक्तियों में शासन निर्देशों का पालन किया गया है? **(ख)** उक्त अवधि में सी.एम.एच.ओ श्योपुर द्वारा की गई उक्त नियुक्तियों में बरती गई अनियमितताओं को लेकर क्या कोई शिकायती आवेदन सी.एम.एच.ओ श्योपुर के कार्यालय में प्राप्त हुए है यदि हाँ, इन पर क्या कार्यवाही की गई? इनमें से कितने आवेदनों का निराकरण किया गया कितनों का नहीं, कब तक किया जावेगा? **(ग)** क्या उक्त अवधि में उक्त सभी नियुक्तियों में शासन निर्देशों को अनदेखा करके सीएमएचओ श्योपुर द्वारा स्वयं की स्वार्थ पूर्ति हेतु पात्रो का नजर अंदाज कर कुछ अपात्रो को नियुक्तियां दी हैं। यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त अवधि में दी गई नियुक्तियों की जाँच करवाएगा यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। नियुक्तियों के संबंध में शासन के दिशा-निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स''अनुसार है।** जी हाँ, उक्त नियुक्तियों में चयन समिति द्वारा शासन के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। जैसे लिखित परीक्षा, अंको की वरियता एवं वॉक-इन इन्टरव्यू इत्यादि के माध्यम से की गई थी। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में नियुक्तियों में बरती गई अनियमितताओं को लेकर सी.एम.एच.ओ. कार्यालय एवं वरिष्ठ कार्यालय (पी.जी.आर., जन सुनवाई एवं अन्य) के माध्यम से शिकायती आवेदन प्राप्त हुये थे। प्राप्त शिकायती आवेदनों का विधिवत रूप से कार्यवाही कर निराकृत किये गये है। वर्तमान में कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। (ग)** यह कहना सही नहीं है कि उक्त सभी नियुक्तियों में शासन निर्देशों को अनदेखा कर सी.एम.एच.ओ. श्योपुर द्वारा स्वयं के स्वार्थ पूर्ति हेतु पात्रों का नजर अंदाज कर कुछ अपात्रों को नियुक्तियां दी गई है। उक्त समस्त नियुक्तियां गठित चयन समिति के द्वारा शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार सम्पादित कराते हुये पारदर्शिता बरती गई है। पारदर्शिता हेतु सर्व प्रथम इनट्रिम सूची जारी कर अभ्यार्थियो से दावा आपत्ति आमंत्रित कर प्राप्त दावा आपत्ति का विधिवत निराकृत करते हुये अंतिम सूची तैयार कर पात्र अभ्यार्थियो का ही चयन किया गया है। जिससे पात्रों को ही नियुक्ति दी जा सके एवं अपात्र अभ्यार्थियो का चयन न हो सके। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>गुना जिला चिकित्सालय में महिलाओं के प्रसव प्रकरणों की संख्या</u>

38. (क्र. 1029) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिला चिकित्सालय वर्ष 2013-14, 2014-15 में कितने प्रसव हेतु महिलाओं को भर्ती किया गया? **(ख)** प्रसव हेतु भर्ती महिलाओं में से कितनी महिलाओं की सामान्य प्रसव कराया गया तथा कितनो का प्रसव ऑपरेशन के माध्यम से किया गया? **(ग)** प्रसव के दौरान कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई कारण सहित बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) गुना जिला चिकित्सालय में वर्ष 2013-2014 में 9820 एवं 2014-15 में 10208 महिलाओं को प्रसव हेतु भर्ती किया गया। **(ख)** प्रश्न भाग की जानकारी निम्नानुसार हैः-

वर्ष	सामान्य प्रसव संख्या	आपरेशन प्रसव की संख्या
2013-14	6783	1052
2014-15	6855	876

(ग) प्रसव के दौरान 13 महिलाओं की मृत्यु हुई। शेष प्रश्नांश की विस्तृत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट - ''तैंतीस''

गुना जिले में संचालित एस.एन.सी.यू. यूनिट

39. (क्र. 1030) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या एस.एन.सी.यू. यूनिट नवजात शिशुओं की देखभाल के लिये बनाई गई है यदि हाँ तो गुना जिले में संचालित यूनिट में दिनाँक 1.4.2013 से 30.5.2015 तक एस.एन.सी.यू. यूनिट में कितने बच्चे भर्ती किये गये उनमें से कितने बच्चे स्वस्थ्य हुये तथा कितनो की मृत्यु हुई? **(ख)** क्या एस.एन.सी.यू. यूनिट में भर्ती नवजात शिशु को बेबी सूट के 2 पेयर देने का प्रावधान है यदि हाँ तो दिनाँक 1.4.2013 से 30.5.2015 तक गुना जिले में एस.एन.सी.यू. यूनिट में भर्ती बच्चों को बेबीसूट उपलब्ध कराने हेतु कितने बेबी सूट किस संस्था से कितनी राशि के क्रय किये गये? **(ग)** दिनाँक 1.4.2013 से 30.5.2015 तक गुना जिले में एस.एन.सी.यू. यूनिट में भर्ती बच्चों में से कितने नवजात शिशु को बेबीसूट उपलब्ध कराया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। गुना जिले में दिनाँक 01.04.2013 से 30.05.2015 तक कुल 5596 शिशुओं को भर्ती किया गया, उनमें से 5015 शिशु स्वस्थ्य हुये तथा 581 शिशुओं की मृत्यु हुई। **(ख)** जी हाँ। दिनाँक 01.04.2013 से 30.05.2015 के मध्य एस.एन.सी.यू. में 4345 बेबीसूट का क्रय मध्यप्रदेश हाथकरधा बुनकर सहकारी संघ, भोपाल से मध्यप्रदेश क्रय नियमानुसार किया गया, जिसकी राशि रूपये 11,66,355/- है। **(ग)** दिनाँक 01.04.2013 से 30.05.2015 तक गुना जिले के एस.एन.सी.यू. में 2045 नवजात शिशूओं को बेबीसूट उपलब्ध कराये गये हैं।

निर्माण संबंधी लंबित प्रकरणों का निराकरण

40. (क्र. 1034) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 01.04.2014 से आज दिनाँक तक गुना जिले में कितने निर्माण संबंधी प्रकरण किस विधायक की अनुशंसा से प्राप्त हुये हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार प्राप्त अनुशंसा में से कितने-कितने प्रकरण किस-किस विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत किये गये है? निर्माण कार्य का नाम एवं राशि की जानकारी दी जावे? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार प्राप्त प्रकरणों में लंबित प्रकरण कब तक स्वीकृत किये जावेगे? क्या प्रकरण स्वीकृत करने की गाईड लाईन बनाई गयी है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) अनुसूचित जनजाति के प्रकरण में जनसंख्या 50 प्रतिशत न होने के आधार पर स्वीकृति योग्य नहीं पाया गया, इस प्रकार कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।**

<u>संयुक्त संचालक स्वास्थ्य कार्यालय को मुरैना में स्थापित किया जाना</u>

41. (क्र. 1045) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कार्यालय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें चम्बल सम्भाग मुरैना सम्भागीय मुख्यालय पर संचालित ना होकर ग्वालियर से संचालित किया जा रहा है क्यों कारण सहित जानकारी दी जावें? **(ख)** क्या शासन उक्त कार्यालय को मुरैना सम्भागीय मुख्यालय पर स्थानान्तरित करेगा यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताई जावे? **(ग)** क्या उक्त कार्यालय चम्बल सम्भाग मुरैना में नहीं होने से सैकड़ों कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य से मुरैना से ग्वालियर जाना पड़ता है जिसमें शासन का पैसा व कर्मचारियों का समय अधिक लगता है? उक्त समस्या हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। चंबल संभाग के मुरैना संभागीय कार्यालय की स्वीकृति नहीं होने के कारण। **(ख)** जी हाँ। मुरैना संभागीय कार्यालय की स्वीकृति होने के उपरांत निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। **(ग)** जी हाँ। कोई नहीं।

<u>शिकायतों एवं जाँच के आधार पर प्रधान अध्यापिका का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण</u>

42. (क्र. 1081) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जबलपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र क्रं. 100 अंतर्गत शा.नवीन माध्यमिक शाला कछपुरा की प्रधान अध्यापिका मीनक चैतन्य के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर जाँच कर उसे दोषी पाते हुये उसका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शा.माध्यमिक शाला मंगेली कर दिया था? **(ख)** यदि वर्णित **(क)** सत्य तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्रधान अध्यापिका का प्रशासनिक आधार पर किया गया स्थानांतरण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही निरस्त कर दिया गया? **(ग)** यदि वर्णित **(क) (ख)** सत्य तो इसमें संबंधित तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एस.एस.ठाकुर पर शासन क्या जाँच कर उसे दंडित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** अब कब तक वर्णित **(क)** की प्रधान अध्यापिका को पुनः छात्र हित हेतु अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जावेगा? कृपया समय बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं **(ख)** प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया था, तथा प्रशासनिक आधार पर ही स्थानांतरण निरस्त किया गया था। **(ग)** स्थानांतरण आदेश एवं स्थानांतरण निरस्ती आदेश जारी करने की तिथियों में त्रुटि पाई गई है। इसकी जाँच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। **(घ)** प्रश्नांश क और ख के उत्तर के प्रकाश में यह प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

<u>फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जाँच</u>

43. (क्र. 1083) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय प्राथमिक शाला खितौला तहसील मझौली जिला जबलपुर में पदस्थ सहायक अध्यापक प्रकाश चंद्र रैकवार आत्मज श्यामलाल रैकवार में शासकीय सेवा मांझी (अनुसूचित जनजाति) के आधार पर प्राप्त की है? **(ख)** यदि हाँ, तो उनके जाति प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलायें कि क्या मांझी जाति जबलपुर जिले में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित जाति प्रमाणपत्र क्या सही है? यदि हाँ, तो उक्त जाति

प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता किसके द्वारा सत्यापित हुई है? सत्यापित अधिकारी के पदनाम सहित जानकारी देवें। **(घ)** क्या श्री प्रकाश चंद्र आत्मज श्यामलाल रैकवार द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र द्वारा शासकीय सेवा का लाभ लेने की शिकायतें अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा, कलेक्टर जबलपुर एवं कमिशनर जबलपुर तथा जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को की गई है? यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई बतलावें एवं यह भी बतलावें कि क्या शासन फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जाँच कर दोषी पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– दो अनुसार है। (ग)** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनाँक 05.02.14 **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 1206/2009 में पारित निर्णय दिनाँक 21.04.11 में प्राप्त निर्देश के तहत मांझी जनजाति के जो अधिकारी/कर्मचारी मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों के जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासकीय सेवाओं में नियुक्ति पाकर सेवारत है, तो वह निरन्तर रखी जाये, किन्तु ऐसे किसी भी प्रकरण में अंतिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बाद ही जारी किये जाये। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। प्रश्नांश **(ग)** उत्तर के प्रकाश में प्रकाश उपस्थित नहीं होता।

<u>जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति</u>

44. (क्र. 1090) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये है? यदि हाँ, तो वे क्या है? जानकारी दी जावे? **(ख)** क्या उत्कृष्ट विद्यालय मार्गदर्शिका के अनुसार ही म.प्र. के सभी जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में प्राचार्य के पद पर पदांकन किये गये है? उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य का नाम एवं उ.मा.विद्यालय में प्राचार्य पद पर कार्य करने के अनुभव सहित सूची देवें? प्रदेश में किन-किन जिला स्तरीय उत्कृष्ट उ.माध्यमिक विद्यालय में नियमों का उल्लघंन कर प्राचार्य का पदांकन किया है? **(ग)** क्या जबलपुर स्थित पं.लज्जाशंकर शा.उत्कृष्ट उ.माध्य.विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य वीणा बाजपेई का पदांकन उत्कृष्ट विद्यालय मार्गदर्शिका के नियमों का उल्लंघन करते हुये किया गया? यदि हाँ, तो इन्हें कब तक पद से पृथक कर नियमों का पालन करते हुये प्राचार्य का पदांकन किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख)** प्रशासनिक दृष्टि से उत्कृष्ट विद्यालयों में प्राचार्यों की पदपूर्ति की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है**। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय हेतु जारी मार्गदर्शिका में प्राचार्य का चयन हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा/आयुक्त लोक शिक्षण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना है। जिला स्तर के उत्कृष्ट विद्यालय होने के कारण तात्कालिक रुप से प्रशासकीय दृष्टि से श्रीमती वीणा वाजपेई को प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>शा. नेताजी सुभाष चंद बोस चिकित्सालय जबलपुर में रिक्त पदों की पूर्ति</u>

45. (क्र. 1098) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय नेता जी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय एवं महाविद्यालय जबलपुर

में कौन-कौन से रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं एवं कौन-कौन से पद रिक्त है? जानकारी पदवार, नामवार एवं पद रिक्त के दिनाँकवार बताई जावे? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ख)** वर्णित **(क)** की संस्था में डायलिसिस की कितनी मशीने कार्यरत हैं एवं कितनी बिगड़ी पड़ी हैं उक्त मशीनों के संचालन के लिये कितने टेक्नीशियन कार्य कर रहे है एवं कितनों की आवश्यकता है? **(ग)** उक्त संस्था में कितनी एक्स रे मशीने हैं कितनी चालू हालत में है एवं कितनी बिगड़ी है? मशीनों को चलाने हेतु कितने रेडियोग्राफर टेक्नीशियन कार्य कर रहे है एवं कितनों की ओर आवश्यकता है? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)** उक्त संस्था में पैथोलाजी परीक्षण हेतु कितने आटो क्लेब एनालाईजर उपलब्ध है एवं इसे चलाने हेतु कितने लैब टेक्नीशियन कार्य कर रहे है एवं अभी ओर कितने की आवश्यकता है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की स्थापना के अन्तर्गत विशेषज्ञों चिकित्सक के स्वीकृत कार्यरत नामवार पद सहित एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** रिक्त प्राध्यापक/सह प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु डी.पी.सी. प्रक्रिया निरंतर जारी हैं तथा रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पद पूर्ति हेतु वॉक इन इन्टरव्यू प्रक्रिया निरंतर जारी है। **(ख)** चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय 05 डायलिसिस हैं। वर्तमान में 04 डायलिसिस मशीन चालू हैं एवं 01 बिगड़ी हुई है। डायलिसिस मशीन के संचालन हेतु एक ही पद स्वीकृत हैं जो भरा हुआ है। संस्था में स्थापित 05 डायलिसिस मशीन के संचालन हेतु 10 नवीन डायलिसिस टेक्नीशियन के पदों की आवश्यकता हैं। **(ग)** इस चिकित्सा महाविद्यालय के एक्सरे विभाग में कुल 12 एक्सरे मशीन स्थापित हैं जो चालू हालत में है। निम्नलिखित रेडियोग्राफरो के पद स्वीकृत है :- सीनियर रेडियोग्राफर के स्वीकृत पद 03, भरे पद 02, रिक्त पद 01/ रेडियोग्राफर के स्वीकृत पद 07, भरे पद 03, रिक्त पद 04, उपरोक्त स्वीकृत पदों के अलावा 15 रेडियोग्राफर के नवीन पदों की आवश्यकता है। रिक्त 04 पदों की पूर्ति हेतु व्यापम भोपाल द्वारा 30/05/2015 को परीक्षा आयोजित की जा चुकी हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होने पर भर्ती की कार्यवाही की जावेगी। **(घ)** चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के सेन्ट्रल लेब में कुल Fully 4 Auto Analyzer हैं जिसमें से 02 Fully Biochemistry Auto Analyzer, एक Three Part Heamatology Cell Couter Electrolyte Analyzer इस मशीनों के संचालन हेतु 18 लेब टेक्नीशियन कार्यरत हैं तथा 10 लैब टेक्नीशियन की और आवश्यकता हैं।

सीहोर जिले में शिशु मृत्यु की दर

46. (क्र. 1111) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में सीहोर जिला अस्पताल में कितनी महिलाएं प्रसूति हेतु भर्ती की गई? कितने शिशुओं की मृत्यु इन वर्षों में जिला अस्पताल में हुई? शिशु मृत्यु के क्या कारण रहे? **(ख)** कितनी महिलाओं को सामान्य प्रसव हुआ एवं कितनी महिलाओं को शल्य चिकित्सा द्वारा प्रसव हुआ? **(ग)** कितनी महिलाएं प्रसव पूर्व शासकीय अस्पताल से छुट्टी लेकर निजी अस्पताल में प्रसव हेतु **गई** एवं इसके क्या कारण रहें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2012-13 में 8485 वर्ष 2013-14 में 9513 एवं वर्ष 2014-15 में 9864 महिलाएं सीहोर जिला अस्पताल में प्रसूति हेतु भर्ती हुई। एसएनसीयू में भर्ती नवजात शिशुओं की वर्ष 2012-13 में 460, वर्ष 2013-14 में 405 एवं

वर्ष 2014-15 में 397 शिशुओं की मृत्यु हुई। शिशुओं की मृत्यु प्रीमेच्युरिटी-आर.डी.एस., बर्थ एस्फिक्सिया, सेप्सिस, निमोनिया, डायरिया, एनीमिया, कनेजेनाईटल एनामोलीस के कारण हुई। **(ख)** प्रश्न भाग की जानकारी निम्नानुसार हैः-

वर्ष	सामान्य प्रसव संख्या	आपरेशन प्रसव की संख्या
2012-13	6080	640
2013-14	5988	1190
2014-15	5944	1191

(ग) निरंक।

सीहोर जिले में छात्रवृत्ति का वितरण

47. (क्र. 1112) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीहोर जिले में छात्रवृत्ति योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कितने योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति आवंटन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कितने छात्रों को छात्रवृत्ति आवंटित की गई? क्या विभाग द्वारा यह छात्रवृत्ति समय पर वितरित की गई? यदि नहीं, तो किस कारण से एवं कब तक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदाय कर दी जायेगी? **(ख)** विभाग के अंतर्गत जिले में संचालित छात्रावासों हेतु पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई? यह राशि किन-किन मदों में इस्तेमाल की गई? **(ग)** विधानसभावार सीहोर जिले में कितने एवं कहाँ-कहाँ छात्रावास संचालित हैं और कितने एवं कहाँ-कहाँ प्रस्तावित हैं? इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) आदिवासी विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति का वितरण सीधे किया जाता है। सीहोर जिले में आदिवासी छात्रवृत्ति पोस्ट मैटिक अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 696 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है। कुल 696 छात्रों को 69.68 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। राज्य छात्रवृत्ति एवं कक्षा 11वीं, 12वीं की छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार है।** अनुसूचित जाति हेतु वर्ष 2014-15 में 3762 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है, जिनके विरूद्ध 2048 विद्यार्थियों को 24800000 छात्रवृत्ति वितरित की गई है। प्रस्ताव अपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त होने के कारण छात्रवृत्ति वितरण में विलंब हुआ है। शीघ्र वितरित कर दी जायेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सीहोर जिले में छात्रवृत्ति योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है।** छात्रवृत्तिनया पोर्टल देर से तैयार होने के कारण छात्रों के आवेदन विलंब से प्राप्त होने से छात्रवृत्ति वितरण में विलंब हुआ है। सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदाय कर दी गई है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' एवं प्रपत्र-'एक' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' एवं 'द' 'दो' एवं 'तीन' अनुसार है।** छात्रावासों में बिस्तर, पलंग, बिजली, पानी, आवास की निःशुल्क सुविधा प्रदाय की जाती है।

स्कूलों में भृत्यों के पदों की पूर्ति

48. (क्र. 1123) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के अंतर्गत आने वाले कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रश्नतिथि तक भृत्य नहीं हैं? कारण बतायें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में वर्णित स्कूलों में भृत्य न होने के कारण स्कूलों की साफ-सफाई नहीं होती है? यदि होती है, कौन करता है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या साफ-सफाई छात्र-छात्राओं से करायी जाती है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित स्कूलों में कब तक भृत्यों की भर्ती हो जायेगी? समय-सीमा दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) भिण्ड जिला अंतर्गत 1792 प्राथमिक विद्यालय, 548 माध्यमिक विद्यालय, 64 हाईस्कूल एंव 06 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भृत्य नहीं है। पद स्वीकृत नहीं होने/सेवानिवृत होने/पदोन्नति के कारण। **(ख)** जी नहीं। विद्यालय जहाँ भृत्य नहीं है, उन प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में राज्य शिक्षा केन्द्र एवं उन्नत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा साफ-सफाई हेतु प्रदत्त राशि से एवं शेष विद्यालयों में स्थानीय मद अंतर्गत साफ-सफाई की व्यवस्था प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित विद्यालयो में स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीधी भर्ती द्वारा किये जाने का नियमों में प्रावधान है। पदों की रिक्तता तथा पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ब्लॉक समन्वयक के रिक्त पदों की पूर्ति

49. (क्र. 1124) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चंबल संभाग में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लाक समन्वयक (बी.आर.सी.) के कितने पद भरे हैं? कितने खाली है? ब्लॉकवार भरे पदवार, खाली पदवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत उक्त ब्लॉकों में पद कब से खाली है? कब तक भर दिये जायेंगे? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के तहत क्या बी.आर.सी. के पद पर अपात्र भी पदस्थ है? यदि हाँ, तो किस-किस ब्लॉक में? जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश **(क)**, **(ख)** व **(ग)** के तहत कितने बी.आर.सी. की जिला को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों का प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या निराकरण हुआ जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। राज्य शिक्षा सेवा अंतर्गत स्वीकृत नवीन पदसंरचना में बी.आर.सी.सी. के पदों को समायोजित करते हुए ए.ई.ओ. के पद स्वीकृत किये गये है। ए.ई.ओ. की पदस्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निर्धारित समयसीमा बताना संभव नहीं है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

शाला उन्नयन एवं भवन निर्माण स्वीकृति

50. (क्र. 1139) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत शासकीय कन्या माध्यमिक स्कूल सुठालिया का अस्सी के दशक में हाई स्कूल में उन्नयन किया गया था? किन्तु भवन की स्वीकृति के अभाव में तत्समय से प्रश्न दिनाँक तक माध्यमिक शाला के चार कक्षों में विद्यालय संचालित हो रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या तीन दशक व्यतीत होने जाने के बाद भी उक्त हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में

उन्नत नहीं किया गया और न ही भवन की स्वीकृति दी गई? जबकि उक्त विद्यालय में कन्याओं की संख्या 400-500 के लगभग है तथा निकटतम हायर सेकेण्ड्री की दूरी भी 26 कि.मी. दूर ब्यावरा शहर में उपलब्ध है जो छात्राओं के अध्ययन में बाधक हैं? **(ग)** उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त कन्या हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन व भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। निर्मित 05 कक्षों में से 03 कक्षों में शासकीय कन्या हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है। **(ख)** कन्या हाई स्कूल से कन्या हायर सेकेण्डरी उन्नयन के लिए पृथक से मापदण्ड निर्धारित नहीं है। हाई स्कूल सुठालिया की छात्राएं पूर्व से संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुठालिया में अध्ययन हेतु जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कन्या हाई स्कूल सुठालिया के लिए नवीन भवन की स्वीकृति बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। **(ग)** शाला उन्नयन एवं भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

ब्यावरा नगर में 100 सीटर छात्रावास की स्वीकृति

51. (क्र. 1140) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजगढ़ जिले का ब्यावरा नगर आबादी के मान से जिले का सबसे बड़ा नगर है जिसकी जनसंख्या लगभग 60 हजार है एवं शैक्षणिक गतिविधियों का बड़ा केन्द्र होकर दो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक राज्यीय राजमार्ग का संगम होने के कारण चारों दिशाओं से विद्यार्थी आकर उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लेते हैं तथा शहर में विद्यार्थियों के निवास हेतु कोई हॉस्टल/छात्रावास नहीं है, विशेषकर पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी अत्यंत कठिनाई में रहकर अध्ययन कर पा रहे हैं? **(ख)** उपरोक्तानुसार क्या शासन पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये पृथक से 100 सीटर छात्रावास का निर्माण ब्यावरा नगर में करने की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) ब्यावरा जिला राजगढ़ में विभाग द्वारा वर्तमान में 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास तथा राजगढ जिला मुख्यालय पर 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। **(ख)** वर्तमान में शासन की नीति अनुसार केवल जिला मुख्यालयों पर ही 100 सीटर बालक छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी/शिक्षकों का संलग्नीकरण

52. (क्र. 1173) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिले के विधान सभा क्षेत्र दिमनी उ.मा.वि. में कार्यरत सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को विद्यालयवार जानकारी दी जावे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में यदि उपरोक्त में से किसी का संलग्नीकरण अन्य विभाग में कब से कब तक किस कार्य हेतु किया गया है तथा उक्त अधिकारी/कर्मचारी अन्य विभाग में कब से संलग्न हैं, जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी अन्य विभाग में संलग्न होने से उसके द्वारा सम्पादित किया जा रहा शासकीय कार्य किसके द्वारा सम्पादित किया जा रहा है? क्या अधिकारी/कर्मचारी के संलग्न होने पर शासकीय कार्य प्रभावित हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य का ब्यौरा देवें? संलग्नीकरण कब तक समाप्त किये जावेगें, निश्चित समय-सीमा बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश **(क)** में वर्णित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का संलग्नीकरण अन्य विभाग में नहीं है। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के प्रकाश में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

<u>बाल श्रम विद्यालयों का संचालन</u>

53. (क्र. 1174) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बाल श्रम विद्यालय संचालन हेतु शासन द्वारा क्या-क्या नीति/निर्देश प्रचलन में हैं अवगत करावें? **(ख)** क्या बाल श्रम विद्यालय संचालन हेतु शासन के अतिरिक्त एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संस्था) को भी मान्यता प्राप्त हैं, यदि हाँ, तो इस हेतु शासन के क्या मापदण्ड हैं, बतावें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में जिला मुरैना में कहां-कहां बाल श्रम विद्यालय संचालित होकर शासन व एन.जी.ओ. द्वारा चलाये जा रहे हैं? **(घ)** यदि एन.जी.ओ. द्वारा जहां-जहां भी विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं वे कब से संचालित होकर किन-किन एन.जी.ओ. द्वारा क्रियान्वयन किया जाकर कितना अनुदान विगत तीन वर्ष से जून 2015 तक दिया गया?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' में है। (ख) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' में है। (ग)** मुरैना जिले में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित नहीं होने से जिले में बाल श्रम विद्यालय संचालित नहीं है। **(घ)** उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

<u>परिशिष्ट - "चौंतीस"</u>

<u>ठेकेदारों से राजस्व वसूली</u>

54. (क्र. 1186) श्री जितू पटवारी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल अधिनियम प्रदेश में कौन से सन् से लागू किया गया है, तथा यह अधिनियम किन ठेकेदार पर लागू होता है? **(ख)** इस अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों से कितना कर वसूला जाता है इसकी प्रक्रिया क्या है? **(ग)** इंदौर जिले में अधिनियम अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में विभागवार प्रदत्त कार्यों हेतु ठेकेदारों से कितना टैक्स वसूल किया गया है? **(घ)** प्रश्न **(ग)** का उत्तर यदि निरंक है, तो इस अधिनियम के लागू होने के बाद से वर्तमान तक अमल क्यों नहीं किया गया? **(ड.)** इतने वर्षों तक टैक्स वसूल नहीं कर राजस्व का नुकसान करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? क्या शासन द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों से टैक्स की राशि वसूल की जावेगी?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) अधिसूचना एफ 14-4/98/16-ए, दिनाँक 10.04.2003 द्वारा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल का गठन किया गया तत्समय से उक्त अधिनियम भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों पर नियोजित ठेकेदारों पर प्रभावशील है। **(ख)** शासकीय उपक्रम, अशासकीय एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के नियोजित ठेकेदारों से निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर राशि उनके दयकों से कटौत्रा कर संबंधित विभागों द्वारा वसूल कर मंडल के खाते में जमा की जाती है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (घ)** एवं **(ड.)** उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>प्रायवेट स्कूलों की मान्यता के नियम</u>

55. (क्र. 1197) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला छतरपुर में प्रायवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कितने स्कूलों को व

कब? स्कूलों के नाम व पता सहित बतायें। क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोई नियम निर्धारित किये गये हैं? क्या कक्षा पहली से 12 तक फीस निर्धारित की गई है? अलग-अलग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित बतायें। **(ख)** क्या प्रायवेट स्कूलों द्वारा शिक्षा विभाग की गाईड लाईन अनुसार मापदण्ड पूर्ण किये गये हैं? यदि हाँ, तो समस्त स्कूलों के गाईड लाईन अनुसार प्राप्त किये गये दस्तावेजों की प्रति साथ ही छात्रों को जारी फीस कार्ड जिसमें मासिक फीस का विवरण हो? विगत वर्ष 2014-15 की छायाप्रति उपलब्ध करायें? **(ग)** क्या प्रायवेट स्कूलों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की सीमा के दायरे में रखा गया है? यदि हाँ, तो कितने स्कूलों को सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों से आवेदन पत्र प्राप्त हुये? क्या चाही गई जानकारी स्कूलों संचालकों द्वारा प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या प्रायवेट स्कूलों द्वारा म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त मापदण्ड पूर्ण किये गये हैं? यदि मापदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।** कक्षा 1 से 8 तक के एवं कक्षा 9 से 12 तक के मान्यता नियम निर्देशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे अनुसार है।** फीस का निर्धारण शासन द्वारा नहीं किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी हाँ। छतरपुर जिले के अशासकीय विद्यालयों द्वारा विगत वर्ष 2014-15 में छात्र-छात्राओं के मासिक फीस के फीस कार्ड विद्यालयों द्वारा जारी नहीं किये जाते अपितु रसीदें जारी की जाती हैं। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>चंदला विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

56. (क्र. 1198) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला छतरपुर अंतर्गत वि. सभा क्षेत्र चंदला के सम्पूर्ण अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या कुल कितनी है? यदि अस्पताल से स्वीकृत पद संख्या से भरे पद कम होने से रिक्त संख्या हैं या नहीं, बताने का कष्ट करें। **(ख)** यदि संख्या कम है, तो डॉक्टरों की पदस्थापना कर कब तक पूर्ति की जावेगी? महिला डॉक्टरों की संख्या की भी पूर्ति कब तक की जावेगी? **(ग)** चंदला विधानसभा अंतर्गत डॉक्टरों के नहीं जाने से क्या डॉक्टरों को प्रदाय की जाने वाली मूलभूत सुविधा की कमी है? यदि है, तो पुरूष-महिला डॉक्टरों के लिए चंदला विधानसभा अंतर्गत मूलभूत सुविधायें कब तक प्रदाय की जावेगी? **(घ)** विधानसभा चंदला अंतर्गत सभी अस्पतालों में जननी सुरक्षा संजीवनी तत्काल वाहन सेवा हेतु मरीजों की सुविधाओं हेतु कितने वाहन लगाये गये हैं? अस्पतालवार संपूर्ण जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) चंदला विधानसभा क्षेत्र में संपूर्ण अस्पतालों में डॉक्टरों के कुल 14 पद स्वीकृत हैं। 04 पद भरे है तथा 10 रिक्त हैं। **(ख)** विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। विशेषज्ञों की अत्याधिक कमी है कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। एन.एच.एम. अंतर्गत आदेश दिनाँक 04.07.2015 के द्वारा एक संविदा आर.सी.एच. चिकित्सक की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लवकुशनगर में की गई है। लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है, 03 चिकित्सकों को गौरिहार में पदस्थापना प्रस्तावित है। हाल ही में म.प्र. लोक सेवा

आयोग द्वारा 1896 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धतानुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। **(ग)** विभाग अंतर्गत चंदला विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारियों को सभी मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जननी सुरक्षा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरिहार में 01 वाहन उपलब्ध है एवं चंदला, बारीगढ़, छठीबम्होरी, मुडेरी, सरवई, खडेहा, पहरा में वाहन मालिकों द्वारा वापस ले लिए जाने के कारण, पुनः निविदाएँ बुलाकर वाहन लगाये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। संजीवनी वाहन 108 गौरिहार, चंदला एवं सरवई में उपलब्ध हैं। शेष बारीगढ़, छठीबम्होरी, मुडेरी, खडेहा, पहरा में संजीवनी वाहन उपलब्ध नहीं हैं।

<u>विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति के कल्याण की योजनाएं</u>

57. (क्र. 1228) श्री अमर सिंह यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य शासन द्वारा प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के कल्याण के लिये क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं? शासन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** राजगढ़ जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के कल्याण के लिये विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से विकास व हितग्राहीमूलक कार्य स्वीकृत किये गये? उनके लिये जिले को प्रतिवर्ष कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ उसके विरूद्ध कितने कार्य स्वीकृत किये गये? विधान सभावार जानकारी देवें? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासन द्वारा राजगढ़ जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के कल्याण व उनके क्षेत्र में विकास के लिये कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? जानकारी देवें? **(घ)** राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति बाहुल्य कौन-कौन से ग्राम है उनकी जनसंख्या सहित सूची उपलब्ध करावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पत्रक ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पत्रक ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पत्रक ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पत्रक ''द'' अनुसार है।

<u>मंडला जिले सर्व शिक्षा अंतर्गत भवन निर्माण</u>

58. (क्र. 1258) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडला जिले में सर्व शिक्षा अंतर्गत भवन निर्माण, बाउंड्रीवॉल अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य की स्वीकृति पिछले दो वित्तीय वर्षों से लेकर प्रश्न दिनाँक तक कितने निर्माण की दी गई थी? **(ख)** क्या स्वीकृत सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अगर स्वीकृति उपरांत नहीं बन सके है तो उसके क्या कारण है? **(ग)** निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मण्डला जिले में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में भवन निर्माण बाउंड्रीवॉल, अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति निरंक है एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रश्न दिनाँक तक 05 प्राथमिक शाला एवं 05 माध्यमिक शाला भवन की स्वीकृति दी गई थी। **(ख)** जी नहीं, पंचायत नगरीय निकायों के चुनाव के कारण कार्य प्रारंभ नहीं कराये जा सके थे। **(ग)** निश्चित समयावधी बताया जाना संभव नहीं है।

स्कूलों का उन्नयन

59. (क्र. 1286) श्री दिव्यराज सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत दो वर्षों में किन-किन स्कूलों का उन्नयन किया गया? किन-किन स्कूलों का उन्नयन किया जाना प्रक्रिया में है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के ही संदर्भ में क्या स्कूलों का उन्नयन न होने के कारण आर्थिक स्थितिसे कमजोर परिवार के छात्र-छात्राओं की अगली शिक्षा प्रभावित नहीं होती है? यदि हाँ, तो क्या सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्कूलों के उन्नयन की कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्राथमिक शाला डिहिया एवं प्राथमिक शाला भडेरहा का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया गया है। माध्यमिक से हाई स्कूल में किसी भी शाला का उन्नयन नहीं हुआ। वर्ष 2013-14 में शा. हाई स्कूल गहिलवार का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया व माध्यमिक से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से उ.मा.वि. में उन्नयन हेतु शालाओं की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** वर्तमान में किसी भी प्राथमिक शाला का उन्नयन किया जाना प्रक्रिया में नहीं है। **(ख)** जी नहीं। छात्र नजदीक के स्कूल में शिक्षा हेतु जाते है। बजट की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति अनुसार उन्नयन की कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - ''पैंतीस''</u>

शासकीय स्कूलों में बिजली की व्यवस्था

60. (क्र. 1302) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल शहर के अंदर शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में पूर्णतः विद्युत उपलब्धता हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें विद्युत व्यवस्था का अभाव है? नामवार तथा क्षेत्रवार जानकारी देवें? **(ख)** जिन स्कूलों में विद्युत उपलब्ध हैं वहां पर बिजली बिल आदि किस मद से भरा जाता है या बिजली बिल जमा करने की व्यवस्था क्या है? **(ग)** कई स्कूलों में बिजली की वायरिंग, लाईट पंखे एवं बिजली के मीटर कटे हैं, ऐसे कितने स्कूल हैं? उनकी जानकारी देवें? **(घ)** इन स्कूलों में वायरिंग दुरूस्ती, लाईट, पंखे एवं निरंतर बिजली की उपलब्धता रहे, इस हेतु शासन स्तर पर क्या कदम उठाये गये हैं? इसकी देखरेख कौन सा विभाग करता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं, 101 प्राथमिक शाला एवं 88 माध्यमिक शाला में पूर्णतः विद्युत उपलब्धता है। शेष 93 प्राथमिक 33 माध्यमिक शाला में विद्युत का अभाव है। नामवार क्षेत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर है। (ख)** शाला को प्राप्त आकस्मिक निधी की राशि से बिजली बिल भरा जाता है। **(ग)** 09 स्कूलों में बिजली की वायरिग, लाईट पंखे एवं बिजली के मीटर कटे है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर है। (घ)** जिन शालाओं में तीन कक्ष है इस हेतु रू 5000 तथा तीन कक्ष से अधिक की शालाओं हेतु रू. 10000 की राशि आकस्मिक निधी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। शाला की आवश्यकता के आधार पर संबंधित शाला की शाला प्रबंधन समिति कार्य करवाती है।

भवन विहीन हाई स्कूलों का भवन निर्माण

61. (क्र. 1306) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में कितने-कितने हाई स्कूल

संचालित हैं? शालावार सूची उपलब्ध करावें? कितने हाई स्कूल भवन विहीन हैं, एवं कब से? भवन निर्माण की क्या योजना है? **(ख)** क्या विकासखण्ड सिहोरा अंतर्गत हाई स्कूल गुनहरू मोहसाम एवं मढा परसवारा भवन विहीन होने के कारण माध्यमिक शाला के भवन में स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है? कब तक इन स्कूलों के भवन बना दिये जावेगें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सिहोरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सीहोरा में 07 एवं कुण्डम में 05 हाईस्कूल संचालित हैं। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** 01 हाई स्कूल झिरिया अक्टूबर 2012 से स्वभवन- विहीन है। शाला भवन निर्माण राज्य बजट एवं संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। **(ख)** जी हाँ। हाईस्कूल गुनहरू मोहसाम एवं मढ़ा परसवारा उन्नयन पश्चात माध्यमिक शाला भवन में संचालित है। माध्यमिक शाला के भवन में संचालित होने से शिक्षण कार्य बाधित नहीं है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हाईस्कूल गुनहरू मोहसाम को 01 अतिरिक्त कक्ष 01 आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, 01 प्रयोगशाला कक्ष एवं 01 पुस्तकालय कक्ष एवं एक शौचालय का कार्य स्वीकृत होने के फलस्वरूप कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा शा. हाईस्कूल परसवारा को 01 आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष 01 प्रयोगशाला कक्ष एवं 01 पुस्तकालय कक्ष स्वीकृत होकर कार्य फिनिशिंग स्तर पर है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां का उन्नयन

62. (क्र. 1307) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1240 दिनाँक 12.12.14 में अवगत कराया गया था, कि जबलपुर जिले के मझगवॉ पी.एच.सी. को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है? **(ख)** क्या मझगवॉ पी.एच.सी. में कुल 154 गॉव आते हैं, और उनकी आबादी 1.30 लाख से अधिक है? यहाँ पर जनता का दबाव बहुत ज्यादा रहता है तथा उन्नयन किया जाना अति आवश्यक है? यदि हाँ, तो कब तक उन्नयन कर दिया जावेगा? निश्चित समय-सीमा बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधी बताना संभंव नहीं है।

निर्माण श्रमिकों की जानकारी का प्रदाय

63. (क्र. 1335) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में विगत तीन वर्षो में कितने निर्माण श्रमिकों को आज दिनाँक तक पंजीकृत किया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों के लिए शासन द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं? नाम उपलब्ध करावे? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के प्रकाश में अब तक शासन की विभिन्न योजनाओं से क्या-क्या लाभ, कितने पंजीकृत श्रमिक को दिया गया है? विगत तीन वर्षो की जानकारी देवें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) प्रश्नांकित अवधि में वर्तमान तक कुल 3568 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग)** प्रश्नांकित अवधि में योजनावार लाभान्वित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित हिताधिकारियों की संख्या
1	प्रसूति सहायता	127
2	विवाह सहायता	03
3	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि	499
4	मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार	08

परिशिष्ट - ''छत्तीस''

श्रम विद्यालयों की भौतिक जानकारी उपलब्ध कराने बावत्

64. (क्र. 1336) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अतारांकित प्रश्न क्र. 2345 में प्राप्त उत्तर में रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज अन्तर्गत कुल 8 श्रम विद्यालय संचालित होने की जानकारी का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में परिशिष्ट अ एवं ब का भौतिक सत्यापन विद्यालय के स्टॉफ एवं संचालन का स्थान, छात्र संख्या, नाम, पता, छात्रवृत्ति एवं मध्यान्ह भोजन आदि का कराया जावेगा? **(ग)** यदि हाँ, तो किसके-किसके द्वारा कराया जावेगा? समय-सीमा बतावें एवं यदि भौतिक सत्यापन नहीं कराया जावेगा तो क्यों कारण बतावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** बी.आर.सी.सी., बी.ए.सी. एवं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा सत्यापन यथाशीघ्र करा लिया जावेगा। माह मार्च-अप्रैल में बी.आर.सी. हनुमना एवं बी.आर.सी. द्वारा मउगंज विधान सभा क्षेत्र मउगंज अन्तर्गत सभी 08 विद्यालयों का निरीक्षण एवं सत्यापन कर प्रतिवेदन जिला पंचायत रीवा को प्रस्तुत किया गया है।

विभाग की संचालित योजनाओं में प्राप्त आवंटन एवं व्यय

65. (क्र. 1354) श्री रामनिवास रावत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति (पी.टी.जी.) सहरिया, बैगा एवं भारिया के विकास व कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं राज्य में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 एवं 2015 में प्रश्नांकित दिनाँक तक कितनी राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा श्योपुर जिले को प्राप्त हुई? प्राप्त राशि में कितनी राशि व्यय की गई? उक्त में कितनी राशि आत्मसमर्पित की गई? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** की योजनाओं में से सेटलमेंट योजना के तहत पी.टी.जी. के बहुआयामी विकास के लिए भिन्न-भिन्न कार्यों पर व्यय करने के लिए केन्द्र से राशि प्रदान की है? यदि हाँ, तो कार्यवार प्राप्तराशि व व्यय की गई राशि व शेष राशि की स्थिति बतावें? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(ख)** अनुसार प्राप्त राशि में से अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को डीजल पंप, एकल आवास निर्माण, आवास मरम्मत, पेयजल हेतु नलकूप खनन, कूप/नलकूप ऊर्जीकरण आदि कार्य स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश **(ख)** अवधि में भेजे गए पत्र कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला श्योपुर को प्राप्त हुए? यदि हाँ, तो प्राप्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? कब तक प्रस्ताव अनुसार कार्य स्वीकृत कर दिए जावेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत (1) शिक्षा कन्या माता प्रोत्साहन कोचिंग (2) स्वास्थ्य सहरिया मेडिकल चेकअप (3) पेयजल हेण्डपम्प (4) कृषि एवं सिंचाई, उन्नत कृषि, सामूहिक ट्यूगबवेल खनन, जैविक कृषि प्रोत्साहन (5) आवास सेटलमेंट, आवास मरममत (6) आजीविका, लघु व्यवसाय (7) डीजल पम्प/विद्युत पम्प योजना संचालित है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>डीमेट परीक्षाओं में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या</u>

66. (क्र. 1355) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2010से 2014 तक डी-मेट परीक्षा किस-किस दिनाँक को आयोजित हुई? विलंब शुल्क सहित आवेदन पत्र किस दिनाँक तक लिए गए? परीक्षा केन्द्र क्या थे? डी-मेट परीक्षाओं में कुल कितने परीक्षार्थी शामिल हुए? वर्षवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में बतावें कि वर्ष 2010 से 2014 की परीक्षा में विलंब शुल्क के साथ किस-किस वर्ष में कितने परीक्षार्थियों ने आवेदन किया? **(ग)** वर्ष 2010 से 2014 तक डी-मेट से चयनित अभ्यार्थियों की शहर तथा केन्द्र अनुसार संख्या वर्ष अनुसार बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सिंहस्थ 2016 के निर्माण कार्यों की प्रगति</u>

67. (क्र. 1360) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आगामी सिंहस्थ 2016 के संबंध में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कौन-कौन से कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये और कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृत होना है? **(ख)** पूर्व में स्वीकृत सिंहस्थ 2016 के कार्यों की प्रगति का विवरण भी प्रस्तुत करें? क्या सभी कार्य नियत समयावधि के अनुसार प्रचलित है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य समयानुसार निर्माण कार्य नहीं हो रहे है? उक्त देरी के लिये कौन जिम्मेदार है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) आगामी सिंहस्थ 2016 में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कोई भी (निर्माण) कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए गए है। कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रस्तावित नहीं है। **(ख)** सिंहस्थ 2016 के अन्तर्गत विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत 450 बिस्तरीय चिकित्सालय भवन के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है। प्रथम तल का कार्य 90 प्रतिशत, द्वितीय तल का कार्य 60 प्रतिशत तथा तृतीय तल का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। चतुर्थ तल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जी हाँ। निर्माण कार्य समयावधि के अनुसार प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>उज्जैन संभाग में संचालित चिकित्सा महाविद्यालय</u>

68. (क्र. 1361) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में विभाग द्वारा कौन-कौन से नये चिकित्सा महाविद्यालय

संचालित किये जा रहे है? सूची प्रदान करें? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2015-16 में उज्जैन जिले में और किन-किन स्थानों पर नये महाविद्यालय खोले जाना प्रस्तावित है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विभाग द्वारा उज्जैन संभाग में कोई भी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित नहीं किया जा रहा है। एक निजी महाविद्यालय आर.डी.गार्डी संचालित हैं। तथा एक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में प्रस्तावित हैं। **(ख)** जी नहीं।

मुरैना जिले के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में बाउंड्रीवाल का निर्माण

69. (क्र. 1366) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिले के कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय परिषद की बाउण्ड्रीवाल निर्मित हो चुकी है तथा कितनों में नहीं बन सकी है? वर्तमान स्थिति की जानकारी दी जावे? **(ख)** क्या स्कूलों में प्राध्यापक के बैठने हेतु अतिरिक्त कक्ष नहीं होने से कार्यालयीन कार्यों में व्यवधान बना रहता है तथ्यों सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? **(ग)** क्या शासन जिले के समस्त स्कूलों की बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु राशि का आवंटन देगा यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** क्या स्कूलों में किचिन शौचालय, हैण्डपम्प के कार्यों में बाउण्ड्रीवाल के अभाव छात्र-छात्राओं को व्यवधान पैदा होता है? समस्या के समाधान के क्या प्रयास किये जा रहे है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मुरैना जिले के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय परिसर की बाउंड्रीवाल का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	शाला का प्रकार	बाउंड्रीवाल बनी हुई शालाओं की संख्या	जिनमें बाउंड्रीवाल नहीं बन सकी शालाओं की संख्या
1	प्राथमिक शाला	808	1002
2	माध्यमिक शाला	359	196

(ख) जी नहीं, स्कूलों में प्राध्यापक के बैठने हेतु कक्ष उपलब्ध है। अतः कार्यालयीन कार्यों में व्यवधान नहीं रहता है। **(ग)** जी नहीं, नवीन बाउंड्रीवाल हेतु भारत शासन से वार्षिक कार्य योजना 2015-16 में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हाँ, जी हाँ, भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2015-16 में प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। पुनः 2016-17 में प्रस्तावित किया जावेगा।

औषधि का क्रय

70. (क्र. 1379) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हमीदिया चिकित्सालय भोपाल को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में औषधि क्रय हेतु विभिन्न मदों में पृथक-पृथक कितनी राशि आवंटित हुई मदवार बतायें? **(ख)** उपरोक्तानुसार प्राप्त बजट के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? मदवार बतावें एवं कितने देयक किन-किन शाखाओं में लम्बित है एवं क्यों? **(ग)** स्थानीय क्रय करने के क्या निर्देश हैं एवं अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल द्वारा स्थानीय क्रय हेतु कितनी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं एवं वित्तीय शक्तियों की प्रति उपलब्ध करायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) हमीदिया चिकित्सालय भोपाल को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में औषधि मद में क्रय हेतु जारी आवंटन निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	मद का नाम	आवंटित राशि
2013-14	सामान्य मद चिकित्सा गारंटी योजना पेंशनर को निशुल्क औषधियाँ	770.00 लाख 240.00 लाख 25.00 लाख
2014-15	सामान्य मद चिकित्सा गारंटी योजना पेंशनर को निशुल्क औषधियाँ	610.00 लाख 244.00 लाख 27.20 लाख

(ख) हमीदिया चिकित्सालय भोपाल को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आवंटन के विरुद्ध मदवार व्यय को जानकारी निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	मद का नाम	कुल व्यय राशि
2013-14	सामान्य मद चिकित्सा गारंटी योजना पेंशनर को निशुल्क औषधियाँ	770.00 लाख 240.00 लाख 24.96 लाख
2014-15	सामान्य मद चिकित्सा गारंटी योजना पेंशनर को निशुल्क औषधियाँ	610.00 लाख 244.87 लाख 19.37 लाख

(ग) 1- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्र. एफ- 10:58/2004/17/मेडि-2 दिनाँक 05.07.2006 अनुसार दीनदयाल अंत्योदय योजना (चिकित्सा गारंटी योजना) के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये बजट आवंटन राशि के विरूद्ध 30 प्रतिशत राशि औषधियों के स्थानीय क्रय करने के लिये अनुमति प्रदत्त हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "1" अनुसार है।** 2- संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को दवाईयों के क्रय हेतु राशि रूपये 0.50 लाख के प्रति इण्डेंट के अधिकार प्राप्त हैं। वित्तीय शक्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "2" अनुसार है।** 3- संचालनालय के पत्र क्र. 1543- 56/2/योवि दिनाँक 03.07.2007 द्वारा नवीन दवा क्रय नीति अंतर्गत औषधि आवश्यकता के आधार पर 80 प्रतिशत राशि केन्द्रीय क्रय किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "3" अनुसार है।**

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण

71. (क्र. 1380) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय एवं सुल्तानिया चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों में से विगत 4 वर्षों में किन-किन कर्मचारियों की मृत्यु पद पर रहते हुई? उनके नाम, पदनाम तथा मृत्यु दिनाँक बतायें? **(ख)** उक्तानुसार उत्तराधिकारियों को अनुकम्पा नियुक्ति कब-कब, किस-किस आधार पर किन-किन पदों पर की गई? अनुकम्पा नियुक्तिकर्ता

अधिकारी का नाम एवं पदनाम बतावें? **(ग)** क्या उपरोक्त अनुकम्पा नियुक्तियों में शासन द्वारा निर्देशित रोस्टर प्रणाली, वरिष्ठता, वरीयता इत्यादि निर्देशों का पालन किया गया? इस संबंध में कब, किन-किन की शिकायतें प्राप्त हुई एवं शिकायतों पर प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या यह सत्य है कि उक्त संस्थाओं में पद रिक्त होने के उपरान्त भी मनमर्जी से रिकार्ड तैयार कर मृत्यु दिनाँक को ध्यान में रखते हुए बाद वाले आवेदकों को पहले नियुक्ति का उपकृत किया गया इसके लिये कौन जवाबदेह है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं **(ख)** चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक** एवं सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो** तथा हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की **जानकारी परिशिष्ट पुस्तकालय में रखे -तीन अनुसार है। (ग)** अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा अनुकम्पा नियुक्तियों में नियमानुसार रोस्टर एवं वरिष्ठता आदि निर्देशों का पालन किया गया है। प्रश्न दिनाँक तक इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(घ)** जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>20 प्रतिशत की सीमा से अधिक दवाइयां का क्रय</u>

72. (क्र. 1381) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सत्य है कि हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में शासन द्वारा निर्धारित दवाइयों के स्थानीय क्रय कोटा 20 प्रतिशत की सीमा की अव्हेलना करते हुए वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में करोड़ों रूपये की दवाइयाँ स्थानीय क्रय की गई हैं? **(ख)** दवाइयों के स्थानीय क्रय के संबंध में शासन के क्या नीति निर्देश हैं एवं कुल आवंटन के कितने प्रतिशत की दवाइयाँ स्थानीय क्रय की जा सकती हैं? आवंटित बजट एवं स्थानीय क्रय का प्रतिशत बतावें? **(ग)** क्या प्रभारी अधिकारी भण्डार जो कि नियम विरूद्ध क्रय अधिकारी भी पदस्थ हैं द्वारा भण्डार में दवाइयों एवं सामग्रियों की कृत्रिम अनुपलब्धता दर्शाकर प्रतिमाह करोड़ों रूपयों की दवाईयाँ नियम विरूद्ध स्थानीय क्रय की जा रही हैं, जिसमें अधीक्षक से मिली भगत कर संबंधित प्रदायकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया जा रहा है? **(घ)** क्या शासन/विभाग तत्काल उपरोक्त नियम विरूद्ध स्थानीय क्रय की उच्च स्तरीय एवं पारदर्शी जाँच कराकर भण्डार एवं क्रय अधिकारी को दण्डित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। स्थानीय क्रय का प्रतिशत/बजट की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** चूंकि चिकित्सालय एक सुपर स्पेशिलिस्ट चिकित्सालय हैं यहाँ अन्य जिलों से भी गंभीर एवं रिफर्ड मरीज आते हैं जिनमें से अनेक रोगी मध्यप्रदेश शासन की जनकल्याण योजना के हितग्राही होते है। उपचार चिकित्सक द्वारा इन मरीजों के उपचार हेतु मांग पत्र कार्यालय में प्राप्त होते हैं। जिसे कार्यालय द्वारा अधीक्षक तथा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरांत तद् समय केंद्रीय औषधि भण्डार में अन्य उपलब्ध औषधियों हेतु नियमानुसार अल्प मात्रा में मरीजों के समुचित उपचार एवं जीवनरक्षार्थ स्थानीय क्रय के माध्यम से दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। आवंटित बजट एवं स्थानीय क्रय का प्रतिशत **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** यह सत्य नहीं हैं। प्रभारी अधिकारी भंडार शाखा को नियम विरूद्ध पदस्थ नहीं किया गया हैं। प्रशासकीय कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय द्वारा चिकित्सालय में पदस्थ किसी भी सहायक अधीक्षक से संबंधित विभाग का कार्य

लिया जा सकता हैं। यह सत्य नहीं हैं कि भण्डार में दवाईयों एवं सामग्रियो की कृत्रिम अनुपलब्धता दर्शाकर प्रतिमाह करोड़ो रूपये की दवाइयाँ नियम विरूद्ध स्थानीय क्रय से क्रय की गई हैं, केवल वही दवाइयाँ/सामग्रियाँ स्थानीय क्रय की जाती हैं, जो भण्डार में अनुपलब्ध होती हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** विभाग द्वारा स्थानीय क्रय निर्धारित नियमो/प्रक्रिया को अपनाते हुये दवाईयों/सामग्रियों की वार्षिक खुली निविदा आमंत्रित कर निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर प्रस्तावक संस्था से स्थानीय क्रय द्वारा क्रय की जाती हैं। किसी भी प्रकार का नियमविरूद्ध स्थानीय क्रय नहीं किया जाता हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

विधानसभा केन्द्र पनागर की शाला भवनों के निर्माण में विलम्ब

73. (क्र. 1384) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधान सभा क्षेत्र पनागर में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में प्रा./मा.शा. कारीवाह, मा./प्रा.शा. करमेता, प्रा.शा. डुगरिया, नई बस्ती, ककरतला, महगवां एवं बड़खेरा, प्रा.शा. परियट की शालाओं में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण प्रारंभ किया गया, परन्तु आज दिनाँक तक कार्य अपूर्ण है? **(ख)** यदि हाँ, तो इतने लम्बे समय में कार्य पूर्ण न होने के लिये कौन जिम्मेवार है? **(ग)** विधान सभा क्षेत्र पनागर में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत कार्यों एवं निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी शालावार दी जावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ, जी नहीं, 2 कार्य पूर्ण है एवं 5 कार्य अपूर्ण है। प्रश्नांश शालाओं के अतिरिक्त कक्ष के कार्यों की पूर्णता की स्थिति वर्षवार एवं शालावार निम्नानुसार है :-

स.क.	वर्ष	शाला का नाम	पूर्ण/अपूर्ण
1	2010-11	मा. शाला कारीवाह	अपूर्ण
2	2010-11	प्रा.शा. नई बस्ती	पूर्ण
3	2010-11	प्रा.शा. परियट	अपूर्ण
4	2011-12	मा./प्रा.शाला करमेता	अपूर्ण
5	2012-13	प्रा.शा. डुंगरिया	पूर्ण
6	2012-13	प्रा.शा. महगवां (ककरतला)	अपूर्ण
7	2012-13	प्रा.शा. बड़खेरा	अपूर्ण

(ख) 04 कार्य पूर्ण न होने के लिये निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत जिम्मेदार है एवं 01 कार्य "प्राथमिक शाला महगवां (ककरतला)" में वर्ष 2014-15 में राशि के अभाव में कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र पनागर में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं है। शेषांश निरंक है।

विद्यालयों में उमस भरी गर्मी से विद्यार्थियों को राहत हेतु उचित व्यवस्था

74. (क्र. 1387) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि मुरैना जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जिनमें नियम विपरीत प्राथमिक कक्षाएं दूसरी पाली (दोपहर) में एवं माध्यमिक कक्षाएं प्रथम पाली (सुबह) में लगाई जाती है?

(ख) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक शालाओं एवं माध्यमिक शालाओं में जून माह से सितम्बर माह तक विद्यालयों के कक्षों में उमस भरी गर्मी से विद्यार्थियों को विशेष पेरशानी होती है जिसके फलस्वरूप विद्यालयों में उपस्थिति का स्तर एवं विद्याध्ययन के स्तर में गिरावट आती है? क्या उमस भरी गर्मी के निदान हेतु विद्यालयों में कोई उचित व्यवस्था पंखा आदि की व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गई है या बनाई जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में उपस्थिति समस्या के निदान हेतु नियमानुसार प्राथमिक कक्षाएं प्रथम पाली में लगवाई जा सकेगी? यदि हाँ, तो कब तक आदेश जारी कर दिये जावेगें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं, जिला मुरैना अंतर्गत सभी विद्यालय शासन द्वारा निर्धारित समय अनुसार संचालित है। कतिपय विद्यालयों में स्थान अभाव के कारण प्रथम पाली (सुबह) में प्राथमिक एवं दूसरी पाली (दोपहर) में माध्यमिक शाला संचालित है। माध्यमिक विद्यालय कन्हार के शाला भवन में शासकीय हाईस्कूल कन्हार संचालित होने के कारण माध्यमिक विद्यालय कन्हार सुबह की पाली एवं शासकीय हाईस्कूल कन्हार दोपहर की पाली में संचालित है। **(ख)** जिला मुरैना अंतर्गत भवन हवादार एवं प्रकाश युक्त होने के कारण उमस नहीं होती है। विद्यालयों में उमस के कारण उपस्थिति एवं विद्या अध्ययन में कोई गिरावट नहीं आती है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों की कल्याणकारी योजनाएं

75. (क्र. 1388) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के लिए क्या-क्या कल्याणकारी योजनाएं है? **(ख)** वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रश्नांश **(क)** में वर्णित जातियों पर कौन-कौन सी योजनाओं पर कितना-कितना खर्च किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित जातियाँ मुरैना जिले में कहाँ-कहाँ निवास करती हैं? विधान सभा क्षेत्रवार बतायें? **(घ)** क्या जिला मुरैना में विभाग का कोई कार्यालय है? यदि हाँ तो कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी पदस्थ है? उन पर कौन-कौन सी योजनाओं को संचालित करने का दायित्व है? क्या उनके द्वारा योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्न **(क)** में वर्णित जातियाँ के निवास की विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में **संलग्न परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ)** जिला मुरैना में विभाग का पृथक से कोई कार्यालय नहीं है। विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, मुरैना से किया जा रहा है। इन जातियों के लिये संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से किया जा रहा है।

<u>परिशिष्ट - "अडतीस"</u>

भिण्ड जिले के शासकीय अस्पतालों में रिक्त पदों की पूर्ति

76. (क्र. 1395) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के सिविल अस्पताल लहार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिहोना, मछण्ड, बरहा, असवार, बिजौरा (रावतपुरा), दबोह, आलमपुर में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त है?

अस्पतालवार बताएं? **(ख)** उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कब-कब, माननीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को पत्र लिखे गए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या सिविल अस्पताल लहार में एक भी महिला चिकित्सक पदस्थ नहीं है? यदि हाँ, तो महिला चिकित्सक के रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जाएगी? समयावधि बताएं? **(घ)** सिविल अस्पताल लहार में क्या एम्बुलेन्स सुविधा एवं पैथोलॉजी एवं एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है? यदि हाँ, तो किस एम्बुलेन्स किस मॉडल की है तथा वर्तमान में किस स्थिति में हैं, ओर अभी तक कितने किलोमीटर चल चुकी है? उसके रखरखाव, ट्यूब-टायर एवं पेट्रोल डीजल आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा जनवरी 2015 से प्रश्न दिनाँक तक सिविल हॉस्पिटल लहार में एक्सरे एवं पैथालोजी लेब से कितने मरीजों की जाँच की गई? माहवार बताएं? **(ड.)** क्या उक्त एम्बुलेन्स काफी समय से कंडम है, जिससे लहार क्षेत्र के गंभीर मरीजों को इलाज हेतु निजी वाहनों से लाना ले जाना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो सिविल अस्पताल लहार को नई एम्बुलेन्स कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''अ'' अनुसार है। (ख) माननीय विधायक महोदय द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से दिनाँक 4.5.2015 को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न प्राप्त हुई, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मछण्ड एवं विकासखण्ड रौन जिला भिण्ड में चिकित्सक की पदपूर्ति हेतु लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को दिनाँक 3.7.2014 को प्रेषित पत्र संचालनालय की विज्ञप्त शाखा में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रश्नांश से संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लेख किया गया है। विभाग में विशेषज्ञों/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है; कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं तथा चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत 4833 पदों के विरूद्ध मात्र 2645 चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हैं। प्रश्न में उल्लेखित संस्थाओं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आलमपुर में स्वीकृत 01 पद के विरूद्ध 01 चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दबोह में स्वीकृत 02 पदों के विरूद्ध 02, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहा में स्वीकृत 01 पद के विरूद्ध 01, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिहोना में स्वीकृत 02 पद के विरूद्ध 01 चिकित्सक पूर्व से पदस्थ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मछण्ड एवं असवार में पद रिक्त है। चिकित्सकों की कमी के कारण शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। जनप्रतिनिधियों से पद पूर्ति संबंधी प्राप्त टीप के आधार पर एवं विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियुक्तियों हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग को मांगपत्र प्रेषित किए जाते हैं एवं बंधपत्र/संविदा चिकित्सक की नियुक्ति हेतु रिक्तियां प्रदर्शित की जाती है। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की सूची प्राप्त हुई थी, चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन काउन्सलिंग की कार्यवाही की गई है तथा मांग अनुसार भिण्ड जिले हेतु 11 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी जिसमें लहार हेतु 01 स्त्रीरोग योग्यता की चिकित्सक एवं 01 शिशुरोग योग्यता की रिक्तियां सम्मिलित थी, लहार हेतु 03 चिकित्सा अधिकारियों की रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी। चिकित्सकों द्वारा पदस्थापना चयन उपरांत शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** विभाग के अधीन चिकित्सक के पद स्वीकृत है। महिला चिकित्सक के पदनाम से पदनाम स्वीकृत नहीं है। विभाग में महिला चिकित्सक की उपलब्धता अनुसार चिकित्सक के पद पर पदस्थापना की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। एम्बुलेन्स 1999 माडल की है, वर्तमान में दिनाँक

20.01.2013 से बंद है तथा अभी तक 2, 26, 665 कि.मी. चल चुकी है। गाड़ी के टायरों की रबड़िग की गई थी एवं रखरखाव में कुल राशि 58, 664/- रूपयें रोगी कल्याण समिति लहार द्वारा व्यय की गई। डीजल की खपत 28, 333 लीटर हुई जिस पर उक्त समय में लागू दर के अनुसार व्यय किया गया। नये टायर नहीं खरीदे गये। सिविल हॉस्पीटल लहार में जनवरी 2015 से एक्स-रे 244 एवं पैथालाजी लेब से 13175 जांचे की गई। माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' अनुसार है। (ड.)** जी हाँ। जी नहीं। शासन द्वारा सिविल हॉस्पीटल लहार को गंभीर मरीजो के परिवहन हेतु 108 एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पूर्ण कालिक अभिहित अधिकारी की नियुक्ति

77. (क्र. 1396) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में अभिहित अधिकारी के पद पर अतिरिक्त रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्य कर रहे है एवं इनकी कार्य करने की अवधि अधिनियमानुसार अगस्त, 2016 में समाप्त हो रही है? **(ख)** यदि हाँ, तो विभाग द्वारा पूर्ण कालिक अभिहित अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं इनकी नियुक्ति विभाग कब तक पूर्ण कर लेगा? यदि नियुक्ति समय-सीमा में नहीं की जाती है, तो क्या इससे मिलावटों के प्रकरणों में विपरीत प्रभाव पड़ेगा? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा में पूर्ण कालिक अभिहित अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग)** अभिहित अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही प्रचलित है। निर्धारित समय-सीमा में अभिहित अधिकारी की नियुक्ति के लिए विभाग प्रयासरत है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्राचार्य शा. उच्च मा.विद्या शाहपुर वि.खण्ड सिरमौर की जाँच बाबत

78. (क्र. 1422) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के शास. उच्च मा. विद्यालय शाहपुर वि.खण्ड सिरमौर रीवा में कौन प्राचार्य पदस्थ है? प्राचार्य के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या प्राचार्य श्रीमती सरला शर्मा के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के भी आरोप लगे है? यदि हाँ, तो क्या-क्या खायानत की गई है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में नये प्राचार्य के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) रीवा जिले के शासकीय उमावि. शाहपुर विकास खण्ड सिरमौर जिला रीवा में श्रीमती सरला शर्मा प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं। श्रीमती शर्मा के विरूद्ध कुल दो शिकायतें प्राप्त हुई है। **(ख)** जी हाँ। प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। **(ग)** जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

फर्जी नियुक्तियों पर कार्यवाही बाबत

79. (क्र. 1423) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा प्रश्न क्र. 168 (क्र. 4799) द्वारा दिनाँक 17.03.2015 में

बताए अनुसार अवचारी डॉ. आई.एम. शर्मा के विरूद्ध केवल कारण बताओं नोटिस कदाचार अपराध के लिए अपर्याप्त नहीं है, यदि हाँ, तो पर्याप्त अग्रिम दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में डॉ. शर्मा के विरूद्ध अभी तक की गई सभी दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में डॉ. शर्मा द्वारा की गई आर्थिक क्षतिपूर्ति की वसूली जावेगी यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों बताएं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 4799 दिनाँक 17.03.2015 द्वारा पूछे गये प्रश्न अनुसार अपचारी डॉ. आई. एम. शर्मा के विरूद्ध विभाग ने अपने पत्र क्रमांक.1325/2014/17/मेडि-1/दिनाँक 25.06.2014 द्वारा डॉ. शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अग्रिम दण्डात्मक कार्यवाही हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार। **(ग)** विभाग द्वारा डॉ. आई. एम. शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा को प्रश्नांश ''क'' अनुसार जारी नोटिस का प्रतिवाद उत्तर उन्हें प्राप्त होने तथा उसका परीक्षण किये जाने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समयावधि बताई जाना संभव नहीं।

सोनकच्छ अस्पताल का उन्नयन

80. (क्र. 1444) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सोनकच्छ नगर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(ख)** क्या वर्षों पुराने सोनकच्छ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को भविष्य में नवीन भवन के साथ-साथ एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन सहित आधुनिक लेब प्राप्त हो सकेगी? यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** क्या सोनकच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को आधुनिक 108 की सुविधा जिसमें प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो मिल पाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। वर्तमान में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का पूर्ण उपयोग नहीं होने तथा प्रदेश में चिकित्सकों की निरन्तर कमी होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन करना संभव नहीं है। **(ख)** जी हाँ। नवीन अस्पताल भवन का कार्य प्रगति पर है, कार्य पूर्ण होने पर एक्स-रे मशीन की स्थापना की कार्यवाही की जावेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोनोग्राफी मशीन का प्रावधान नहीं है। **(ग)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ में आधुनिक एम्बूलेंस 108 की सुविधा उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सोनकच्छ के शासकीय चिकित्सालय मूलभूत सुविधाओं का अभाव

81. (क्र. 1445) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सोनकच्छ नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों व स्टॉफ कर्मचारियों में अपने काम के प्रति लापरवाही बरती जा रही है? यदि हाँ, तो ऐसे दोषी एवं लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही की गई या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं जानकारी स्पष्ट करें? **(ख)** क्या सोनकच्छ नगर के एक मात्र शासकीय चिकित्सालय में गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार के लोगो को इलाज की मुलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है? क्या आवश्यक

जाँच एवं उपकरणों को अभाव है? इनकी व्यवस्था कब तक की जावेगी? **(ग)** क्या अस्पताल परिसर में शासन द्वारा करोड़ो रूपयों की लागत से अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसका निर्माण कब तक पूरा होगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ में गरीब एवं मध्यमवर्गीय लोगों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। 107 तरह की आवश्यक दवाओं के साथ अन्य दवायें भी उपलब्ध हैं। शासकीय पैथालॉजी लेब में सभी आवश्यक 26 तरह की जाँचे की जा रहीं हैं, उपकरणों का अभाव नहीं है। एक्सरे मशीन क्रय की गई है एवं अतिशीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगभग 07 दिवस में स्थापित कर दी जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्रचलन में है जिसकी लागत दो करोड़ साठ लाख रूपये है। निर्माण कार्य दिसंबर 2015 तक पूरा होने की संभावना है।

आयुर्वेद इन्टर्नशिप छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाना

82. (क्र. 1453) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आयुर्वेद चिकित्सा के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में म.प्र. शासन के क्या नियम निर्देश है? नियम निर्देश की छायाप्रति सहित जानकारी दें? **(ख)** म.प्र. के आयुर्वेद महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को उनके इन्टर्नशिप (प्रशिक्षण) के दौरान विगत तीन वर्षों में किन-किन को कितनी-कितनी धनराशि बतौर छात्रवृत्ति भुगतान की गयी है? **(ग)** क्या म.प्र. के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सा के इन्टर्नशिप छात्रों (प्रशिक्षणार्थियों) को विगत दो वर्षों से कोई छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि उनके ही समकक्ष अन्य आयुर्वेद होम्योपैथ व युनानी महाविद्यालयों के इन्टर्नशिप छात्रों प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान किया जा रहा है? **(घ)** क्या म.प्र. के शासकीय स्वाशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के इन्टर्नशिप छात्रों (प्रशिक्षणार्थियों) को विगत दो वर्षों से छात्रवृत्ति अथवा कोई आर्थिक सहायता भुगतान नहीं करने की जानकारी शासन के संज्ञान में है यदि नहीं, तो क्या शासन इसे संज्ञान में लेकर इसकी जाँच करवाने तथा उक्त वर्षों के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता भुगतान करने का आदेश देगा यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) नियम उपलब्ध नहीं है। निर्देश दिनाँक 07.04.79 व दिनाँक 06.02.84 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार**। **(ग)** जी नहीं। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के छात्रों को परिशिष्ट ''ब'' अनुसार स्टायपेंड का भुगतान किया गया है। अन्य आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय है, उनके द्वारा इन्टर्नशिप छात्रों को स्टायपेंड का भुगतान नहीं किया जाता है। **(घ)** शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के इन्टर्नशिप छात्रों को स्टायपेंड का भुगतान किया जा रहा है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार**। निजी महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने की स्थिति में जो छात्र शासकीय महाविद्यालयों में स्थानांतरित किये गये है उनका इस शर्त के साथ स्थानान्तरण किया गया है कि उन्हें इन्टर्नशिप के दौरान स्टायपेंड प्रदाय नहीं किया जायेगा। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नति

83. (क्र. 1455) पं. रमेश दुबे, (श्री जतन उईके) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत व्याख्याताओं को हाई स्कूल के प्राचार्य के पद पर पदोन्नत करने तथा पदोन्नत समिति की वर्ष में कितनी बार बैठकें आहूत करने के निर्देश है? आदेश निर्देश की प्रति सहित जानकारी दें? **(ख)** क्या विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें समय पर नहीं होने से पदोन्नत सूची तैयार नहीं हो पा रही है जिसके कारण प्रदेश में हाई स्कूल के प्राचार्यों के पद भारी संख्या में रिक्त पड़े हुए है, जिसके कारण स्कूलों के प्रशासनिक कार्य की गुणवत्ता में कमी आयी है? प्रदेश में रिक्त पड़े हाई स्कूल प्राचार्यों के पदों की जानकारी स्कूलों के नाम पता सहित जिलेवार दें? **(ग)** क्या शासन पदोन्नत समिति की बैठक समय पर आहूत नहीं करने के जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा पात्र व्याख्याताओं को पदोन्नत कर हाई स्कूल के रिक्त पड़े प्राचार्य पद पर पदस्थ करने का शीघ्र आदेश देगा? यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वर्ष में दो बार। **(ख)** जी नहीं। प्रशासनिक कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि जिन हाई स्कूलों में प्राचार्य नहीं है, उनमें प्रभारी प्राचार्य के द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के रिक्त हाई स्कूल प्राचार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। पदोन्नति की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है, नियमित पदोन्नति समिति की बैठक अयोजित की जायेगी, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

स्कूल शिक्षा विभाग बैतूल हाई स्कूल का उन्नयन संबंधी

84. (क्र. 1462) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल में हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित है? प्राचार्य के पद कितने खाली है? **(ख)** कितने हाई स्कूल उन्नयन हेतु प्रस्तावित है? **(ग)** क्या आ.ज.क.वि. के स्कूलों का स्कूल शिक्षा में संविलियन करने की कोई योजना प्रस्तावित है? **(घ)** स्कूल शिक्षा विभाग रिक्त पदों की पूर्ति कब तक करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बैतूल जिले में शिक्षा विभाग अंतर्गत 63 उ.मा.वि. संचालित है, इनमें से 29 प्राचार्य उ.मा.वि. के पद रिक्त है। **(ख)** बैतूल जिले में वर्ष 2015-16 में 26 हाई स्कूल उन्नयन हेतु प्रस्तावित है। **(ग)** प्रक्रिया अंतविभागीय समन्वय में है। **(घ)** रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं के लिये हॉस्टल व्यवस्था

85. (क्र. 1463) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग गौली (जाति) के कितने छात्र /छात्राएँ वर्ष 2015-16 में हाई स्कूल हायर सेकेण्ड्री स्कूल में अध्ययनरत है? **(ख)** वर्ष 2013-14, 14-15 में कितने पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की कितनी राशि मिली है? जानकारी देवें। **(ग)** विभाग छात्र/छात्राओं के लिये शाहपुर, चिचोली, घोड़ाडोंगरी में गरीब पिछड़ा वर्ग के लिये छात्रावास खोलेगा? **(घ)** श्रम विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी देवें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) घोडाडोंगरी क्षेत्र में पिछडा वर्ग गौली (जाति) के छात्र/छात्राएं वर्ष 2015-16 में हाई स्कूल/हायर सेंकेण्डरी स्कूल में छात्र 320, छात्रा 317 कुल 637 अध्ययनरत हैं। **(ख)** जिला शिक्षा अधिकारी, बैतूल द्वारा समग्र छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिले में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2013-14 में छात्र-छात्रा संख्या 66248, राशि 2, 33, 13, 150/- एवं वर्ष 2014-15 मे छात्र-छात्रा संख्या 67808 राशि 2, 41, 49, 600/- राशि वितरित की गई। **(ग)** वर्तमान में विभाग की नीति केवल जिला मुख्यालय पर छात्रावास खोलने की है। जिला मुख्यालय बैतूल में पिछड़ा वर्ग हेतु एक 100 सीटर बालक छात्रावास एवं एक 50 सीटर कन्या छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट - "उनतालीस"

अध्यापक संवर्ग की स्थानांतरण नीति

86. (क्र. 1465) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अध्यापक संवर्ग की नीति की जानकारी दी जाए? संविलियन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देश की जानकारी दी जाए? **(ख)** अध्यापक संवर्ग की संविलियन नीति के संबंध में विगत दो वर्ष में माननीय मंत्रीजी तथा विभाग को किन-किन सांसदों/विधायकों के क्या-क्या सुझाव प्राप्त हुए? **(ग)** उक्त सुझावों पर मान. मंत्री ने क्या-क्या निर्णय लिये, किन-किन सुझावों को सम्मिलित किया तथा किन-किन सुझावों को नामंजूर किया? **(घ)** संबंधित सांसद/विधायकों से प्राप्त सुझाव पर मान. मंत्री जी के निर्णय की जानकारी कब किस माध्यम से संबंधितो को दी गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनाँक 22.09.14, 28.05.15 एवं 25.06.15 के अनुसार महिला, निःशक्तजन एवं पारस्परिक आधारित नगरीय निकाय /जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत से केवल जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अन्तर्गत एक निकाय से अन्य निकाय की शैक्षणिक संस्था में एज्यूकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन संविलियन की नीति प्रचलित है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनाँक 08.09.14 के अनुसार छात्र अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनाँक 28.05.15 के द्वारा प्रा.वि. में 02, मा.वि. में 03, हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. में पदसंरचना से अधिक शिक्षक कार्यरत होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित निकाय द्वारा जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग)** प्राप्त सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** भाग उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चालीस"

राज्य बीमारी सहायता निधि के लंबित प्रकरण

87. (क्र. 1466) श्री संजय शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत राज्य के भीतर तथा बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय तथा चिन्हित बीमारियों सहित सूची दें? **(ख)** राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत किन-किन बीमारियों के इलाज के लिए कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? **(ग)** उक्त योजना के अंतर्गत पीडित बीमार व्यक्ति को राशि स्वीकृत करवाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही करना पड़ती है?

(घ) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिलों में 1 जनवरी 13 से प्रश्‍न दिनाँक तक किस-किस बीमारी हेतु किन-किन को कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा किन-किन के प्रकरण लंबित है तथा क्यों? कारण बतायें। उक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु पीड़ित बीमार व्यक्ति को जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर देना होता है। आवेदन पत्र के संलग्न प्रपत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन का प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर कराना, ईलाज करने वाली चिकित्सा संस्था के चिकित्सक का बीमारी का प्रमाण पत्र एवं उपचार का प्राक्कलन संलग्न करना होता है। सिविल सर्जन द्वारा बीमारी व उपचार पैकेज का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से उपचार राशि की स्वीकृति आदेश, जिला कलेक्टर जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर की जाती है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार है।** उक्त जिलो में कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

<u>अनूपपुर जिले में संचालित औषधालय</u>

88. (क्र. 1509) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले में कुल कितने औषधालय संचालित है तथा कुल कितने पद सृजित है? सृजिद पद के विरूद्ध कितने भरे हुए है? नाम, पदवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** अनूपपुर जिले में रिक्त पदों की पूर्ति करने की विभाग की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक पद पूर्ति कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) विभाग में पद पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - ''इकतालीस''</u>

<u>डीमेट परीक्षा में चयनित परीक्षार्थी</u>

89. (क्र. 1516) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2009 से 2014 तक डीमेट परीक्षा से कितने परीक्षार्थी चयनित होकर निजी मेडीकल कॉलेजों में प्रवेशित हुए, स्नातक एवं पी.जी. विषय में पृथक-पृथक वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** पी.एम.टी. से चयनित कितने परीक्षार्थियों ने काउंसलिंग में शामिल होकर प्रवेशित कॉलेज की औपचारिकता पूरी करके सीट छोड़ दी? **(ग)** प्रश्‍न **(ख)** के अनुसार इन खाली सीटों पर जिन परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया, उनके नाम देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नेत्र दान एवं नेत्रों का प्रत्यारोपण</u>

90. (क्र. 1517) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 3 वर्षों में प्रदेश में कितने नेत्रदान हुए, जिलेवार जानकारी देवें?

(ख) इन 3 वर्षों में कितने लोगों का नेत्र प्रत्यारोपित किये गये? जिलेवार जानकारी देवें। **(ग)** ग्वालियर में दान किये गये नेत्रों के कचरे में मिलने की शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** ग्वालियर में दान किये गये नेत्रों के कचरे में मिलने की शिकायत पर शासन द्वारा जिम्मेदार (1) डॉ. यू. एस. तिवारी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष नेत्र, (2) डॉ. डी. के. शाक्या, प्राध्यापक नेत्र, (3) सुश्री लेजी सिबेस्टियन ओ.टी. इंचार्ज गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर को दिनाँक 12.06.2015 से निलंबित कर दिया गया है एवं डॉ. यू. एस. तिवारी प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष नेत्र, डॉ. डी. के. शाक्या, प्राध्यापक नेत्र गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। प्रकरण में मजिस्ट्रेट जाँच भी स्थापित की गई है।

<u>परिशिष्ट - "बयालीस"</u>

<u>वेतनमान निर्धारण में हुई चूक</u>

91. (क्र. 1525) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या तत्कालीन राजीव गांधी शिक्षा मिशन वर्तमान में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्टेनोग्राफर और ड्राफ्ट्समेन को 1400-2640 के वेतनमान के आधार पर एकजाई परिलब्धियां देते हुए संविदा नियुक्ति दी गई थी? यदि नहीं, तो सही क्या है? **(ख)** क्या मिशन के अधिकारियों/कर्मचारियों को पांचवे वेतनमान का लाभ दिया गया है और वेतनमान 1400-2640 को पुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 दिया जाये, ऐसा निर्देश शासन ने जारी किये हैं? क्या यह वेतनमान देना वित्त विभाग के निर्देशों के प्रकाश/पालन में उचित है? यदि नहीं, तो सही क्या है? **(ग)** क्या राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्टेनोग्राफर और ड्राफ्ट्समेन को जिनकी संविदा नियुक्ति 1400-2640 के वेतनमान पर आधारित एकजाई परिलब्धियों पर की गई थी, उन्हें 1400-2640 के पुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 न देकर 4500-7000के स्लेव में रखकर वेतन निर्धारण किया गया है? यदि हाँ, तो यह चूक सुधार की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत एक ड्राफ्ट्मेन को वेतनमान 1400-2640 पर मात्र एक वर्ष हेतु संविदा नियुक्ति दी गई थी एवं दो स्टेनोग्राफर को निश्चित मासिक वेतन पर संविदा नियुक्ति तथा एक स्टेनोग्राफर को मानसेवी आधार पर नियुक्ति दी गई थी। आदेशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी नहीं। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाता है। समय-समय पर सर्व शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी के निर्णयानुसार मासिक परिलब्धियाँ निर्धारित कर भुगतान किया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों को वेतनमान दिए जाने के वित्त विभाग, म.प्र. शासन के निर्देश नहीं है। **(ग)** उक्त प्रश्नांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>जनहित में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभारी नियंत्रण</u>

92. (क्र. 1526) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले के अंतर्गत विभाग के कौन-कौन से

कार्यालय/अस्पताल/यूनिट/ प्रकोष्ठ, कहाँ-कहाँ पर है? इनमें कौन-कौन कब से किस पद पर पदस्थ हैं? **(ख)** जिले में विभाग द्वारा क्या-क्या सामग्री पिछले 3 वर्षों में खरीदी गई और किसे-किसे प्रदाय की गई? तिथि के क्रम में सामग्री प्राप्त/क्रय करने वाल, भुगतान करने वाले तथा उक्त सामग्री, दवाई, फर्नीचर, वाहन पी.ओ.एल. इत्यादि किसने प्राप्त की गई? क्या उसका स्टाक रजिस्टर रखा गया है? **(ग)** खण्ड चिकित्सा अधिकारी परसवाड़ा, लामता, कटंगी ने उक्त अवधि में कहाँ-कहाँ के दौरे किये? प्रति वाहन की लागत, तथा यात्रा पर व्यय राशि का विवरण देवें? **(घ)** उक्त जिले में पदस्थ किस-किस चिकित्सक की शिकायतें प्राप्त हुईं? नाम, पद, विवरण, कार्यवाही बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार है। क्रय करने वाली सामग्रीयां स्टोर कीपर द्वारा प्राप्त की गई है एवं प्राप्त सामग्रीयों का भुगतान संस्था प्रमुख (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक) द्वारा किया गया है। क्रय सामग्रियों का स्टॉक रजिस्टर रखा गया है। **(ग)** विगत तीन वर्षों में खण्ड़ चिकित्सा अधिकारीयों के भ्रमण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार है।** खण्ड चिकित्सा अधिकारीयों की यात्रा व्यय राशि कुल रूपयें 22, 93, 050/- है, जिसमें वाहन किराया एवं पी.ओ.एल. सम्मिलित है। **(घ)** केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर में पदस्थ डॉ. एन. आर. रंगारे के विरूद्ध अव्यवस्थाओं के संबध में शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत की जाँच डा. एस. एल. साहू उप संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर द्वारा की जा रही हैं।

<u>वक्फ बोर्ड में अनियमित पदोन्नतियां</u>

93. (क्र. 1544) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठताक्रम में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत बोर्ड बैठक के निर्णयानुसार पदोन्नति एवं क्रमोन्नति देने का प्रावधान है? **(ख)** यदि हाँ, तो माह अप्रैल 2013 में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा कुछ कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है? पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों से वरिष्ठ कौन-कौन है, उन्हें पदोन्नति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? **(ग)** क्या पदोन्नत किए गए तथाकथित कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त, विधान सभा में बोर्ड की कार्यवाही की अदला बदली, एजेण्डे में हेरा-फेरी करने एवं शासन स्तर पर शिकायतों के आधार पर निलंबित भी किए गए हैं? यदि हाँ, तो ऐसे कर्मचारियों को वरिष्ठ कर्मचारियों की उपेक्षा करते हुए बोर्ड की किस बैठक के निर्णयानुसार तथा किस नियम के तहत पदोन्नति दी गई? **(घ)** प्रश्नांश **(क)**, **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में क्या वरिष्ठ कर्मचारी जो पदोन्नति के लाभ से वंचित रह गये हैं उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? यह भी अवगत करावें कि यदि उक्त पदोन्नति नियम विरूद्ध है, तो क्या शासन पदोन्नति आदेश निरस्त करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) वर्तमान में वक्फ एक्ट 1995 के विनियम तैयार न होने से वक्फ एक्ट 1954 के विनियम लागू है। **(ख)** अप्रैल 2013 में कर्मचारी पदोन्नत किये गये पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों से वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत न करने संबंधी विवरण की सूची **संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग)** तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में पदोन्नति का आधार (नियम 06 (1) एवं नियम 07 (1)07 (2)- वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता तथा योग्यता सह

वरिष्ठता को आधार बनाकर की गई। इसी नियम के अनुसार कर्मचारियों के कार्य तथा गोपनीय प्रतिवेदन अनुसार चयन समिति द्वारा चयन सूचीयाँ तैयार की गई। **(घ)** गुण दोष के आधार पर नियमानुसार वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा। समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कुंआरे पुरूष व गर्भवति महिलाओं की नसबंदी के प्रकरण

94. (क्र. 1545) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग द्वारा महिला - पुरूषों की नसबंदी किए जाने संबंधी नियमानुसार कितने-कितने टारगेट दिये जाने एवं कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है? नियमानुसार कुंआरे पुरूष एवं गर्भवती महिलाओं की नसबंदी करने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है? **(ख)** वर्ष 2009 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में किस-किस जिले को कितने-कितने नसबंदी आप्रेशन किए जाने के टारगेट दिये गये तथा कौन-कौन से जिले टारगेट की पूर्ति करने में असफल रहे और ऐसे कौन-कौन से जिले है, जहां टारगेट से अधिक नसबंदी की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि नियमों को ताख में रखकर टारगेट की पूर्ति करने के उद्देश्य से वर्ष 2009 से प्रश्न दिनाँक तक जबरिया कुंआरे पुरूष व गर्भावती महिलाओं की नसबंदी करने के मामले किस-किस जिले में उजागर हुए और दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विभाग द्वारा महिला एवं पुरूषों की नसबंदी का टारगेट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। महिला एवं पुरूष नसबंदी राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की एक अतिमहत्वपूर्ण गतिविधि है, किंतु यह गतिविधि लक्ष्य मुक्त होने के साथ ही पूर्ण रूप से स्वैच्छिक स्वरूप की गतिविधि है। इसमें स्वीकारकर्ता को दी जाने वाली राशि उसके दैनिक आमदनी के क्षति की क्षतिपूर्ति है, प्रोत्साहन राशि नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में लागू क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में भारत शासन का पत्र दिनाँक 20.10.2014 की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** नियमानुसार कुंआरे पुरूष की नसबंदी ऑपरेशन करने का कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक गर्भवती महिला का प्रश्न है चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रकरण में चिकित्सकीय गर्भपात के साथ नसबंदी की जा सकती है। अन्य प्रकरणों में नहीं। अतः ऐसा करने वालों के विरूद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं। **(ख)** परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्ण रूप से लक्ष्य मुक्त होने के कारण जिलों को नसबंदी का लक्ष्य दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होगा। **(ग)** उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौवालीस''

महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पदों की पूर्ति

95. (क्र. 1550) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में आयुष विभाग के सभी संवर्गों के कितने पद स्वीकृत है? सूची देवें? **(ख)** वर्तमान में कितने पद भरे हैं? कितने रिक्त है? सूची देवे। **(ग)** रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) 1.आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी 04 पद, कम्पाउण्डर 04 पद, दवासाज 04 पद, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 04 पद **(ख) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग)** रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पैंतालीस''

विभाग द्वारा नवीन ट्रांसफार्मर की स्वीकृति

96. (क्र. 1551) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग द्वारा नवीन ट्रांसफार्मर स्थापित करने के नियमों की छायाप्रति देवें? **(ख)** इसके तहत महिदपुर विधान सभा क्षेत्र जिला उज्जैन में दिनाँक 01.01.10 से 25.06.15 तक कितने ट्रांसफार्मर किन स्थानों पर किन लोगों के यहाँ स्वीकृत किए गए? सूची देवें? **(ग)** जो हितग्राही इससे वंचित रह गए हैं उनके यहां ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिए जाएंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विभाग द्वारा नवीन ट्रांसफार्मर स्थापित करने के नियम नहीं है। अनुसूचित जाति/जनजाति के सफल कूपों पर विद्युत लाईन विस्तार का कार्य स्वीकृत किया जाता है, जिसके तहत आवश्यकता अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाते हैं। परिपत्र दिनाँक 23/10/2013 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं 'अ' अनुसार है। (ग)** समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

जबलपुर एवं कटनी जिले में ऋण वितरण में अनियमितता

97. (क्र. 1557) श्री बाला बच्चन : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 7 वर्षों में जबलपुर एवं कटनी जिले में कितने श्रमिकों को लोन दिया गया? **(ख)** क्या श्रमिको के नाम से फर्जी लोन निकालने के मामले की सी.बी.आई. जाँच हो रही है? यदि हाँ तो किन-किन जिलो के मामले में हो रही है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये लोन स्वीकृत हुए उनके नाम, पदनाम सहित बतावें? **(घ)** उपरोक्त फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) निरंक। श्रमिकों को लोन दिये जाने के संबंध में कोई योजना संचालित नहीं है। **(ख)** से **(घ)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खरगोन-बड़वानी जिले के श्रमिको को ऋण उपलब्ध कराया जाना

98. (क्र. 1558) श्री बाला बच्चन : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन एवं बड़वानी जिले में कितने श्रमिको को मकान लोन शिक्षा निधि, इलाज के लोन उपलब्ध कराया गया? दिनाँक 01.01.12 से 15.06.15 के संदर्भ में विधान सभा क्षेत्रवार बतावें? **(ख)** जबलपुर में खनिज मजदूरों को दो करोड़ रूपये मूल्य के चश्मे आवंटन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देवें? इसके टेंडर की तारीख, टेंडर किस फर्म को दिया गया का उल्लेख करें? **(ग)** खरगोन एवं बड़वानी जिले में दिनाँक 01.01.12 से 15.06.15 तक जो सामग्री श्रमिकों को अनुदान या लोन के रूप में दी गई, उसका विवरण वि.स. क्षेत्रवार देवें? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार चश्मा फर्जी तरीके से वितरण मामले के जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? समय-सीमा बतावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी निरंक। **(ख)** खनिज संबंधी स्थापना में समुचित सरकार केन्द्र सरकार है। यह विषय राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। **(ग)** जानकारी निरंक। **(घ)** उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>बैतूल जिले में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

99. (क्र. 1565) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में चिकित्सकों के विभिन्न श्रेणी के कौन-कौन से कुल कितने पद स्वीकृत है? **(ख)** स्वीकृत पदों के विरूद्ध किस-किस श्रेणी के कितने-कितने चिकित्सक कार्यरत है तथा कितने-कितने पद रिक्त है? **(ग)** रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? समय-सीमा बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) बैतूल जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञों के 30 तथा चिकित्सकों के 15 पद स्वीकृत हैं। ट्रामा सेन्टर हेतु 03 विशेषज्ञ तथा 05 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं। शहरी परिवार कल्याण केन्द्र बैतूल हेतु 01 पद स्वीकृत है। **(ख)** कुल 33 चिकित्सक पदस्थ है इनमें 14 विशेषज्ञ एवं 19 चिकित्सक सम्मिलित हैं। विशेषज्ञों के 19 तथा चिकित्सकों के 02 पद रिक्त हैं। **(ग)** पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, अतः शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई है। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की प्रस्तावित पदस्थापना अंतर्गत विभिन्न स्नातकोत्तर योग्यता के 09 चिकित्सकों की पदस्थापना जिला चिकित्सालय बैतूल प्रस्तावित की गई है। शीघ्र ही पदस्थापना आदेश जारी किए जावेंगे।

<u>शासकीय भवन का किराया वसूली</u>

100. (क्र. 1567) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर तथा तत्कालीन जिला-शहडोल अन्तर्गत जनपद पंचायत जैतहरी के संकल्प/प्रस्ताव दिनाँक 28.09.2012 के पालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद जैतहरी ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपुर को पत्र क्रमांक ज.पं./स्था./2013/1845 दिनाँक 28.01.2013 से पत्र लिखा है? यदि हाँ, तो पत्र व संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए व्याख्याता का नाम आवास आवंटन तिथि व आवास से संबंधित कर्मचारी का आवास अवधि की स्पष्ट जानकारी देते हुए माहवार शासकीय भवन का कितना किराया वसूला गया, तथा उक्त कर्मचारी के सेवानिवृत्त उपरान्त कितनी राशि पेनल रेन्ट अनुसार वसूली योग्य है? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के कर्मचारी का पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान उत्तर दिनाँक तक किया जा चुका है? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा पेन्ट रेन्ट एवं बिजली बिल की स्थिति भी स्पष्ट करें? **(ग)** क्या विभाग सेवानिवृत्त व्याख्याता/प्राचार्य से कर्मचारी आवास हेतु आवंटित शासकीय भवन का माहवार किराया व पेनल या अन्य देयकों से कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या संबंधित कर्मचारी ने एन.ओ.सी. में भवन किराया प्रकरण छिपाकर समस्त देयकों का भुगतान प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो विभाग कूट रचना व असत्य जानकारी पर अभियोजना की कार्यवाही समय-सीमा में करेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** श्री एन. एस. बघेल पूर्व में शा. उ. मा. वि. बा. जैतहरी में व्याख्याता तथा हाई स्कूल

चांदपुर में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे। दिनाँक 03/10/94 से विकासखंड परिसर जैतहरी के एच टाईप 41/1 भवन में निवासरत हैं। श्री बघेल से माह 10/94 से माह 01/2001 से माह 35 रूपया प्रतिमाह एवं 02/2001 से माह 06/2004 तक प्रति माह रूपये 150/- किराया निर्धारित किया गया। कर्मचारी के सेवानिवृत्त पश्चात् माह मई 2010 से मानस महिला मंडल जैतहरी के नाम से आवास आवंटन के पूर्व माह जून 2012 तक पेनलरेन्ट अनुसार आवास किराया वसूली योग्य है। **(ख)** जी हाँ। कर्मचारी के सेवानिवृत्त पश्चात् कोषालय से जारी पी.पी.ओ. क्र 1044122 दिनाँक 30/07/2010 के बाद कर्मचारी को समस्त स्वत्वों का भुगतान किया जा चुका है। केवल जी.पी.एफ. राशि का भुगतान किया जाना शेष है। पेनल रेन्ट अनुसार आवास किराया वसूली योग्य है एवं बिजली बिल का भुगतान कर्मचारी द्वारा व्यक्गतगत रूप से विद्युत विभाग को किया जाता है। **(ग)** कर्मचारी सेवानिवृत्त पश्चात की अवधि से कर्मचारी को आवंटित आवास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर द्वारा मानस महिला मंडल जैतहरी को आवंटित किये जाने की अवधि तक का पेनलरेन्ट लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी द्वारा शासकीय भवन के किराया वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। **(घ)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर कर्मचारी के प्रतिमाह के वेतन से नियमित रूप से आवास किराया राशि का कटौत्रा किया गया अत: एन.ओ.सी. में भवन किराया प्रकरण छिपाकर देयको के भुगतान प्राप्त किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

औषधि खरीदी में अनियमितता

101. (क्र. 1579) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14, 2014-15 में ग्वालियर जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्षवार कितना-कितना बजट स्थानीय दवा खरीदी हेतु आवंटित किया गया? वर्षवार जानकारी दें? **(ख)** उक्त अवधि में ग्वालियर जिले में कब-कब, निविदा जारी कर किस-किस फर्म से कितनी-कितनी राशि से कितनी-कितनी दवाएं/औषधि/उपकरण क्रय किये गये? क्रयादेशों की प्रति उपलब्ध करावें? क्या उक्त खरीदी में विभागीय दवा क्रय नियमों, मापदण्डों का पालन किया गया? **(ग)** एक ही फर्म से आवंटित बजट से ज्यादा राशि से दवायें क्रय किये जाने के क्या कारण हैं? क्या इस अनियमितता की विस्तृत जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ग्वालियर जिला को स्वास्थ्य विभाग द्वारा औषधि क्रय हेतु दिया गया बजट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।** इस बजट में औषधियों का स्थानीय क्रय भी शामिल रहता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - अ, ब, स, द, क एवं ख अनुसार है। (ग)** औषधियों का क्रय निम्नानुसार मापदण्डों का पालन करते हुये निर्धारित बजट के अनुरूप ही क्रय किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। अतः जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाओं की पूर्ति

102. (क्र. 1582) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** देवरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग के कहाँ-कहाँ पर किस-किस स्तर के

स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल हैं? यहां पर किस-किस वर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? क्या-क्या सुविधायें कहाँ-कहाँ उपलब्ध हैं? **(ख)** क्या अधिकांश पद रिक्त हैं और उपकरणों, सुविधाओं का भारी अभाव है? इनकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** क्या देवरी स्थित अस्पतालों में ट्रामा सेंटर स्थापित किये जाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** जी हाँ, पद रिक्त है, लेकिन उपकरणों की सुविधायें उपलब्ध है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी है एवं रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करने के सतत् प्रयास किये जा रहे है। **(ग)** जी नहीं। वर्तमान में केवल जिला स्तर के अस्पतालों में ट्रामा युनिट की स्थापना की जा रही है।

<u>निजी उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि</u>

103. (क्र. 1591) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या निजी उद्योगों/ इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनाँक 25-10-2014 द्वारा लागू मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अध्यादेश 2014 के द्वारा 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष कर दी गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या मैहर स्थित उद्योग समूहों/इकाइयों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यो? **(ग)** जिन श्रमिकों/कर्मचारियों को उक्त प्रावधान लागू होने के बाद भी 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया गया है, क्या शासन उन्हें पुनः सेवा में लिये जाने के संबंध में कार्यवाही करेगा? **(घ)** मैहर स्थित उद्योगों/इकाइयों प्रश्नांश **(क)** वर्णित प्रावधान के उल्लंघन के मामले में क्या-क्या कार्यवाही किस-किस के विरूद्ध की जावेगी? नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिसूचना दिनाँक 28 जून, 2014 द्वारा सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। **(ख)** सेन्चुरी टेक्सटाईल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की यूनिट मैहर सीमेन्ट मैहर के द्वारा इस संशोधन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 12790/2014 दायर की गई है। जिसमें मान. न्यायालय द्वारा दिनाँक 08.01.2015 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मैहर स्थित शेष इकाइयों में पालन नहीं किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सतना व रायसेन जिलों में निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित मापदण्डो की पूर्ति</u>

104. (क्र. 1592) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना व रायसेन जिलों में ऐसे कितने मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनकी छात्र संख्या सौ से अधिक है? स्कूल का नाम, संचालक का नाम व पता बतावें? **(ख)** राज्य शासन द्वारा निजी स्कूलों को मान्यता देने हेतु क्या-क्या मापदण्ड व शर्तें निर्धारित की है? क्या सतना व रायसेन जिलों में स्थित विद्यालयों द्वारा निर्धारित मापदण्डों व शर्तों का शत प्रतिशत पालन किया जा रहा है? नहीं तो क्यों? **(ग)** उक्त जिलों में मापदण्डों व शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कब-कब, किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आदि किया गया? क्या-क्या स्थितियां सामने आई? विगत दो वर्षों में किये गये प्रत्येक निरीक्षण की जानकारी दें?

(घ) उक्त जिलों में किन-किन विद्यालयों द्वारा मान्यता शर्तों व मापदण्डों को पूरा नहीं किया जा रहा है? अपूर्ण अधोसंरचना शिक्षकों का अभाव, खेल मैदान की कमी आदि कमियों वाले स्कूलों की क्या मान्यता समाप्त की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

सतना जिले में मान्यता प्राप्त निजी शालाओं संख्या जहां छात्र संख्या 100 से अधिक है प्राथमिक -15 माध्यमिक -361 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -98	रायसेन जिले में मान्यता प्राप्त निजी शालाओं संख्या जहां छात्र संख्या 100 से अधिक है प्राथमिक -132 माध्यमिक -59 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -51

(ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** मापदण्ड व शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समय-समय पर बी.आर.सी. संकुल प्राचार्य एवं अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ)** सतना/रायसेन जिले के निजी विद्यालयों द्वारा मान्यता मापदण्डों की पूर्ति की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2, 3 अनुसार।**

कैंसर हॉस्पिटल जबलपुर के प्राध्यापक की पदपूर्ति

105. (क्र. 1595) श्री मोती कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने अपने पत्र दिनाँक 22.05.2015 द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी एवं मा. विभागीय मंत्री जी को नेताजी सुभाषचंद बोस मेडीकल कॉलेज जबलपुर के सेवानिवृत्त हो रहे प्राध्यापक-अधीक्षक-विभागाध्यक्ष के संदर्भ में कोई लेख किया है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** मेडीकल कॉलेज के अधिष्ठाता ने किसी को प्रेषित अपने पत्र दिनाँक 24.03.2015 में किन्हीं आधार, गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन एवं रिक्त पद के भरने की कठिनाइयों आदि बिन्दुओं पर कोई लेख किया है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** सेवावृद्धि के आधार में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्वीकृति का श्रेय किसी को दिया गया है और उसकी सेवा निवृत्ति उपरान्त राज्य के उन प्राध्यापकों जिन्हें पदस्थी दी जावेगी अथवा प्रभार दिया जावेगा, उनकी मेडीकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के मापदण्ड के अनुसार पात्रता व अपात्रता की स्थिति क्या है? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(ग)** की परिस्थिति में प्रश्नांश **(ख)** पत्र की कण्डिका-11 में रेडियोथेरेपी, छात्र, मरीज एवं कोबाल्ट मशीनों के संबंध में कोई कठिनाइयों का लेख किया गया है? **(ड.)** क्या राज्य चिकित्सालय, छात्र व मरीज के हित में प्रश्नांश **(क)** को किसी दिनाँक को किसी अवधि हेतु सेवावृद्धि प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** प्रश्न में उल्लेखित अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर का पत्र दिनाँक 24/03/2015 संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 654/स्था/राज, दिनाँक 28/05/2015 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा गया हैं। **(ग)** जी नहीं। अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्राध्यापक के पद की पूर्ति हेतु आ रही कठिनाई के संबंध में अवगत कराया गया हैं कि संस्था में

प्राध्यापक के दो पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में दोनो पद रिक्त हैं। एक पद पर डॉ. पुष्पा किरार कार्यरत थी, जो दिनाँक 30/06/2015 को सेवानिवृत्त हो गई है। वर्तमान में पी.एस.सी. द्वारा चयनित कोई भी चिकित्सक कार्यरत न होने के कारण पद पूर्ति करना संभव नहीं हैं। वर्तमान में स्वशासी संस्था के अन्तर्गत कार्यरत दो सह प्राध्यापकों में से एक सह प्राध्यापक के पास एम.सी.आई. के नार्म्स अनुसार पब्लिकेशन न होने तथा दूसरे चिकित्सक की पदोन्नति हेतु सेवा अवधि पूर्ण न होने के कारण पदोन्नति किया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी हाँ। **(ड.)** जी नहीं। फिलहाल बताया जाना संभव नहीं है।